



छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 182]

नवा रायपुर, सोमवार, दिनांक 13 अप्रैल 2026 — चैव 23, जक 1948

श्रम विभाग

मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 10 अप्रैल 2026

सूचना

No.-RULE-801/51/2026-LABOUR.— सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 (2020 का 36) की धारा 154, 156 और 158 के अधीन अपेक्षित आपत्तियाँ और सुझाव आमंत्रित करने हेतु सामाजिक सुरक्षा संहिता (छत्तीसगढ़) नियम, 2021 के प्रारूप को छत्तीसगढ़ के राजपत्र, असाधारण अधिसूचना क्रमांक एफ 10-03/ 2021/ 16, दिनांक 25 मई 2021 के माध्यम से प्रकाशित किया गया था।

और भारत सरकार द्वारा अधिसूचना संख्या एस.ओ. 5319 (ई), दिनांक 21 नवम्बर, 2025 जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-दो, धारा 3, उप-धारा (दो) में प्रकाशित हुई है, के द्वारा सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 (2020 का 36) के कतिपय उपबंधों को छोड़कर, प्रभाव में लाया गया है।

अतः अब, राज्य सरकार, सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 (2020 का 36) की धारा 154, 156 और 158 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा राज्य सरकार द्वारा निर्मित—

- (एक) छत्तीसगढ़ कर्मकार क्षतिपूर्ति नियम, 1962
- (दो) छत्तीसगढ़ कर्मकार क्षतिपूर्ति (व्यावसायिक रोग) नियम, 1963
- (तीन) छत्तीसगढ़ प्रसूति प्रसुविधा नियम, 1965
- (चार) उपादान भुगतान (छत्तीसगढ़) नियम, 1973
- (पाँच) छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार (विनियमन रोजगार सेवा शर्तें) नियम, 2008
- (छः) छत्तीसगढ़ कर्मकार सामाजिक सुरक्षा नियम, 2010
- (सात) छत्तीसगढ़ कर्मचारी बीमा न्यायालय नियम, 1963
- (आठ) छत्तीसगढ़ कर्मचारी राज्य बीमा (चिकित्सा लाभ सेवा प्रणाली) नियम, 1959;
- (नौ) छत्तीसगढ़ कर्मचारी राज्य बीमा योजना अंतर्गत स्थापित अस्पतालों को आपूर्ति नियम, 1981;

के अधिक्रमण में तथा सामाजिक सुरक्षा संहिता की धारा 164 द्वारा निरसित होने वाले कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (1948 का 34), प्रसूति लाभ अधिनियम, 1961 (1961 का 53), उपादान संदाय अधिनियम, 1972 (1972 का 39), कर्मकार क्षतिपूर्ति अधिनियम, 1923, भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार (विनियमन रोजगार सेवा शर्तें) अधिनियम, 1996

(1996 का 27) और असंगठित कर्मकार सामाजिक सुरक्षा अधिनियम, 2008 (2008 का 33) जैसी भी स्थिति हो, ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किए जाने वाले कार्यों को अथवा किए जाने को छोड़कर, निम्न प्रारूप नियमों को एतद द्वारा अधिसूचित करती है, जो उक्त धारा 154, 156 और 158 द्वारा इससे प्रभावित होने की संभावना वाले सभी व्यक्तियों को सूचनार्थ है एवं एतद द्वारा सूचना दी जाती है कि उक्त प्रारूप अधिसूचना पर, छत्तीसगढ़ राजपत्र जिसमें इस अधिसूचना को प्रकाशित किया गया हो, की तिथि से पैंतालीस दिनों की अवधि की समाप्ति के पश्चात, विचार किया जाएगा।

आपत्तियां और सुझाव, यदि कोई हों, अवर सचिव, छत्तीसगढ़ सरकार, श्रम विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर को प्रेषित किया जा सकता है। आपत्तियों और सुझावों को एक प्रारूप में भेजा जाना चाहिए जिसमें कॉलम (एक) में व्यक्ति/संगठन का नाम और पता निर्दिष्ट करना होगा, कॉलम (दो) में उस नियम या उप-नियम को निर्दिष्ट करना होगा जिसे संशोधित किया जाना है और कॉलम (तीन) में संशोधित नियम या उप-नियम को प्रतिस्थापित करने का प्रस्ताव और कॉलम (चार) में उसके कारण निर्दिष्ट करने होंगे।

उपर्युक्त अवधि की समाप्ति से पहले उक्त प्रारूप अधिसूचना के संबंध में किसी भी व्यक्ति या संगठन से प्राप्त होने वाली आपत्तियों और सुझावों पर छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा विचार किया जाएगा।

प्ररूप नियम

अध्याय—एक
प्रारंभिक

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार तथा प्रारंभ.— (1) ये नियम सामाजिक सुरक्षा संहिता (छत्तीसगढ़) नियम, 2026 कहलायेगा।
 (2) इसका विस्तार संपूर्ण छत्तीसगढ़ में होगा।
 (3) ये नियम राजपत्र में इनके अंतिम प्रकाशन की तारीख के बाद प्रवृत्त होंगे।
2. परिभाषाएँ.— (1) इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—
 (एक) “अपील” से धारा 37 (7) या धारा 105 (1) या 56 (8) के तहत दी गई अपील अभिप्रेत है, जैसा भी मामला हो; दायर अपील
 (दो) “अपीलीय प्राधिकारी” से अभिप्रेत है—
 (क) संहिता की धारा 56 की उप-धारा (8) और धारा 105 की उप-धारा (1) के प्रयोजन के लिए राज्य सरकार या उप श्रमायुक्त या राज्य सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट प्राधिकारी; और
 (ख) संहिता की धारा 37 की उप-धारा (7) के खण्ड (ख) के प्रयोजन के लिए राज्य सरकार द्वारा गठित कर्मचारी बीमा न्यायालय;
 (तीन) “निर्धारण अधिकारी” से अभिप्रेत है राज्य सरकार का राजपत्रित अधिकारी या स्थानीय प्राधिकरण का कोई अधिकारी, जो राज्य सरकार के राजपत्रित अधिकारी के समकक्ष पद पर हो, जिसे ऐसी राज्य सरकार ने संहिता के अध्याय 8 के तहत उपकर के निर्धारण के लिए नियुक्त किया हो;
 (चार) “प्राधिकारी” से अभिप्रेत है राज्य सरकार या संहिता की धारा 72 की उप-धारा (3) के अधीन राज्य सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट प्राधिकारी;
 (पांच) किसी कर्मचारी के संबंध में संहिता के अध्याय—चार के अधीन “अंशदान अवधि के दौरान औसत दैनिक मजदूरी” से अभिप्रेत है उन दिनों की संख्या, जिसके लिये ऐसा वेतन देय हो, के द्वारा उस कालावधि के दौरान उसे देय मजदूरी को विभाजित करके प्राप्त समेकित रकम;
 (छ:) संहिता के अध्याय—चार के अधीन “एक मजदूरी अवधि के दौरान औसत दैनिक मजदूरी” से अभिप्रेत है—

(क) एक कर्मचारी, जो समय-दर के आधार पर नियोजित किया जाता है, के संबंध में वेतन की वह राशि, जो उसे पूरी मजदूरी अवधि के लिए देय थी, यदि उसने उस वेतन अवधि में सभी कार्य दिवसों पर कार्य किया होता, यदि मासिक आधार पर दर अवधारित की जाती है तो 26 से विभाजित हो, यदि उसकी पाक्षिक आधार पर दर अवधारित की जाती है तो 13 से विभाजित हो और यदि उसे साप्ताहिक रूप से अवधारित किया जाता है तो 6 से विभाजित हो और यदि उसका दैनिक आधार पर निर्धारण किया जाता है तो 1 से विभाजित हो;

(ख) किसी अन्य आधार पर नियोजित कर्मचारी के संबंध में, अंशदान अवधि में पूर्ण वेतन अवधि के दौरान अर्जित मजदूरी की राशि, जिसे पूर्ण या आंशिक दिनों की संख्या से विभाजित किया गया है, जिसके लिए उसने उस मजदूरी अवधि में वेतन के लिए कार्य किया है:

परंतु जहां किसी कर्मचारी को ऐसी वेतन कालावधि के दौरान किसी भी दिन कार्य किये बिना, वेतन मिलता है, तो उसे 26, 13, 6 या 1 दिन या दिनों के लिए कार्य किया माना जाएगा, यदि मजदूरी की अवधि क्रमशः एक महीने, एक पखवाड़े, एक सप्ताह या एक दिन हो।

स्पष्टीकरण— जहाँ कोई भी रात्रि पारी, आधी रात के बाद भी जारी रहती है, आधी रात के बाद की रात्रि पारी की कालावधि को, उस दिन की गणना, पूर्ववर्ती दिन के लिए कार्य के भाग के रूप में माना जाएगा;

(सात) "लाभ" से अभिप्रेत है इन नियमों के नियम 5 में निर्दिष्ट लाभ;

(आठ) "लाभ कालावधि" से अभिप्रेत है लगातार छः महीने से अनधिक की कालावधि, जो अंशदान अवधि के अनुरूप हो, जैसा कि विनियमों में विनिर्दिष्ट किया जाए;

(नौ) "मण्डल" से अभिप्रेत है छत्तीसगढ़ असंगठित कर्मकार राज्य सामाजिक सुरक्षा मण्डल और छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल, जो धारा 6 एवं धारा 7 के अधीन गठित है;

(दस) "अध्यक्ष" से अभिप्रेत है यथास्थिति, छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल, छत्तीसगढ़ असंगठित कर्मकार राज्य सामाजिक

सुरक्षा मण्डल, स्थायी समिति, चिकित्सा लाभ समिति या कार्यकारी समिति का अध्यक्ष;

(ग्यारह) “उपकर संग्राहक” से अभिप्रेत है राज्य सरकार द्वारा संहिता के तहत उपकर संग्रहण करने के लिए नियुक्त किया गया अधिकारी।

(बारह) “चार्टर्ड इंजीनियर” से अभिप्रेत है ऐसा व्यक्ति, जो इंजीनियरिंग की उपाधि धारण करता हो और उसके पास इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियर्स इंडिया की निगमित (कार्पोरेट) सदस्यता हो;

(तेरह) “संहिता” से अभिप्रेत है सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 (2020 का सं. 36);

(चौदह) “न्यायालय” से अभिप्रेत है सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 की धारा 50 के अधीन गठित कर्मचारी बीमा न्यायालय;

(पन्द्रह) “इलेक्ट्रॉनिक रूप से” से अभिप्रेत है संहिता के प्रयोजन के लिए ईमेल द्वारा या निर्दिष्ट पोर्टल पर अपलोड कर प्रस्तुत जानकारी या संसूचना अथवा किसी भी रीति से डिजिटल भुगतान;

(सोलह) “प्ररूप” से अभिप्रेत है कि इन नियमों से संलग्न प्ररूप;

(सत्रह) “निधि” से अभिप्रेत है यथास्थिति, संहिता की धारा 108 तथा धारा 141 में विनिर्दिष्ट, भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण निधि एवं सामाजिक सुरक्षा निधि;

(अठारह) “सरकार” से अभिप्रेत है छत्तीसगढ़ सरकार;

(उन्नीस) “सरकारी प्रतिभूति” से अभिप्रेत है सरकारी प्रतिभूति अधिनियम, 2006 (2006 का सं. 38) में यथा परिभाषित सरकारी प्रतिभूतियाँ;

(बीस) “अचल संपत्ति” में सम्मिलित है भूमि, भूमि से उत्पन्न होने वाले लाभ, पृथ्वी से जुड़ी हुई या पृथ्वी से जुड़ी किसी चीज से स्थायी रूप से जुड़ी हुई चीजें;

(इक्कीस) “सदस्य” से अभिप्रेत है मण्डल का सदस्य;

(बाईस) “चल संपत्ति” से अभिप्रेत है अचल संपत्ति को छोड़कर, सभी प्रकार की संपत्ति;

(तेईस) “नोडल अधिकारी” से अभिप्रेत है छ0ग0 भवन और अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मंडल या राज्य सरकार द्वारा नामित व्यक्ति, जो निजी क्षेत्र, राज्य सरकार, केंद्र सरकार और केंद्र और राज्य सरकार या स्थानीय प्राधिकरण के सार्वजनिक उपक्रम में कार्य करने वाले भवन एवं अन्य संनिर्माण श्रमिकों के

पंजीकरण, नवीनीकरण और इलेक्ट्रॉनिक रूप में अथवा किसी भिन्न रूप में अद्यतनीकरण या इस प्रकार के किसी अन्य कार्य के लिए पदाभिहित है। नोडल अधिकारी, राज्य सरकार द्वारा नामित लाभार्थी पंजीकरण अधिकारियों के कार्यों की देखरेख और निगरानी भी करेगा;

(चौबीस) "नामांकन" से अभिप्रेत है संहिता की धारा 55 के अधीन किया गया नामांकन;

(पच्चीस) "पोर्टल" से अभिप्रेत है छत्तीसगढ़ सरकार, श्रम विभाग का पोर्टल;

(छब्बीस) "पंजीकृत चिकित्सा व्यवसायी" से अभिप्रेत है एक चिकित्सा व्यवसायी, जिसका नाम चिकित्सा व्यवसायियों के पंजीकरण को नियंत्रित करने के तत्समय प्रवृत्त किसी भी विधि के अधीन संधारित रजिस्टर में नामांकित किया गया है;

(सत्ताईस) "महिला कर्मचारियों का रजिस्टर" से अभिप्रेत है नियम 29 के उप-नियम (2) अधीन संधारित महिला कर्मचारियों का रजिस्टर;

(अट्ठाईस) "अनुसूची" से अभिप्रेत है संहिता की अनुसूची;

(उन्तीस) "धारा" से अभिप्रेत है संहिता की धारा;

(तीस) "सचिव" से अभिप्रेत है मण्डल का सचिव;

(इक्तीस) "विनिर्दिष्ट" से अभिप्रेत है केन्द्र सरकार या राज्य सरकार अथवा ऐसी सरकार द्वारा इस हेतु प्राधिकृत किसी अधिकारी के आदेश द्वारा विनिर्दिष्ट;

(बत्तीस) "वर्ष" से अभिप्रेत है वित्तीय वर्ष, अप्रैल के प्रथम दिवस से प्रारंभ होकर आगामी वर्ष के इक्तीस मार्च को समाप्त होने वाले वर्ष।

(2) इन नियमों में उपयोग किए गए जिन शब्दों और भावों को यहाँ परिभाषित नहीं किया गया है, लेकिन कोड में परिभाषित किया गया है, उनका वही अर्थ होगा जो कोड में उन्हें दिया गया है।

अध्याय—दो सामाजिक सुरक्षा संगठन

क. छत्तीसगढ़ असंगठित कर्मकार राज्य सामाजिक सुरक्षा मंडल

3. संहिता की धारा 6 की उप-धारा (9) के अधीन राज्य असंगठित कर्मकार राज्य सामाजिक सुरक्षा मंडल द्वारा शक्तियों के प्रयोग और कृत्यों के निर्वहन की रीति, उप-धारा (12) के अधीन मंडल के सदस्यों के नामनिर्देशन की रीति, उनकी पदावधि और सेवा की अन्य शर्तें, उनके द्वारा उनके कृत्यों के निर्वहन में अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया, और मंडल के सदस्यों की रिक्तियों को भरने की रीति और उप-धारा (14) के अधीन बैठकों का समय, स्थान और कारोबार के संव्यवहार से संबंधित प्रक्रिया के नियम—

- (1) छत्तीसगढ़ असंगठित कर्मकार राज्य सामाजिक सुरक्षा मण्डल का गठन— छत्तीसगढ़ असंगठित कर्मकार राज्य सामाजिक सुरक्षा मण्डल, संहिता की धारा 6 की उप-धारा (9) के अधीन गठित मण्डल माना जाएगा, जिसमें समाविष्ट होंगे :—

(एक) श्रम मंत्री, छत्तीसगढ़ सरकार, पदेन अध्यक्ष के रूप में,

(दो) सचिव, छत्तीसगढ़ सरकार, श्रम विभाग, उपाध्यक्ष के रूप में,

(तीन) एक सदस्य, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार के प्रतिनिधि के रूप में,

(चार) राज्य सरकार द्वारा नामांकित इकतीस सदस्य जिनमें से —

(1) सात सदस्य, जो कि असंगठित कर्मकारों का प्रतिनिधित्व करते हों,

(2) सात सदस्य, जो कि असंगठित कर्मकारों के नियोजकों का प्रतिनिधित्व करते हों,

(3) दो सदस्य, जो कि छत्तीसगढ़ विधानसभा का प्रतिनिधित्व करते हों,

(4) पाँच सदस्य, जो कि नागरिक समाज के प्रतिष्ठित वर्ग का प्रतिनिधित्व करते हों,

(5) दस सदस्य, जो कि राज्य सरकार के संबंधित विभागों का प्रतिनिधित्व करते हों :

परंतु (1), (2) एवं (4) में नियुक्त किये गये कुल सदस्यों में से कम से कम एक प्रतिनिधि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यकों एवं महिलाओं के होंगे।

(पांच) राज्य सरकार, छत्तीसगढ़ सरकार के एक अधिकारी को जो सहायक श्रमायुक्त की पदश्रेणी से निम्न पदश्रेणी का न हो, मंडल के सदस्य सचिव के रूप में बिना मतदान की शक्तियों के, अधिसूचित करेगा;

परंतु छत्तीसगढ़ असंगठित कर्मकार राज्य समाजिक सुरक्षा मंडल के अध्यक्ष के अतिरिक्त, राज्य सरकार द्वारा नामांकित अन्य सभी सदस्य श्रम कल्याण, प्रबंधन, वित्त, विधि और प्रसरकार के क्षेत्र में प्रतिष्ठित व्यक्ति होंगे।

- (2) पदावधि.— नियम 3 के उप-नियम (1) के खण्ड (चार) के अधीन नियुक्त कोई सदस्य, मंडल के एक सदस्य के रूप में उसे नियुक्त करने संबंधी अधिसूचना के छत्तीसगढ़ राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए पद धारण करेगा, जब तक कि वह अपना पद त्याग नहीं देता या उसकी मृत्यु नहीं हो जाती या अन्यथा वह पूर्वतर तारीख को अपना पद रिक्त नहीं कर देता, उप-नियम (1) के प्रावधानों के अधधीन रहते हुए, ऐसा प्रत्येक सदस्य पुनर्नियुक्ति के लिए पात्र होगा:

परन्तु कोई बहिर्गामी सदस्य, उसके उत्तराधिकारी की नियुक्ति राजपत्र में अधिसूचित होने तक, पद पर बना रहेगा।

- (3) त्यागपत्र.—

(एक) नियम 3 के उप-नियम (1) के खण्ड (चार) के अधीन नियुक्त सदस्य, राज्य सरकार को संबोधित अपने हस्ताक्षरित लेख द्वारा अपना पद त्याग सकेगा।

(दो) त्याग-पत्र, राज्य सरकार द्वारा उसकी स्वीकृति की तारीख से प्रभावशील होगा।

- (4) पद में रिक्ति.— नियम 3 के उप-नियम (1) के खण्ड (चार) के अधीन नियुक्त सदस्य द्वारा अपना पद रिक्त कर दिया गया समझा जाएगा, यदि —

(एक) वह किसी सक्षम न्यायालय द्वारा विकृतचित्त या अनुन्मोचित दिवालिया घोषित कर दिया गया हो; या

(दो) वह किसी ऐसे अपराध के लिए सिद्धदोष ठहराया गया है, जिसमें राज्य सरकार की राय में, नैतिक अधमता अंतर्वलित है; या

- (तीन) वह एक नियोक्ता के रूप में, किसी भी श्रम संहिता के तहत न्यायालय द्वारा निर्णित किसी भी बकाया राशि का भुगतान नहीं करता है; या
- (चार) वह केंद्र या राज्य सरकार का मंत्री, लोकसभा या राज्य विधानमंडल का अध्यक्ष या उपाध्यक्ष, या राज्यों की परिषद का उपाध्यक्ष बन जाता है।
- परन्तु उपरोक्त अयोग्यता मंडल के पदेन सदस्यों पर लागू नहीं होगा।
- (पांच) संहिता की धारा 6 की उप-धारा (10) के खंड (घ) के उप-खंड (तीन) के अधीन नाम निर्देशित वह सदस्य तब बोर्ड का सदस्य नहीं रहेगा यदि वह विधानसभा, जिसके द्वारा वह इस प्रकार निर्वाचित किया गया था, का सदस्य नहीं रह जाता।
- (छः) वह अध्यक्ष की अनुमति के बिना मंडल या उसकी किसी समिति की लगातार तीन बैठकों से अनुपस्थित रहता है; या
- (सात) राज्य सरकार की राय में, अपने पदीय स्थिति का इस प्रकार दुरुपयोग किया है कि उस सदस्य का पद पर बने रहना जनहित के लिए हानिकारक है या अन्यथा सरकार की राय में ऐसे सदस्य के रूप में बने रहने के लिए अनुपयुक्त या अनुचित है; या
- (आठ) असंगठित श्रमिकों या उनके नियोक्ताओं का प्रतिनिधित्व करने वाले सदस्य के रूप में, उन्होंने पर्याप्त रूप से उनका प्रतिनिधित्व करना बंद कर दिया है;
- परन्तु किसी भी व्यक्ति को खण्ड (छः), (सात) और (आठ) के तहत तब तक हटाया नहीं जाएगा, जब तक कि उस व्यक्ति को यह कारण बताने का अवसर नहीं दिया गया है कि, उसे क्यों नहीं हटाया जाना चाहिए,
- (नौ) किसी विनिर्दिष्ट क्षेत्र में विशेषज्ञ के रूप में प्रतिनिधित्व करने वाला उसका कोई भी सदस्य तत्पश्चात् उस क्षेत्र में पर्याप्त विशेषज्ञता नहीं रखने वाला पाया जाता है, राज्य सरकार द्वारा उन्हें हटा दिया जायेगा।
- (5) आकस्मिक रिक्तियों का भरा जाना.— किसी सदस्य की मृत्यु, उसके त्यागपत्र, या अन्यथा उद्भूत हुई आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिए नियुक्त किया गया सदस्य, उस सदस्य, जिसके स्थान पर उसकी नियुक्ति की गई है, की पदावधि की शेष कालावधि तक पद धारण करेगा।
- (6) रिक्त पदों को भरने का प्रबंध.— जब मण्डल की सदस्यता में कोई रिक्ति उद्भूत होती है या होने की संभावना होती है, तो अध्यक्ष, राज्य सरकार को एक सूचना

सौंपेंगे और इस तरह की सूचना प्राप्त होने पर, राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, रिक्ति को भरने के लिए एक व्यक्ति को नामांकित कर सकती है, इस प्रकार नामांकित व्यक्ति, उस सदस्य, जिसके स्थान पर वह नामांकित है, के पद के शेष अवधि के लिए पद धारण करेगा।

- (7) पता बदलना.— यदि कोई सदस्य अपना पता परिवर्तित करता है, तो वह मण्डल के सदस्य-सचिव को अपना नया पता सूचित करेगा, जो इसके बाद कार्यालयीन अभिलेख में उसका नया पता दर्ज करेगा:

परन्तु यदि कोई सदस्य अपने नए पते को सूचित करने में विफल रहता है, तो सभी उद्देश्यों के लिए कार्यालयीन अभिलेख में दिए गए पते को सदस्य का सही पता माना जाएगा।

- (8) मंडल का बैठक एवं गणपूर्ति.—

(एक) मंडल का सम्मेलन सामान्यतः प्रत्येक तीन माह में एक बार होगा:

परन्तु अध्यक्ष, मंडल के कम से कम एक तिहाई सदस्यों से लिखित में अध्यक्षता प्राप्त होने के पन्द्रह दिन के भीतर, उसका विशेष बैठक बुला सकेगा।

(दो) मंडल के किसी बैठक में कोई काम-काज तब तक संपादित नहीं किया जाएगा, जब तक कि कम से कम 12 सदस्य उपस्थित न हों, जिनमें से कम से कम तीन सदस्य, उनमें से होंगे, जो नियम 3 के उप-नियम (1) के खण्ड (एक), (दो), (तीन) एवं (चार) के अधीन नियुक्त किए गए हों।

- (9) बैठक की सूचना और कारोबार की सूची.— प्रत्येक बैठक की तारीख, समय तथा स्थान सूचित करने वाली सूचना, बैठक में संपादित किए जाने वाले कारोबार की सूची के साथ, बैठक से पन्द्रह दिन पूर्व मण्डल द्वारा पृथक रूप से प्रत्येक सदस्य को पंजीकृत डाक द्वारा या विशेष संदेशवाहक द्वारा भेजी जाएगी;

परन्तु जब अध्यक्ष, किसी ऐसे विषय पर विचार करने के लिए, जो उसकी राय में अत्यावश्यक प्रकृति का है, बैठक बुलाते हैं, तो कम से कम तीन दिन की सूचना पर्याप्त समझी जाएगी।

- (10) अध्यक्ष बैठकों की अध्यक्षता करेंगे.— अध्यक्ष, मंडल के समस्त बैठकों की अध्यक्षता करेंगे और यदि अध्यक्ष, मंडल के बैठक में उपस्थित रहने में किसी कारण से असमर्थ है, तो उपाध्यक्ष, बैठक की अध्यक्षता करेंगे।

- (11) कारोबार का संपादन.— ऐसे समस्त प्रश्न, जो मंडल के किसी बैठक के समक्ष आए, उपस्थित तथा मतदान करने वाले सदस्यों के बहुमत से विनिश्चित किए जाएंगे और मत बराबर होने की दशा में, अध्यक्ष या उसकी अनुपस्थिति में, उपाध्यक्ष का निर्णायक मत होगा।
- (12) बैठक का कार्यवृत्त.— मंडल की प्रत्येक बैठक की कार्यवाही अभिलिखित की जाएगी तथा मंडल की अगली बैठक में पुष्टि के अध्यक्षीन रहते हुए, बैठक के पश्चात्, यथासंभव शीघ्र, अध्यक्ष के अनुमोदन के बाद समस्त सदस्यों को वितरित की जाएगी। ऐसी पुष्टि के पश्चात् वे, कार्यवृत्त पुस्तक में अभिलिखित की जाएंगी, जिसे स्थायी अभिलेख के लिए रखी जाएगी।
- (13) अशासकीय सदस्यों को देय भत्ते.— मंडल तथा उसकी उप-समितियों की बैठकों में उपस्थित होने के लिए प्रत्येक अशासकीय सदस्यों को राज्य सरकार के प्रथम श्रेणी अधिकारियों को अनुज्ञेय दरों पर यात्रा-भत्ता तथा दैनिक-भत्ता संदत्त किया जाएगा।
- (14) मंडल की उप-समितियां.—
- (एक) मंडल, ऐसी उप-समितियां गठित कर सकेगा, जैसा कि वह उसके कर्तव्यों के समुचित निर्वहन के लिए उचित समझे।
- (दो) प्रत्येक उप-समिति की अध्यक्षता, मंडल के अध्यक्ष द्वारा स्वयं अथवा अध्यक्ष द्वारा उप-समितियों हेतु नामित अध्यक्ष द्वारा की जाएगी तथा उसमें असंगठित कर्मकारों, नियोजकों तथा राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व करने वाले मंडल के सदस्यों की बराबर संख्या होगी।
- (तीन) उप-समिति के अध्यक्ष की अनुपस्थिति में, उप-समिति के उपस्थित सदस्य, बैठक की अध्यक्षता करने के लिए अपने में किसी एक सदस्य को नामित करेंगे।
- (चार) उप-समिति के बैठक में कोई भी कार्य तब तक संपादित नहीं किया जायेगा, जब तक कि उसके सदस्यों में से कम से कम एक तिहाई सदस्य उपस्थित न हों, जिसमें से नियोजकों का प्रतिनिधित्व करने वाले सदस्यों में से कम से कम एक तथा असंगठित कर्मकारों का प्रतिनिधित्व करने वाले सदस्यों में से कम से कम एक होगा।

(पाँच) तदर्थ प्रयोजन की अल्प अवधि के लिए गठित उप-समिति को छोड़कर, उप-समितियों का कार्यकाल, उसके गठन की तारीख से एक वर्ष का होगा, किन्तु उप-समिति, जब तक की नई उप-समिति का गठन नहीं होता है, कार्य करती रहेगी, किन्तु किसी दशा में, कोई उप-समिति, उसके गठन की तारीख से दो वर्ष की कालावधि से अधिक के लिए कार्य नहीं करेगी।

(छः) प्रत्येक उप-समिति की अनुशंसाएँ, मंडल के समक्ष उसके विनिश्चय के लिए रखी जाएंगी।

(15) सचिव, अन्य अधिकारियों तथा कर्मचारी की नियुक्ति.—

(एक) मंडल, राज्य सरकार की पूर्व अनुमति से, छत्तीसगढ़ सरकार के एक अधिकारी को जो कि सहायक श्रमायुक्त की पदश्रेणी से निम्न पदश्रेणी का न हो, मण्डल का सचिव नियुक्त करेगी।

(दो) मंडल, ऐसे अन्य अधिकारियों तथा कर्मचारियों को नियुक्त कर सकेगा, जैसा कि वह उसके कृत्यों के दक्षतापूर्ण निर्वहन के लिए आवश्यक समझे :

परन्तु मंडल में कोई पद तब तक नहीं भरा जाएगा, जब तक कि उसके सृजन को राज्य सरकार द्वारा पहले से अनुमोदित न कर दिया गया हो।

(16) मंडल के कर्तव्य तथा कृत्य.—

(एक) संहिता की धारा 6 की उप-धारा (15) के अधीन मंडल अपने कर्तव्यों के निष्पादन हेतु निम्न प्रक्रिया अपनाएगा, मंडल विनिर्दिष्ट की गई प्रत्येक सुविधा या प्रसूविधाओं के समूह के बारे में, उन प्रक्रियाओं, प्रारूपों तथा अन्य समस्त अवशिष्ट मामलों को अवधारित करते हुए एक योजना, जो इन नियमों में अभिव्यक्त रूप से उपबंधित नहीं है, तैयार करेगा और राज्य सरकार को अनुशंसित करेगा—

- (1) वे दरें, जिन पर विभिन्न प्रसूविधाएं देय होंगी;
- (2) आवेदन करने की प्रक्रिया तथा प्रारूप;
- (3) मंजूरी देने की प्रक्रिया तथा अनुमोदन देने के लिए सक्षम प्राधिकारी;
- (4) संवितरण के लिए प्रक्रिया; और

- (5) कोई अन्य आनुषंगिक मामले।
- (दो) मंडल, संहिता के प्रसरकार संबंधी बिन्दुओं पर, समय समय पर राज्य सरकार को सलाह दे सकेगा।
- (तीन) मंडल, अन्य ऐसे कार्य करेगा, जो समय-समय पर राज्य सरकार संहिता के अध्याधीन मंडल को निर्दिष्ट करे।
- (17) मंडल के अधिकारियों और कर्मचारी की भर्ती प्रक्रिया तथा सेवा शर्तें.—
- (एक) मंडल के अधिकारियों तथा कर्मचारियों का वर्गीकरण, वेतनमान, भत्ते, भर्ती की प्रक्रिया तथा सेवा के निबंधन और शर्तें ऐसी होंगी, जैसा कि राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से, मंडल द्वारा अवधारित की जाये।
- (दो) यदि किसी विशिष्ट मामले में, किसी उपबंध के निर्वचन या उसके लागू होने के बारे में कोई विवाद या कठिनाई उद्भूत हो, तो मामला राज्य सरकार को निर्दिष्ट किया जाएगा, जिस पर उसका निर्णय अंतिम होगा।

ख. छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल

4. संहिता की धारा 7 की उप-धारा (4) के अधीन भवन कर्मकार कल्याण मंडल के अध्यक्ष तथा अन्य सदस्यों की नियुक्ति के निबंधन तथा शर्तें, देय वेतन तथा अन्य भत्ते, तथा ऐसे सदस्यों की आकस्मिक रिक्तियों को भरने की रीति, उप-धारा (5) के खण्ड (ग) के अधीन उक्त मण्डल के सचिव तथा अन्य अधिकारियों और कर्मचारियों की नियुक्ति के निबंधन एवं शर्तें, देय वेतन और भत्ते.—
- (1) छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल का गठन.—
- “छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल” को संहिता की धारा 7 की उप-धारा (1) के अधीन गठित मंडल के रूप में माना जाएगा। मंडल में निम्नलिखित सम्मिलित होंगे.—
- (एक) अध्यक्ष — श्रम मंत्री, छत्तीसगढ़ सरकार या राज्य सरकार द्वारा नामित कोई व्यक्ति;
- (दो) एक सदस्य, जो कि केन्द्र सरकार द्वारा नामनिर्देशित किया जाएगा;

- (तीन) व्यवसायजन्य सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं कार्यदशाएं संहिता, 2020 की धारा 34 की उप-धारा (5) के अंतर्गत नियुक्त मुख्य निरीक्षक-सह- सुकारक, पदेन सदस्य के रूप में;
- (चार) चार सदस्य, राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किए जायेंगे, जो कि शासकीय विभागों का प्रतिनिधित्व करते हों, जिनमें से श्रम विभाग का एक तथा वित्त विभाग का एक प्रतिनिधि होगा तथा दो सदस्य, भवन एवं अन्य सन्निर्माण कार्य से संबद्ध विभागों के प्रतिनिधि होंगे,
- (पांच) पाँच सदस्य, राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किए जायेंगे, जो कि भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकारों का प्रतिनिधित्व करते हों; और
- (छः) पाँच सदस्य, राज्य सरकार द्वारा, नियुक्त किए जायेंगे, जो कि भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकारों के नियोजकों का प्रतिनिधित्व करते हों :

परंतुक छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल में राज्य सरकार, नियोजकों और भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकारों का प्रतिनिधित्व करने वाले बराबर संख्या में सदस्य शामिल होंगे। यह सुनिश्चित किया जाएगा कि मंडल में नियोजकों और श्रमिकों के प्रतिनिधियों में से कम से कम एक-एक सदस्य महिला होगी।

- (2) पदावधि.— नियम 4 के उप-नियम (1) के खण्ड (चार) एवं (पांच) के अधीन नियुक्त कोई सदस्य, जब तक कि वह अपना पद त्याग नहीं देता या उसकी मृत्यु नहीं हो जाती या अन्यथा वह पूर्वतर तारीख को अपना पद रिक्त नहीं कर देता, मंडल के सदस्य के रूप में उसे नियुक्त करने संबंधी अधिसूचना के छत्तीसगढ़ राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए पद धारण करेगा और पुनर्नियुक्ति का पात्र होगा:

परन्तुक कोई बहिर्गामी सदस्य, उसके उत्तराधिकारी की नियुक्ति राजपत्र में अधिसूचित होने तक, पद पर बना रहेगा।

- (3) त्याग पत्र.—

(एक) नियम 4 के उप-नियम (1) के खण्ड (चार) तथा (पांच) के अधीन नियुक्त कोई सदस्य, राज्य सरकार को संबोधित अपने हस्ताक्षरित लेख द्वारा अपना पद त्याग सकेगा।

(दो) त्याग-पत्र, राज्य सरकार द्वारा उसकी स्वीकृति की तारीख से प्रभावशील होगा।

(4) पद में रिक्ति.— नियम 4 के उप-नियम (1) के खण्ड (चार) एवं (पांच) के अधीन नियुक्त सदस्य द्वारा अपना पद रिक्त कर दिया गया समझा जाएगा, यदि —

(एक) उसे किसी सक्षम न्यायालय द्वारा विकृतचित्त या अनुन्मोचित दिवालिया घोषित कर दिया गया हो; या

(दो) उसे किसी ऐसे अपराध के लिए सिद्धदोष ठहराया गया है, जिसमें राज्य सरकार की राय में, नैतिक अधमता अंतर्वलित है; या

(तीन) एक नियोक्ता के रूप में, वह किसी भी श्रम संहिता के तहत न्यायालय द्वारा निर्णित किसी भी बकाया राशि का भुगतान नहीं करता है; या

(चार) वह केंद्र या राज्य सरकार का मंत्री, लोकसभा या राज्य विधानमंडल का अध्यक्ष या उपाध्यक्ष, या राज्यों की परिषद का उपाध्यक्ष बन जाता है।

परन्तु उपरोक्त अयोग्यता मंडल के पदेन सदस्यों पर लागू नहीं होगा।

(पांच) वह अध्यक्ष की अनुमति के बिना मंडल या उसकी किसी समिति की लगातार तीन बैठकों से अनुपस्थित रहता है; या

(छः) राज्य सरकार की राय में, अपने पदीय स्थिति का इस प्रकार दुरुपयोग किया है कि उस सदस्य का पद पर बने रहना जनहित के लिए हानिकारक है या अन्यथा ऐसी सरकार की राय में ऐसे सदस्य के रूप में बने रहने के लिए अनुपयुक्त या अनुचित है; या

(सात) भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकारों या उनके नियोक्ताओं का प्रतिनिधित्व करने वाले सदस्य के रूप में, उन्होंने पर्याप्त रूप से उनका प्रतिनिधित्व करना बंद कर दिया है।

परन्तु किसी भी व्यक्ति को खण्ड (पांच), (छः) और (सात) के तहत तब तक हटाया नहीं जाएगा, जब तक कि उस व्यक्ति को यह कारण बताने का अवसर नहीं दिया गया है कि, उसे क्यों नहीं हटाया जाना चाहिए।

(5) आकस्मिक रिक्तियों का भरा जाना.— किसी सदस्य की मृत्यु, उसके त्यागपत्र के कारण या अन्यथा उद्भूत हुई आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिए नियुक्त किया गया सदस्य, उस सदस्य, जिसके स्थान पर उसकी नियुक्ति की गई है, की पदावधि की शेष कालावधि तक पद धारण करेगा।

(6) प्रत्येक मंडल का बैठक एवं गणपूर्ति.—

(एक) मंडल की बैठक सामान्यतः तीन मास में एक बार होगी :

परन्तु अध्यक्ष, मंडल के कम से कम एक तिहाई सदस्यों से लिखित में अध्यक्षता प्राप्त होने के पन्द्रह दिन के भीतर, उसकी विशेष बैठक बुला सकेगा।

(दो) मंडल के किसी बैठक में कोई कारोबार तब तक संपादित नहीं किया जाएगा, जब तक कि कम से कम 6 सदस्य उपस्थित न हों, जिनमें से कम से कम एक सदस्य उनमें से होंगे, जो नियम 4 के उप-नियम (1) के खण्ड (चार) के अधधीन नियुक्त किये गये हों।

(7) बैठक की सूचना और कारोबार की सूची.— प्रत्येक बैठक की तारीख, समय तथा स्थान सूचित करने वाली सूचना, बैठक में संपादित किए जाने वाले कारोबार की सूची के साथ, बैठक से पन्द्रह दिन पूर्व प्रत्येक सदस्य को रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा या विशेष संदेशवाहक द्वारा भेजी जाएगी :

परन्तु जब अध्यक्ष, किसी ऐसे विषय पर विचार करने के लिए, जो उसकी राय में अत्यावश्यक प्रकृति का है, बैठक बुलाते हैं, तो कम से कम तीन दिन की सूचना पर्याप्त समझी जाएगी।

(8) बैठकों की अध्यक्षता.— अध्यक्ष, मंडल की समस्त बैठकों की अध्यक्षता करेंगे और यदि अध्यक्ष, मंडल के बैठक में उपस्थित रहने में किसी कारण से असमर्थ है तो अध्यक्ष द्वारा इस निमित्त नामनिर्देशित कोई सदस्य तथा ऐसा नामनिर्देशन न होने पर, बैठक में उपस्थित सदस्यों द्वारा उनके बीच से निर्वाचित कोई अन्य सदस्य, बैठक की अध्यक्षता करेंगे।

(9) कारोबार का संपादन.— ऐसे समस्त प्रश्न, जो मंडल की किसी बैठक के समक्ष आए, उपस्थित तथा मतदान करने वाले सदस्यों के बहुमत से विनिश्चित किए जाएंगे और मत बराबर होने की दशा में, अध्यक्ष या उसकी अनुपस्थिति में अध्यक्षता करने वाले व्यक्ति का द्वितीयक या निर्णायक मत होगा।

- (10) बैठक के कार्यवृत्त.— मंडल की प्रत्येक बैठक की कार्यवाही अभिलिखित की जाएगी तथा मंडल की अगली बैठक में पुष्टि के अध्यक्षीन रहते हुए, बैठक के पश्चात्, यथासंभव शीघ्र, अध्यक्ष के अनुमोदन के बाद, समस्त सदस्यों को वितरित की जाएगी। ऐसी पुष्टि के पश्चात्, कार्यवृत्त पुस्तक में अभिलिखित की जाएगी, जिसे स्थायी अभिलेख के लिए रखा जाएगा।
- (11) अशासकीय सदस्यों को देय भत्ते.— मंडल तथा उसकी उप-समितियों की बैठकों में उपस्थित होने के लिए प्रत्येक अशासकीय सदस्य को राज्य सरकार के प्रथम श्रेणी अधिकारियों को अनुज्ञेय दरों पर यात्रा-भत्ता तथा दैनिक-भत्ता संदत्त किया जाएगा।
- (12) मंडल की उप-समितियां.— (एक) मंडल, ऐसी उप-समितियाँ गठित कर सकेगा, जैसा कि वह उसके कर्तव्यों के समुचित निर्वहन के लिए उचित समझे।
- (दो) प्रत्येक उप-समिति की अध्यक्षता, मंडल के अध्यक्ष द्वारा की जाएगी तथा उसमें भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकारों, नियोजकों तथा राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व करने वाले मंडल के सदस्यों की बराबर संख्या होगी।
- (तीन) अध्यक्ष की अनुपस्थिति में, उप-समिति के उपस्थित सदस्य, बैठक की अध्यक्षता करने के लिए अपने में से एक का निर्वाचन करेंगे।
- (चार) उप-समिति की बैठक में कोई भी कार्य तब तक संपादित नहीं किया जायेगा, जब तक कि उसके सदस्यों में से कम से कम एक तिहाई सदस्य उपस्थित न हों, और उपस्थित सदस्यों में से कम से कम एक-एक सदस्य नियोजक एवं कर्मकारों का प्रतिनिधित्व करने वाले न हों।
- (पांच) तदर्थ प्रयोजन की अल्प अवधि के लिए गठित उप-समिति को छोड़कर, किसी उप-समिति का कार्यकाल, उसके गठन की तारीख से एक वर्ष का होगा:
- परन्तु उप-समिति, जब तक कि नई उप-समिति का गठन नहीं होता है, कार्य करती रहेगी :
- परन्तु यह और कि किसी भी दशा में कोई उप-समिति, उसके मूल गठन की तारीख से दो वर्ष की कालावधि के परे कार्य नहीं करेगी।
- (छः) प्रत्येक उप-समिति की अनुशंसाएं, मंडल के समक्ष उसके विनिश्चय के लिए रखी जाएगी।

(13) क्षेत्रीय कार्यालय.— मंडल, राज्य सरकार के अनुमोदन से, उतने क्षेत्रीय कार्यालय खोल सकेगा, जितने वह संहिता के अधीन उसके कृत्यों के दक्षतापूर्ण निर्वहन के लिए आवश्यक समझे।

(14) मंडल के कर्तव्य तथा कृत्य.— (एक) मंडल, संहिता की धारा 7 की उप-धारा (6) के अधीन निम्नलिखित के लिए उत्तरदायी होगा —

- (क) निधि के प्रसरकार से संबंधित सभी विषय, जिनमें उसमें जमा राशि के विनिधान के लिए नीतियां अभिकथित करना सम्मिलित है;
- (ख) संहिता के अधीन सरकार को वार्षिक बजट, वार्षिक सूचना तथा संपरीक्षित लेखे प्रस्तुत करना;
- (ग) संहिता के उपबंधों के अनुसार लेखाओं का समुचित अनुरक्षण तथा उनका वार्षिक संपरीक्षण;
- (घ) निधि में अंशदान एवं अन्य प्रभारों का संग्रहण;
- (ङ) संहिता में विनिर्दिष्ट तथा उसके अधीन विहित कृत्यों का पालन करना;
- (च) मंडल, समय-समय पर सरकार को ऐसी जानकारी देगा, जैसा कि वह उचित समझे।

(दो) प्रक्रियात्मक और प्रसुविधाओं से संबंधित अन्य अवशिष्ट मामलों को अवधारित करते हुये बोर्ड द्वारा योजनाओं की अधिसूचना—

मंडल, विनिर्दिष्ट की गई प्रत्येक सुविधा या प्रसुविधाओं के समूह के बारे में, उन प्रक्रियाओं, प्रारूपों तथा अन्य समस्त अवशिष्ट मामलों को अधिकथित करते हुए एक योजना, जो संहिता तथा इन नियमों में उपबंधित है, तैयार करेगा और राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से, योजना को अधिसूचित करेगा, जिसके अंतर्गत निम्नलिखित होंगे—

- (क) वे दरें, जिन पर विभिन्न प्रसुविधाएं देय होंगे;
- (ख) आवेदन करने की प्रक्रिया तथा प्रारूप;
- (ग) मंजूरी देने की प्रक्रिया तथा मंजूरी देने के लिए सक्षम प्राधिकारी;
- (घ) संवितरण के लिए प्रक्रिया; और
- (ङ) कोई अन्य आनुषंगिक मामले।

(15) सचिव, अन्य अधिकारियों तथा कर्मचारी की नियुक्ति.—

(एक) मंडल, राज्य सरकार की पूर्व सहमति से, छत्तीसगढ़ सरकार के एक अधिकारी को, जो सहायक श्रमायुक्त की पदश्रेणी से निम्न पदश्रेणी का न हो, मंडल के सचिव के रूप में नियुक्त कर सकेगा।

(दो) मंडल, ऐसे अन्य अधिकारियों तथा कर्मचारियों को नियुक्त कर सकेगा, जैसा कि वह उसके कृत्यों के दक्षतापूर्ण निर्वहन के लिए आवश्यक समझे :

परन्तु मंडल में कोई पद तब तक नहीं भरा जाएगा, जब तक कि उसके सृजन को राज्य सरकार द्वारा पहले से अनुमोदित न कर दिया गया हो।

(16) मंडल के अधिकारियों और कर्मचारियों की भर्ती प्रक्रिया तथा सेवा शर्तें.—

(एक) मंडल के अधिकारियों तथा कर्मचारियों का वर्गीकरण, वेतनमान, भत्ते, भर्ती की प्रक्रिया तथा सेवा के निबंधन और शर्तें, ऐसी होंगी, जैसा कि राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से, मंडल द्वारा अवधारित किया जाये।

(दो) यदि किसी विशिष्ट मामले में, किसी उपबंध के निर्वहन या उसके लागू होने के बारे में कोई विवाद या कठिनाई उद्भूत हो, तो मामला, राज्य सरकार को निर्दिष्ट किया जाएगा, जिस पर उसका निर्णय अंतिम होगा।

5. संहिता की धारा 7 की उप-धारा (6) के खण्ड (ग) के अधीन लाभार्थियों की समूह बीमा योजना, खण्ड (घ) के अधीन लाभार्थियों के बच्चों के लाभ के लिए शैक्षिक योजनाएं और खण्ड (ड) के अधीन लाभार्थी की प्रमुख बीमारियों के उपचार के लिए चिकित्सा व्यय या इस तरह के आश्रित के लिए प्रीमियम के संबंध में राशि.— संहिता की धारा 7 की उप-धारा (6) में उल्लिखित कल्याणकारी योजनाओं के होते हुए भी, मंडल, राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से, भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकारों के लिए निम्नलिखित योजनाएं भी बना सकती हैं:

- (1) लाभार्थियों की समूह बीमा योजना के लिए प्रीमियम के संबंध में ऐसी राशि का भुगतान करना;
- (2) लाभार्थियों के बच्चों के लाभ के लिए शैक्षिक योजनाओं को तैयार करना; तथा
- (3) किसी लाभार्थी या उनके आश्रित की प्रमुख बीमारियों के उपचार के लिए इस तरह के चिकित्सा व्यय को प्रदान करना।

अध्याय—तीन कर्मचारी बीमा न्यायालय

6. रीति और समय, जिसके भीतर बीमाकृत व्यक्ति या निगम द्वारा संहिता की धारा 37 की उप-धारा (7) के खण्ड (ख) के अधीन कर्मचारी बीमा न्यायालय में दूसरी अपील दायर की जा सकती है.— यथास्थिति, बीमित व्यक्ति या निगम, चिकित्सा मंडल या चिकित्सा अपील अधिकरण के निर्णय की संसूचना के 90 दिवस के भीतर एक आवेदन प्रस्तुत करके, कर्मचारी बीमा न्यायालय में अपील कर सकता है:

परन्तु कर्मचारी बीमा न्यायालय 90 दिवस की अवधि के पश्चात् आवेदन पर विचार कर सकता है, यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि अपीलकर्ता के पास उक्त अवधि के भीतर आवेदन प्रस्तुत नहीं करने के लिए पर्याप्त कारण थे।

7. संहिता की धारा 50 की उप-धारा (2) और उप-धारा (3) के अधीन कर्मचारी बीमा न्यायालय द्वारा अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया.—

- (1) न्यायालय की संरचना तथा बैठक का स्थान—

(एक) न्यायालय सामान्यतः एक न्यायाधीश से गठित होगा।

परन्तु सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, किसी विशिष्ट कार्यवाही या कार्यवाहियों के वर्ग के लिए ऐसी कालावधि के लिए, जो अधिसूचना में विनिर्दिष्ट की जाए, न्यायालय के लिए दो या अधिक न्यायाधीशों की नियुक्ति कर सकेगा।

(दो) नियम 7 के उप-नियम (3) के उपबंधों के अधीन रहते हुए, न्यायालय की बैठक ऐसे स्थान या स्थानों पर तथा ऐसे समय पर होगी, जैसा कि सरकार समय-समय पर विनिर्दिष्ट करें।

- (2) जहां एक से अधिक न्यायालय हों, वहाँ कार्य का वितरण.— जहां एक ही स्थानीय क्षेत्र के लिये एक से अधिक न्यायालय गठित किए गये हों, वहाँ सरकार, सामान्य या विशेष आदेश द्वारा, उनके बीच कार्य का वितरण कर सकेगा।

- (3) बैठक इत्यादि के समय का नियतन.— (एक) जहां दो या अधिक स्थानीय क्षेत्रों के लिये एक ही न्यायालय गठित किया गया हो, न्यायालय, सरकार के अनुमोदन के अधीन रहते हुये, वह समय नियत करेगा, जिसमें न्यायालय

प्रत्येक स्थानीय क्षेत्र के संबंध में या संहिता के अधीन कार्यवाहियों के किसी वर्ग के संबंध में आसीन होगा।

(दो) खण्ड (एक) के अधीन नियत किए गये समय की सूचना, ऐसी रीति में प्रकाशित की जायेगी, जैसा कि सरकार समय-समय पर निर्देशित करे।

(4) प्रक्रिया, जहां एक से अधिक न्यायाधीश हों.—

(एक) जहां न्यायालय के लिये एक से अधिक न्यायाधीश नियुक्त किए गये हों, वहां सरकार उनकी पदस्थिति (रैंक) तथा पूर्वता (प्रिंसीपेंस) विनिर्दिष्ट करेगा।

(दो) तत्समय वरिष्ठ न्यायाधीश, समय-समय पर न्यायाधीशों के बीच न्यायालय के कार्य के वितरण के संबंध में ऐसी व्यवस्था करेगा, जैसा कि वह उचित समझे।

(तीन) जब दो या अधिक आसीन न्यायाधीशों के बीच किसी प्रश्न पर मतभेद हो, तब ऐसे न्यायाधीशों का बहुमत अभिभावी होगा, जहां बहुमत न हो, वहां जब तक कि सरकार अन्यथा निर्देशित न करे, वरिष्ठतम न्यायाधीश का मत अभिभावी होगा।

(5) न्यायालय की समाप्ति इत्यादि.— सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, किसी भी न्यायालय को समाप्त या न्यायालय का क्षेत्राधिकार परिवर्तित कर सकेगा।

(6) नियुक्ति वेतन, भत्ते आदि.—

(एक) सरकार, ऐसे व्यक्ति को, जो संहिता की धारा 48 के अधीन अर्हता रखता हो, न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त कर सकेगा।

(दो) न्यायाधीश ऐसे वेतन एवं भत्ते प्राप्त करेगा, जैसा कि राज्य सरकार समय-समय पर अवधारित करे।

(तीन) न्यायाधीश, मंहगाई भत्ता, नगर क्षतिपूर्ति भत्ता, गृह भाड़ा भत्ता तथा अन्य भत्ते, ऐसी दरों तथा ऐसी शर्तों पर प्राप्त कर सकेगा, जो कि उसी स्थान पर नियुक्त किए गए सरकार के उसी पदस्थिति (रैंक) के पदाधिकारियों को लागू होती है।

- (चार) न्यायाधीश ऐसे अवकाश नियमों के अधीन, जो कि समय-समय पर समान प्रास्थिति के तथा समतुल्य परिलब्धियां पाने वाले शासकीय सेवकों को लागू हों, अवकाश तथा अवकाश वेतन के हकदार होंगे।
- (पांच) न्यायाधीश, शासकीय कामकाज के सिलसिले में की गई यात्राओं के लिए, ऐसे मान (स्केल) के अनुसार यात्रा भत्ते के हकदार होंगे, जो कि उस वर्ग, जिससे कि सरकार की राय में, ऐसा न्यायाधीश सम्बन्धित हो, के पदाधिकारियों को लागू होता है।
- (छः) न्यायाधीश, ऐसी अन्य सेवा शर्तों के अधीन होगा, जैसा कि राज्य सरकार अवधारित करे।
- (सात) खण्ड (दो) से (पांच) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुये भी न्यायाधीश का, यदि वह पहले से ही सरकार की सेवा में हो, वेतन भत्ते तथा अन्य सेवा शर्तें ऐसी होंगी, जैसा कि राज्य सरकार सामान्य या विशेष आदेश द्वारा समय-समय पर अवधारित करे।
- (7) अन्य अधिकारियों तथा अधीनस्थ कर्मचारी की नियुक्ति.—
- (एक) सरकार, ऐसे अनुसचिवीय अधिकारियों तथा अन्य कर्मचारी की नियुक्ति कर सकेगा, जो कि संहिता द्वारा या उसके अधीन न्यायालय को प्रदत्त की गई शक्तियों के प्रयोग तथा उस पर अधिरोपित किये गये कर्तव्यों के निष्पादन के लिये आवश्यक हो।
- (दो) न्यायालय के अनुसचिवीय अधिकारी तथा अधीनस्थ कर्मचारी ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेंगे तथा ऐसे कर्तव्यों का निर्वहन करेंगे, जो कि न्यायाधीश या यदि एक से अधिक न्यायाधीश हों तो वरिष्ठ न्यायाधीश, सरकार के किसी आदेश के अधीन रहते हुए, समय-समय पर निर्देशित करें।
- (तीन) न्यायालय के अनुसचिवीय अधिकारी तथा अधीनस्थ कर्मचारी ऐसी सेवा के अधीन होंगे और ऐसे वेतन तथा अन्य परिलब्धियां तथा लाभ प्राप्त करेंगे, जैसा कि सरकार द्वारा अवधारित किया जाये।
- (8) उच्च न्यायालय का प्रशासनिक नियंत्रण.— समस्त न्यायालय, उच्च न्यायालय के प्रशासनिक नियंत्रण और अधीक्षण के अधीन होंगे, तथा —

- (एक) ऐसे रजिस्टर, पुस्तकें तथा लेखे रखेंगे, जैसा कि उच्च न्यायालय द्वारा समय-समय पर विहित किया जाये; तथा
- (दो) सेवा अभिलेख विवरणियां तथा कथन, ऐसे प्ररूप और ऐसी रीति में, जैसा कि अध्यक्ष करने वाले प्राधिकारी द्वारा निर्देशित किया जाए, प्रस्तुत करने के लिए ऐसी अध्यक्षों का पालन करेंगे, जैसा कि उच्च न्यायालय या सरकार द्वारा की जाए।
- (9) मुद्रा.— न्यायालय ऐसे आकार, माप तथा रूपांकन की मुद्रा रखेगा, जैसा कि सरकार द्वारा निर्देशित किया जाए।
- (10) आवेदन पत्र.—
- (एक) संहिता की धारा 49 के अधीन प्रत्येक कार्यवाही न्यायालय को आवेदन पत्र प्रस्तुत कर, संस्थित की जाएगी।
- (दो) ऐसा प्रत्येक आवेदन पत्र, उस रीति में सत्यापित किया जायेगा, जिस रीति में व्यवहार न्यायालय में अभिकथनों को सत्यापित किया जाता है और उसके साथ उसकी दो प्रतियां संलग्न की जायेंगी।
- (तीन) आवेदन पत्र, प्ररूप—एक में प्रस्तुत किया जाएगा। इन नियमों के अनुसार सम्यक् रूप से मुद्रांकित किया जाएगा तथा इसमें निम्नलिखित विशिष्टियां अन्तर्विष्ट होंगे—
- (क) उस न्यायालय का नाम, जिसमें आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया हो;
- (ख) आवेदक का पूरा नाम, पिता का नाम तथा विवरण, जिसमें आयु, व्यवसाय और आवेदक के निवास स्थान का पूर्ण पता सम्मिलित होगा;
- (ग) विरोधी पक्षकार का पूरा नाम, पिता का नाम तथा विवरण, जिसमें आयु, व्यवसाय और विरोधीपक्ष के निवास स्थान का पूर्ण पता, जहाँ तक वे ज्ञात हो सम्मिलित होगा;
- (घ) जहाँ आवेदक या विरोधी पक्षकार अवयस्क हो या विकृत चित्त का व्यक्ति हो, वहां उस आशय का कथन तथा उसके वाद-मित्र या संरक्षक का पूरा नाम, आयु, व्यवसाय तथा पता;

- (ड) वाद कारण की रचना करने वाले तथ्य तथा वह दिनांक, जिसमें वह उद्भूत हुआ हो;
- (च) न्यायालय के क्षेत्राधिकार को दर्शाने वाला तथ्य;
- (छ) न्यायालय के क्षेत्राधिकार के भीतर यह दर्शाने वाली विशिष्टियां, जिन पर कि सूचना या समन, आवेदक पर तामील किए जा सकेंगे; और
- (ज) अनुतोष, जिसका कि आवेदक दावा करता हो।
- (चार) यदि आवेदन पत्र खण्ड (तीन) के अनुसार न हो तो आवेदक को उनके आवेदन में सुधार करने का अवसर दिया जा सकता है। आवेदन पुनः प्रस्तुत करने पर, यदि आवेदन में खण्ड (तीन) के तहत उल्लिखित सभी विवरण शामिल नहीं हैं, तो उसे अस्वीकार किया जा सकता है।
- (11) दस्तावेजों का पेश किया जाना.—
- (एक) जब कोई आवेदन, किसी दस्तावेज पर आधारित हो, तो वह दस्तावेज, आवेदन पत्र के साथ संलग्न किया जायेगा।
- (दो) कोई भी अन्य दस्तावेज, जो कि कोई पक्षकार साक्ष्य में प्रस्तुत करना चाहता हो, प्रथम सुनवाई पर या उसके पूर्व प्रस्तुत किया जाएगा।
- (तीन) कोई भी दस्तावेज, जो यथास्थिति खण्ड (एक) या (दो) में उल्लेखित समय पर या उसके भीतर प्रस्तुत न किया गया हो, उस पक्षकार की ओर से, जिसे कि उसे प्रस्तुत करना चाहिये था, न्यायालय की अनुज्ञा के बिना, साक्ष्य में ग्राह्य नहीं होगा।
- (चार) ऐसे समस्त दस्तावेजों के साथ प्ररूप—दो में विहित रीति में तैयार की गई उनकी सही सूची संलग्न होगी।
- (पांच) इस नियम में दी गई कोई भी बात, ऐसे किसी भी दस्तावेज पर लागू नहीं होगी, जो कि गवाही के लिए प्रतिपरीक्षण के प्रयोजन हेतु तैयार किया जाता है या उसकी याददास्त को ताजा करने के लिए किसी गवाह को सौंप दिया जाता है।
- (12) कार्यवाहियों का रजिस्टर.— समस्त आवेदन पत्र, कार्यवाहियों के एक रजिस्टर के नाम से ज्ञात एक रजिस्टर में, जो प्ररूप—तीन में होगा, प्रविष्ट

किए जाएंगे। ऐसी प्रविष्टियाँ, प्रत्येक कलेण्डर वर्ष के लिये उस क्रम के अनुसार क्रमांकित की जाएंगी, जिस क्रम में आवेदन-पत्र प्रस्तुत किए गए हों।

- (13) वाद प्रस्तुत करने का स्थान.— ऐसे मामलों में, जो उप-नियम (1) के खण्ड (दो) के अंतर्गत नहीं आते हों, किसी भी व्यक्ति के विरुद्ध कार्यवाही उस न्यायालय में संस्थित की जाएगी, जिसके क्षेत्राधिकार की स्थानीय सीमाओं के भीतर —

(एक) विपक्षी पक्षकार या जहाँ एक से अधिक विपक्षी पक्षकार हों वहाँ उनमें से प्रत्येक विपक्षी पक्षकार, कार्यवाहियों के प्रारम्भ के समय वस्तुतः तथा स्वेच्छापूर्वक निवास करता हो, या कारोबार करता हो या अभिलाभ के लिए व्यक्तिशः कार्य करता हो; या

(दो) जहाँ एक से अधिक विपक्षी पक्षकार हों, वहाँ कोई भी विपक्षी पक्षकार, कार्यवाहियों के प्रारम्भ के समय वस्तुतः तथा स्वेच्छापूर्वक निवास करते हों या कारोबार करता हो या अभिलाभ के लिए व्यक्तिशः कार्य करते हों, परन्तु यह कि मामले में न्यायालय अनुमति देता हो अथवा ऐसे संस्थितिकरण के लिए मौन सम्मति होने पर, विपरीत पक्षकार, जो निवास नहीं करते हैं, या कारोबार नहीं करते हों या व्यक्तिशः पूर्वोक्त लाभ के लिए काम नहीं करते हों; या

(तीन) वाद कारण पूर्णतः या अंशतः उद्भूत हुआ हो।

- (14) अन्य न्यायालय में प्रस्तुत किए गए आवेदन—

(एक) जहाँ आवेदन पत्र प्राप्त होने पर, न्यायालय को यह प्रतीत हो कि वह किसी अन्य न्यायालय में प्रस्तुत किया जाना चाहिए, तो वह उस पर प्रस्तुत किए जाने तथा वापस किए जाने के दिनांक, वापस करने का कारण तथा उस न्यायालय का, जिसको कि उसे प्रस्तुत किया जाना चाहिए, पदनाम पृष्ठांकित करने के पश्चात् आवेदक को आवेदन वापस कर देगा।

(दो) वहाँ आवेदन पत्र के प्रस्तुतीकरण के पश्चात्, किसी भी प्रक्रम में न्यायालय को यह प्रतीत हो कि आवेदन पत्र उसी राज्य में किसी दूसरे न्यायालय को प्रस्तुत किया जाना चाहिए था, तो वह आवेदन

पत्र को ऐसे न्यायालय को, जो उसके संबंध में कार्यवाही करने के लिए सशक्त हो, भेजेगा और आवेदक को, (तथा विपक्षी पक्षकार को, यदि उसे उप-नियम (16) के अधीन आवेदन पत्र की प्रति प्राप्त हो चुकी है), तदनुसार सूचना देगा।

(तीन) वह न्यायालय, जिसे खण्ड (दो) के अधीन आवेदन पत्र अंतरित किया हो, यदि उसका इस बात से समाधान हो जाए कि पक्षकारों के हितों पर इस कारण से कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा, कार्यवाही को इस प्रकार जारी रख सकेगा, मानों कि कार्यवाही या उसका कोई भाग उसके समक्ष ही हुआ था।

(15) समन का जारी किया जाना.—

(एक) न्यायालय, आवेदन पत्र प्राप्त होने पर, यदि वह, आवेदन पत्र के प्राप्त होने के तीन दिन के भीतर ही उप-नियम (10) के खण्ड (चार) के अधीन नामंजूर न कर दिया गया हो, उस पक्षकार को, जिसके विरुद्ध आवेदक अनुतोष का दावा करता हो, (जो इसमें इसके पश्चात् “विपक्षी पक्षकार” के रूप में निर्दिष्ट है) ऐसे दिनांक को, जो ऐसे समन के जारी होने के दिनांक से पंद्रह दिन के भीतर होगा, उपसंजात होने तथा आवेदन पत्र का उत्तर देने के लिए, यथास्थिति, प्ररूप-चार या प्ररूप-पांच में समन भिजवायेगा :

परंतु जब आवेदन पत्र के प्रस्तुत किए जाने पर विरोधी पक्षकार उपसंजात हुआ हो और आवेदन का दावा स्वीकार कर लिया हो, तब कोई भी ऐसा समन जारी नहीं किया जायेगा।

(दो) खण्ड (एक) के अधीन समन के साथ आवेदन पत्र की एक प्रति भी भेजी जायगी।

(16) समन या सूचना की तामील.—

(एक) समन या सूचना, अपेक्षित फीस के भुगतान पर, उस न्यायालय द्वारा, जिसके द्वारा वह जारी की गई हो, या तो रजिस्ट्रीकृत डाक से या ऐसी अन्य रीति में, भेजी जा सकेगी, जैसा कि न्यायालय उचित समझे।

(दो) जहाँ न्यायालय का यह समाधान हो जाता है कि यह विश्वास करने का कारण है कि विपक्षी पक्षकार, तामील की अवहेलना कर रहा है या यह कि किसी कारण से समन या सूचना साधारण ढंग से तामील नहीं की जा सकती, वहाँ न्यायालय यह आदेश देगा कि समन या सूचना की तामील उसकी एक प्रति न्यायालय भवन के किसी सहज दृश्य स्थान पर, तथा उस गृह के, जिसमें कि विपक्षी पक्षकार का अन्ततः निवास करना या कारोबार करना या अभिलाष के लिए व्यक्तिशः कार्य करना ज्ञात हो, किसी सहज दृश्य भाग पर भी चिपकवाकर या ऐसी अन्य रीति में, जो कि न्यायालय उपयुक्त समझे, की जाए और वह तामील, उसी प्रकार प्रभावशाली होगी मानो कि वह विपक्षी पक्षकार पर व्यक्तिशः की गई हो।

(तीन) जहाँ समन या सूचना, खण्ड (दो) के अधीन तामील हो चुकी हो, वहाँ न्यायालय विपक्षी पक्षकार की उपसंज्ञाति के लिए ऐसा समय नियत करेगा, जो कि मामले की परिस्थितियों से अपेक्षित हो।

(17) समन में अतिरिक्त बातें.— न्यायालय, समन जारी करते समय, यह अवधारित करेगा कि क्या यह (समन) केवल वाद हेतुक के निर्णयन के लिए होगा या आवेदन पत्र के अंतिम निपटारे के लिए होगा और समन में तदनुसार निर्देश अंतर्विष्ट होगा।

न्यायालय, उस दिनांक को पक्षकारों को कोई ऐसी साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए भी अपेक्षित कर सकेगा, जो वे प्रस्तुत करना चाहते हों।

(18) निर्योग्यता प्रश्न से जुड़ी कार्यवाही.— जहाँ किसी कार्यवाही से न्यायालय के समक्ष कोई निर्योग्यता का प्रश्न (जैसा कि संहिता की धारा 37 में परिभाषित किया गया है) उद्भूत हो और जिस पर चिकित्सा मंडल या चिकित्सा अपील अधिकरण का निर्णय प्राप्त नहीं किया गया हो और जिस पर ऐसा निर्णय न्यायालय के समक्ष उद्भूत प्रश्न अथवा दावे के निराकरण हेतु आवश्यक हो, तो न्यायालय निगम को निर्देशित करेगा कि वह, संहिता की धारा 37 के अनुसार प्रश्न का निर्णय करे और तत्पश्चात्, न्यायालय

द्वारा संहिता की धारा 49 के अधीन विवेचनाधीन प्रश्न या दावे के निराकरण हेतु कार्यवाही करेगा।

(19) लिखित कथन.—

(एक) विपक्षी पक्षकार, प्रथम सुनवाई पर या उसके पूर्व या ऐसे समय के भीतर, जैसा कि न्यायालय अनुमति दे, ऐसे दस्तावेज, जिनका कि वह अवलम्बन लेता हो तथा प्ररूप—दो में उनकी सही सूची सहित, अपनी प्रतिरक्षा का लिखित कथन और यदि ऐसा करने के लिए न्यायालय द्वारा अपेक्षित किया जाये तो, प्रस्तुत कर सकेगा।

(दो) प्रत्येक ऐसा लिखित कथन, उसी रीति में सत्यापित किया जाएगा जिस रीति में सिविल न्यायालय में अभिवचनों को सत्यापित किया जाता है और उसके साथ उसकी दो प्रतियाँ संलग्न की जायेंगी।

(तीन) खण्ड (एक) के अधीन प्रस्तुत किए गए किसी भी लिखित कथन में विपक्षी पक्षकार, आवेदक द्वारा अभिकथित तथ्य के प्रत्येक अभिकथन का, जिसकी सत्यता को वह स्वीकार करता हो, स्वीकार न करता हो, या जिससे वह इंकार करता हो, उल्लेख करेगा। लिखित कथन में ऐसी समस्त बातें, जो यह दर्शाती हो कि आवेदन पत्र, विशिष्ट रूप से संधारण योग्य नहीं है तथा प्रतिरक्षा के समस्त आधार, जिनके प्रस्तुत न किए जाने से सम्भवतः आवेदक विस्मय में पड़ जाएगा, या तो ऐसे प्रतिरक्षा के सभी आधार जैसे कपट, असम्यक् असर या दबाव, सम्मोचन, भुगतान, निष्पादन या संव्यवहार की अवैधता दर्शाने वाले तथ्य, जो आवेदन पत्र से उद्भूत न होते हों, भी अन्तर्विष्ट होने चाहिए।

(20) न्यायालय द्वारा मांगे गए लिखित कथन को प्रस्तुत करने में चूक.—

जहाँ कोई पक्षकार, जिससे कि लिखित कथन अपेक्षित किया गया हो, न्यायालय द्वारा विहित किए गए समय के भीतर उसे प्रस्तुत करने में असफल रहता है, वहाँ न्यायालय, उसके विरुद्ध निर्णय सुना सकेगा या कार्यवाही के संबंध में ऐसा आदेश दे सकेगा, जैसा कि वह उचित समझे।

(21) विवाद्यकों की रचना.—

(एक) समन जारी कर दिए जाने के पश्चात् आवेदन की प्रथम सुनवाई पर, न्यायालय आवेदन तथा लिखित कथन, यदि कोई हो, पर विचार करने के पश्चात् या पक्षकारों या किसी व्यक्ति या किसी दस्तावेज की ऐसी परीक्षण करने के पश्चात्, जैसा कि आवश्यक प्रतीत हो, यह सुनिश्चित करेगा कि तथ्य या विधि की किस सारवान प्रस्थापना पर पक्षकारों में असमंजस्य है, और तदुपरांत ऐसे विवाद्यक विरचित तथा अभिलिखित करेगा, जिन पर न्यायोचित निर्णय का निर्भर होना, प्रतीत होता हो।

(दो) विवाद्यकों को अभिलिखित करने में, न्यायालय, उन विवाद्यकों, जो उसकी राय में तथ्य की बातों से संबंध रखते हों तथा उन विवाद्यकों, जो विधि की बातों से संबंध रखते हों, के बीच भेद करेगा।

(तीन) न्यायालय, वैसी ही रीति में अपना अंतिम आदेश पारित करने के पूर्व, किसी भी समय विवाद्यक में, ऐसे निबन्धनों पर, जैसा कि वह उचित समझे, कुछ जोड़ सकेगा, उसमें से कुछ हटा सकेगा, या उसमें किसी भी प्रकार संशोधित कर सकेगा।

(22) उस मामले में आदेश जहाँ पक्षकार विवादग्रस्त न हो.— जहाँ मामले की किसी भी सुनवाई में यह प्रतीत हो कि पक्षकार, विधि या तथ्य के किसी प्रश्न पर विवादग्रस्त नहीं है, न्यायालय तत्काल अपना अंतिम आदेश सुना सकेगा।

(23) पक्षकारों का उपसंजात होना और उपसंजात न होने के परिणाम.—

(एक) विरोधी पक्षकार को उत्तर देने के लिए समन में नियत किए दिन को पक्षकार या तो व्यक्तिशः या अपने-अपने विधि व्यवसायियों या संहिता की धारा 51 के अधीन प्राधिकृत किए गए किसी अन्य व्यक्ति के माध्यम से न्यायालय में उपस्थित होंगे और यदि न्यायालय द्वारा सुनवाई स्थगित न कर दी जाये, तो आवेदन की सुनवाई की जाएगी।

- (दो) आवेदन की सुनवाई के लिए पुकार लगाये जाने पर, जब कोई भी पक्षकार उपसंजात न हो, तो न्यायालय यह आदेश कर सकेगा कि आवेदन खारिज कर दिया जाए।
- (तीन) जहां कि आवेदन की सुनवाई के लिए पुकार लगाये जाने पर, विरोधी पक्षकार उपसंजात हो और आवेदक उपसंजात न हो, तो न्यायालय यह आदेश करेगा कि आवेदन खारिज कर दिया जाए, जब तक कि विरोधी पक्षकार दावा या उसके किसी भाग को स्वीकार न करता हो, जिस दशा में न्यायालय ऐसी स्वीकारोक्ति पर विरोधी पक्षकार के विरुद्ध आदेश करेगा, और जहाँ दावे का केवल कोई भाग स्वीकार किया गया हो, वहाँ वह मामले को, जहाँ तक कि वह शेष भाग संबंधित हो, खारिज कर देगा।
- (चार) जहां कि आवेदन की सुनवाई के लिए पुकार लगाये जाने पर, आवेदक उपसंजात हो और विरोधी पक्षकार समन प्राप्त हो जाने के पश्चात् भी उपसंजात होने में असफल रहे, तो न्यायालय एक पक्षीय कार्यवाही कर सकेगा।
- (पांच) जहां आवेदन खण्ड (दो) या (तीन) के अधीन पूर्णतः या अंशतः खारिज कर दिया गया हो, आवेदक ऐसे खारिज किए जाने के तीस दिन के भीतर ऐसे खारिज किए जाने को अपास्त करने के लिए प्ररूप-छः में आवेदन कर सकेगा और न्यायालय, यदि उसका यह समाधान हो जाए कि वह (आवेदक) कार्यवाही की सुनवाई के लिए पुकार लगाये जाने के समय किसी पर्याप्त कारण से उपसंजात नहीं हो सका था, तो वह खर्चे या अन्य बातों के संबंध में ऐसे निबन्धनों पर, जो कि वह उचित समझे, ऐसे खारिज किए जाने को अपास्त करने का आदेश दे सकेगा और मामले में आगे कार्यवाही कर सकेगा या मामले में कार्यवाही करने के लिए दिन नियत कर सकेगा:

परंतु इस खण्ड के अधीन ऐसे आवेदन के संबंध में, जो खण्ड (तीन) के अधीन खारिज कर दिया गया हो, कोई आदेश तब तक नहीं किया जाएगा, जब तक कि आवेदन की सूचना, प्ररूप-सात में विरोधी पक्षकार पर तामील न कर दी गई हो।

(छ:) किसी भी ऐसे आवेदन में, जिसमें कि विरोधी पक्षकार के खिलाफ एक पक्षीय आदेश दिया गया हो, वह (विरोधी पक्ष) ऐसे आदेश की तारीख से तीस दिन के भीतर उस न्यायालय को, जिसने की वह आदेश दिया हो, उस आदेश को अपास्त करने के लिए प्ररूप-छ: में आवेदन कर सकेगा और यदि न्यायालय का यह समाधान हो जाए कि वह कार्यवाही या सुनवाई के लिए पुकार लगाये जाने के समय किसी पर्याप्त कारण से उपसंजात नहीं हो सका था, तो वह उसकी सूचना प्ररूप-सात में आवेदक पर तामील करने के पश्चात् खर्च तथा अन्य बातों के संबंध में ऐसे निबंधनों पर, जो कि वह उचित समझे, आदेश को अपास्त करने का आदेश कर सकेगा और मामले में कार्यवाही कर सकेगा या उसके संबंध में कार्यवाही करने के लिए दिन नियत कर सकेगा।

(24) साक्षियों को समन.—

(एक) विवाद्यक विरचित हो जाने के पश्चात् किसी भी समय, न्यायालय पक्षकारों को विवाद्यकों के समर्थन में अपनी साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिये बुला सकेगा।

(दो) न्यायालय, किसी भी पक्षकार के आवेदन पर किसी साक्षी को हाजिर होने या कोई दस्तावेज प्रस्तुत करने का निर्देश देते हुए प्ररूप-आठ में समन जारी कर सकेगा।

(तीन) न्यायालय, खण्ड (दो) के अधीन आवेदन पर किसी साक्षी को समन करने के पूर्व, यह अपेक्षा कर सकेगा कि न्यायालय में हाजिर होने के लिए, होने वाले उसके (साक्षी के) युक्ति-युक्त व्यय न्यायालय में जमा कर दिए जाये।

(25) समय का दिया जाना तथा सुनवाई का स्थगन.—

(एक) न्यायालय, पर्याप्त कारण दर्शित किये जाने पर, आवेदन के किसी भी प्रक्रम पर, पक्षकारों को या उनमें से किसी को समय दे सकेगा, और समय-समय पर आवेदन की सुनवाई स्थगित कर सकेगा।

(दो) ऐसे प्रत्येक स्थगन में, न्यायालय आवेदन की आगे की सुनवाई के लिए ऐसा दिन नियत करेगा जो उस दिनांक से, जिसको कि ऐसा स्थगन

किया गया हो, पन्द्रह दिन से अधिक का नहीं होगा तथा स्थगन द्वारा होने वाले खर्च के संबंध में ऐसा आदेश दे सकेगा, जैसा कि वह उचित समझे :

परंतु जब एक बार आवेदन की सुनवाई प्रारंभ हो चुकी हो, आवेदन की सुनवाई, जब तक कि न्यायालय को अभिलेखबद्ध किए जाने वाले कारणों से, सुनवाई को आगामी दिन के लिए स्थगित करना आवश्यक प्रतीत न हो, प्रतिदिन तक चालू रखी जाएगी, जब तक कि समस्त हाजिर साक्षियों की परीक्षण न हो जाए।

(26) कार्यवाही प्रारंभ करने का अधिकार.— आवेदक को (कार्यवाही) प्रारंभ करने का अधिकार होगा, जब तक कि विरोधी पक्षकार आवेदक द्वारा अभिकथित तथ्यों को स्वीकार न करे और यह प्रतिवाद न करे कि या तो विधि के बिंदु पर या विरोधी पक्षकार द्वारा अभिकथित किन्हीं अतिरिक्त तथ्यों पर, आवेदक उसके द्वारा चाहे गए अनुतोष का हकदार नहीं है, उस दशा में विरोधी पक्षकार को (कार्यवाही) प्रारंभ करने का अधिकार होगा।

(27) कथन तथा साक्ष्य का प्रस्तुत किया जाना.—

(एक) आवेदन की सुनवाई के लिए नियत दिन को या किसी अन्य दिन को, जिस दिन के लिए सुनवाई स्थगित की गई हो, वह पक्षकार जिसको कि (कार्यवाही) प्रारंभ करने का अधिकार हो, अपने मामले का कथन करेगा यदि कोई और उन विवादों के, जिन्हें कि सिद्ध करने के लिए वह बाध्य हो, समर्थन में अपनी साक्ष्य प्रस्तुत करेगा।

(दो) जब दूसरा पक्षकार, अपने मामले का कथन करेगा और अपनी साक्ष्य (यदि कोई हो) प्रस्तुत करेगा और तब न्यायालय को सामान्यतः सम्पूर्ण मामले के संबंध में निवेदन करेगा।

(तीन) कार्यवाही प्रारंभ करने वाला पक्षकार तब सामान्यतः सम्पूर्ण मामले पर उत्तर दे सकेगा।

(चार) इस नियम में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी न्यायालय यह आदेश दे सकेगा कि साक्ष्य का प्रस्तुतीकरण या न्यायालय को किया जाने वाला निवेदन, किसी ऐसे क्रम में होगा, जैसा कि वह उचित समझे।

- (28) साक्ष्य अभिलिखित करने की रीति.— प्रत्येक साक्षी का साक्ष्य, न्यायाधीश द्वारा या जहाँ एक से अधिक न्यायाधीश हों, वहाँ कनिष्ठ न्यायाधीश द्वारा या किसी भी ऐसे न्यायाधीश के विवेकानुसार खुले न्यायालय में, न्यायालय की भाषा में, साधारणतः प्रश्नोत्तर के रूप में लेखबद्ध न की जाकर वर्णनात्मक रूप में लिखित की जाएगी, और पूरा हो जाने पर वह ऐसे न्यायाधीश की उपस्थिति में साक्षी को पढ़कर सुनाई जाएगी या जहाँ आवश्यक हो वहाँ उसका अनुवाद कर साक्षी को दिया जाएगा और ऐसा न्यायाधीश, यदि आवश्यक हो, उसे सुधारेगा और उस पर हस्ताक्षर करेगा।
- (29) किसी साक्षी को वापस बुलाया जाना.— न्यायालय कार्यवाही के किसी भी प्रक्रम पर किसी साक्षी को, जिसका परीक्षण किया जा चुका हो, वापस बुला सकेगा और (तत्समय प्रवृत्त साक्ष्य, विधि के अध्यक्षीन रहते हुए) उससे ऐसे प्रश्न पूछ सकेगा, जैसा कि न्यायालय उचित समझे।
- (30) न्यायालयों द्वारा निरीक्षण.— न्यायालय, कार्यवाही के किसी भी प्रक्रम पर, किसी भी ऐसी सम्पत्ति या वस्तु का, जिसके संबंध में कोई प्रश्न उदभूत हो, निरीक्षण कर सकेगा।
- (31) आदेश का सुनाया जाना.— न्यायालय, आवेदन की सुनवाई के पश्चात् अपना अंतिम आदेश खुले न्यायालय में, या तो तुरंत या किसी आगामी दिन को सुनाएगा, जिसकी सम्यक् सूचना पक्षकारों को दी जाएगी।
- (32) आदेश का हस्ताक्षरित किया जाना.— अंतिम आदेश उसके सुनाए जाने के समय खुले न्यायालय में दिनांकित तथा हस्ताक्षरित किया जाएगा और एक बार हस्ताक्षरित हो जाने पर, तत्पश्चात् उसमें लोप या आकस्मिक चूक के कारण उदभूत होने वाली लिपिकीय या गणितीय भूल की दशा में के अतिरिक्त, कोई अन्य परिवर्तन या परिवर्धन नहीं किया जाएगा।
- (33) प्रत्येक विवाद्यक पर निर्णय का कथन किया जाना.— उन मामलों में, जिनमें विवाद्यक विरचित किए गए हों, न्यायालय प्रत्येक पृथक विवाद्यक पर अपना निष्कर्ष या निर्णय, उसके कारणों सहित, अलग-अलग कथित करेगा, जब तब कि किसी एक या अधिक विवाद्यक पर निष्कर्ष, मामले के निर्णय के लिए पर्याप्त न हो।

- (34) वाद का समझौता.— जहाँ न्यायालय के समाधान कारक रूप में यह सिद्ध हो जाए कि किसी विधिपूर्ण करार या समझौते द्वारा, मामला पूर्णतः या अंशतः समायोजित किया जा चुका है, या जहाँ विरोधी पक्षकार मामले की विषय-वस्तु के संबंध में, आवेदक का पूर्ण या आंशिक समाधान कर दे, वहाँ न्यायालय ऐसे करार, समझौते या समाधान को अभिलिखित किए जाने का आदेश देगा और उसके अनुसार, जहाँ तक कि वह मामले से संबंधित है, अंतिम आदेश पारित करेगा।
- (35) आदेश की अन्तिमता.— संहिता की धारा 52 में यथा उपबन्धित के अतिरिक्त, न्यायालय का आदेश, अंतिम तथा पक्षकारों पर बंधनकारी होगा।
- (36) खर्चे.—
- (एक) आवेदन के तथा उससे आनुषंगिक खर्चे न्यायालय के विवेक पर होंगे, और न्यायालय को यह अवधारित करने की, कि किसके द्वारा या किस सम्पत्ति में से तथा किस सीमा तक ऐसे खर्चों की भुगतान की जाएगी, तथा पूर्वोक्त प्रयोजनों के लिये समस्त आवश्यक निर्देश देने की, पूर्ण शक्ति होगी। यह तथ्य कि न्यायालय को वाद का परीक्षण करने का क्षेत्राधिकार नहीं है, ऐसी शक्तियों के प्रयोग को वर्जित करने वाला नहीं होगा।
- (दो) जहाँ न्यायालय यह निदेश देता है कि कोई खर्च परिणाम के अनुरूप नहीं होगा, वहाँ न्यायालय अपने कारण लिखित में कथित करेगा।
- (37) डिक्री की अन्तर्वस्तु.—
- (एक) प्ररूप—नौ में कोई डिक्री, न्यायालय द्वारा किए गये आदेश के अनुरूप तैयार की जाएगी; उसमें आवेदन पत्र का क्रमांक, पक्षकारों के नाम तथा विवरण एवं दावे की विशिष्टियाँ अन्तर्विष्ट होंगी और वह मंजूर किए गए अनुतोष या कार्यवाही के अन्य अवधारण स्पष्ट रूप से विनिर्दिष्ट करेगा।
- (दो) डिक्री में कार्यवाही के संबंध में हुए खर्च की रकम तथा ऐसे खर्च किसके द्वारा किन अनुपातों में चुकाए जाएंगे, को भी वर्णित किया जाएगा।

(तीन) न्यायालय यह निदेश दे सकेगा कि एक पक्षकार को अन्य पक्षकार द्वारा देय खर्च का, किसी ऐसी राशि के प्रति मुजरा किया जाएगा, जो कि एक पक्षकार द्वारा अन्य पक्षकार को शोध्य होना स्वीकार किया जाए।

(38) आदेश, डिक्री आदि की प्रमाणित प्रतिलिपियों का प्रदान किया जाना.—

(एक) पक्षकारों को, अंतिम आदेश, डिक्री या किसी अन्य आदेश या अभिलेखीय मामले की प्रमाणित प्रतिलिपियां, न्यायालय को आवेदन किए जाने पर उनके व्यय पर प्रदान की जाएंगी।

(दो) यदि कोई पक्षकार यथास्थिति, न्यायालय द्वारा किए गए या उसे प्रस्तुत किए गए किसी आदेश, डिक्री या अभिलेख में के किसी अन्य मामले की प्रतिलिपियां चाहता है तो वह न्यायालय को उसके लिये आवेदन प्रस्तुत करने के अड़तालीस घण्टे के भीतर, उसे प्रदान की जाएगी, प्रत्येक ऐसी प्रतिलिपि के लिये वह पचास रूपए की अतिरिक्ति फीस का भुगतान करेगा।

(तीन) यदि कोई पक्षकार यथास्थिति, न्यायालय द्वारा दिए गए या उसे प्रस्तुत किए गए किसी आदेश, डिक्री या अभिलेख के किसी अन्य मामले की प्रतिलिपियों के लिये यथास्थिति, इस प्रकार दिए जाने या प्रस्तुत किए जाने के तारीख से बारह माह समाप्त होने के पश्चात् आवेदन करे, तो वह पचास रूपए की अतिरिक्त खोज (सर्चिंग) शुल्क का भुगतान करेगा।

(39) निष्पादन.—

(एक) कोई व्यक्ति, जिसके पक्ष में आदेश पारित किया गया हो, आदेश की तारीख से एक वर्ष के भीतर, उस न्यायालय को, जिसने कि वह आदेश दिया हो, उसके निष्पादन के लिये प्ररूप-दस में आवेदन प्रस्तुत करेगा।

(दो) ऐसे आवेदन पर, न्यायालय उसे आवश्यक अभिलेख सहित सक्षम क्षेत्राधिकार वाले सिविल न्यायालय को उसके निष्पादन हेतु भेजेगा, और ऐसे सिविल न्यायालय को उस आदेश का निष्पादन करने के

लिए वही शक्तियां प्राप्त होंगी, मानो कि वह आदेश उसके द्वारा ही पारित किया गया था।

- (40) निष्पादन के तथ्य या अन्यथा की संसूचना.— वह सिविल न्यायालय, जिसे कोई डिक्री निष्पादन के लिए भेजी गई हो, ऐसे निष्पादन की वास्तविकता या जहाँ वह न्यायालय उसका निष्पादन करने में असफल रहा हो, वहाँ ऐसी असफलता की परिस्थितियां उस न्यायालय से, जिसने की उसे पारित किया हो, प्रमाणित करेगा।

(41) फीस.—

(एक) संहिता की धारा 49 में निर्दिष्ट किसी विषय के संबंध में आवेदन पर देय फीस दस रूपए होगी।

(दो) इन नियमों के अधीन न्यायालय द्वारा तलब किए गए लिखित कथन के अतिरिक्त, किसी अन्य आवेदन के संबंध में देय फीस पांच रूपए होगी :

परंतु अभिलेख पर किसी दस्तावेज या यथास्थिति, न्यायालय को प्रस्तुत किए गए कथन या न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत आदेश या न्यायालय द्वारा पारित डिक्री की प्रतिलिपि या उसका अनुवाद प्राप्त करने के लिये, आवेदन की फीस दो रूपए होगी।

(तीन) अभिलेख पर किसी दस्तावेज या कथन या आदेश या डिक्री की प्रतिलिपियों के लिए फीस ऐसी होगी, जो कि सरकार द्वारा समय-समय पर अवधारित की जाए।

(चार) किसी मामले में पक्षकारों में से किसी भी पक्षकार की ओर से किसी व्यक्ति की उपसंजाति हेतु किसी प्राधिकरण के लिये फीस दस रूपए होगी।

(पांच) किसी न्यायालय में किसी दस्तावेज की प्रमाणित प्रतिलिपियां फाइल (प्रस्तुत) करने के लिए फीस पांच रूपए होगी।

(छः) इस नियम में निर्दिष्ट समस्त फीस, साधारण न्यायालयों में उपयोग की जाने वाली न्यायालय फीस मुद्रांकों के रूप में संग्रहित की जाएगी और कोई भी दस्तावेज, जिसे इन नियमों के अधीन मुद्रांकित होना चाहिये,

तब तक विधिमान्य नहीं होगा, जब तक कि वह समुचित रूप से मुद्रांकित न किया गया हो :

परंतु जहाँ ऐसा कोई दस्तावेज भूल से या अनवधानता से समुचित रूप से मुद्रांकित किए बिना ही, न्यायालय में ले लिया हो, फाइल कर लिया गया हो, या उपयोग में लाया गया हो, वहाँ न्यायालय, यदि वह उचित समझे, यह आदेश दे सकेगा कि ऐसा दस्तावेज इस प्रकार मुद्रांकित किया जाए, जैसा कि वह निदेशित करे और ऐसे दस्तावेज के तदनुसार मुद्रांकित किए जाने पर, वह तथा उससे संबंधित प्रत्येक कार्यवाही, उसी प्रकार विधिमान्य होगी, मानों वह, पहले से ही समुचित रूप से मुद्रांकित किया गया था।

(सात) किसी भी ऐसे दस्तावेज पर, जो इस नियम के अधीन मुद्रांकित किए जाने के लिये अपेक्षित हो, न्यायालय की किसी भी कार्यवाही में तब तक कोई कार्य नहीं की जाएगी, जब तक कि मुद्रांक को रद्द न कर दिया गया हो।

(42) समन आदि की तामील के खर्च का भुगतान.—

(एक) किसी मामले में समन या सूचनाओं की तामील के खर्च या साक्षियों के व्यय, या किसी भी ऐसे विषय के संबंध में, जो पूर्ववर्ती नियम में निर्दिष्ट नहीं किया गया हो, देय फीस, ऐसी रकम होगी, जो कि न्यायालय द्वारा प्रत्येक मामले में विनिर्दिष्ट की जाए, और ऐसी रकम या इन नियमों के अधीन देय कोई अन्य धनराशि की भुगतान, ऐसी रीति में तथा ऐसे समय के भीतर किया जाएगा, जैसा कि वह (न्यायालय) उसके लिये उल्लिखित करे।

(दो) ऐसी कोई रकम, जो उन व्ययों की पूर्ति करने के पश्चात्, जिनके लिए वह आशयित थी, यदि कोई हो, बची रहे, न्यायालय द्वारा उस पक्षकार को लौटा दी जाएगी, जिसके द्वारा या जिसकी ओर से रकम मूलतः न्यायालय में जमा की गई थी।

(तीन) न्यायालय, खण्ड (एक) के अधीन प्राप्त तथा संवितरित की गई रकम के समुचित लेखे रखेगा।

- (43) निर्धन व्यक्तियों की फीस तथा खर्च.— न्यायालय, जब कभी भी वह उचित समझे, ऐसे व्यक्तियों से, जो अकिंचन हों, इस संहिता के अधीन संस्थित की गई कार्यवाहियों तथा इन नियमों के अधीन दिए गए आवेदन प्राप्त कर सकेगा और उन्हें पंजी कर सकेगा और उप-नियम (41) तथा (42) में वर्णित फीस तथा खर्च के भुगतान के बिना, या आंशिक भुगतान पर, ऐसे व्यक्तियों की ओर से समन या सूचना जारी कर सकेगा।
- (44) सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का सं. 5) तथा भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023 (2023 का सं. 47) का संहिता के उपबंधों का लागू होना.— प्रक्रिया या साक्ष्य के प्रतिग्रहण से संबंधित विषयों के संबंध में, जिनके लिए इन नियमों में कोई विशिष्ट उपबंध न किया गया हो, सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का सं. 5), जिसमें उसके अधीन बनाये गये नियम सम्मिलित हैं तथा भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023 (2023 का सं. 47) के उपबंध, अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों को, जहाँ तक हो सके, लागू होंगे।
8. संहिता की धारा 51 की उप-धारा (1) के अधीन कर्मचारी बीमा न्यायालय के समक्ष कार्यवाही शुरू करने की रीति, उसकी फीस और प्रक्रिया.—
- (1) निगम, यथास्थिति पीड़ित व्यक्ति या किसी स्थापना के नियोक्ता के आवेदन द्वारा कर्मचारी बीमा न्यायालय के समक्ष कार्यवाही शुरू किया जायेगा।
- (2) संहिता के अध्याय-चार के उपबंधों और सरकार द्वारा बनाए गए नियमों के अध्याधीन रहते हुए, कर्मचारी बीमा न्यायालय के समक्ष सभी कार्यवाहियां उस स्थानीय क्षेत्र के लिए नियुक्त न्यायालय में संस्थित किया जाएगा, जिसमें बीमित व्यक्ति, उस समय कार्य कर रहा था जब प्रश्न या विवाद उद्भूत हुआ था।
- (3) यदि न्यायालय का समाधान हो जाता है कि उसके समक्ष लंबित किसी कार्यवाही से उत्पन्न कोई भी मामला, उसी राज्य में किसी अन्य कर्मचारी बीमा न्यायालय द्वारा अधिक आसानी से निपटाया जा सकता है, तो वह सरकार द्वारा इस बाबत बनाए गए किन्हीं नियमों के अध्याधीन रहते हुए इस तरह के मामले को निपटारे के लिए ऐसे अन्य न्यायालय में अंतरित करने का आदेश दे सकेगा और उस मामले से संलग्न अभिलेखों को तुरंत ऐसे अन्य न्यायालय को प्रेषित करेगा।

- (4) राज्य सरकार, राज्य के किसी भी कर्मचारी बीमा न्यायालय के समक्ष लंबित किसी मामले को किसी अन्य राज्य के ऐसे किसी न्यायालय में उस राज्य के राज्य सरकार की सहमति से अंतरित कर सकेगी।
- (5) ऐसा न्यायालय, जिसको किसी भी मामले को उप-नियम (3) एवं उप-नियम (4) के अधीन अंतरित किया जाता है, वह, इस प्रकार अपनी कार्यवाही जारी रखेगी, जैसे कि वे मूल रूप से इसमें संस्थित किए गए थे।

अध्याय-चार उपादान

9. बैंक या अन्य वित्तीय संस्थान, जिसमें संहिता की धारा 53 की उप-धारा (1) के तृतीय परंतुक के अधीन अवयस्क के लाभ के लिए उपादान का निवेश किया जाएगा.— नामनिर्देशिनी (नॉमिनी) या उत्तराधिकारी के मामले में, जो अवयस्क है, सक्षम प्राधिकारी ऐसे अवयस्क के लाभ के लिए उनके पास जमा की गई उपादान राशि का निवेश, भारतीय स्टेट बैंक या कोई राष्ट्रीयकृत बैंक में करेगा।

स्पष्टीकरण—“राष्ट्रीयकृत बैंक” से अभिप्रेत है बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 (1970 का सं. 5) की प्रथम अनुसूची में विनिर्दिष्ट कोई तत्स्थानी नवीन बैंक, अथवा बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1980 (1980 का सं. 40) की प्रथम अनुसूची में विनिर्दिष्ट कोई तत्स्थानी नवीन बैंक।

10. संहिता की धारा 55 की उप-धारा (1) के अधीन किसी कर्मचारी द्वारा नामनिर्देशन का समय, प्ररूप और रीति, उप-धारा (4) के अधीन नवीन नामनिर्देशन करने का समय, उप-धारा (5) के अधीन किसी नामनिर्देशन में उपांतरण का प्ररूप और रीति और उप-धारा (6) के अधीन नवीन नामनिर्देशन के लिए प्ररूप.—

- (1) कोई भी नामांकन, प्ररूप-ग्यारह में दाखिल होगा और कर्मचारी द्वारा दो प्रतियों में, या तो व्यक्तिगत सेवा द्वारा उचित रसीद लेने के पश्चात् या नियोक्ता को किसी पंजीकृत डाक पावती द्वारा या इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रस्तुत किया जाएगा।

(एक) किसी ऐसे कर्मचारी की दशा में, जो इन नियमों के प्रारंभ होने की तारीख पर एक वर्ष या उससे अधिक से, पहले से ही नियोजित है, किन्तु

ऐसी तारीख से नब्बे दिनों के भीतर, सामान्यतः, नामांकन प्रस्तुत नहीं किया है; तथा

(दो) किसी ऐसे कर्मचारी की दशा में, जिसने इन नियमों के प्रारंभ होने की तारीख के बाद सेवा का एक वर्ष पूर्ण किया है, जो सामान्यतः सेवा के एक वर्ष पूरा होने के तीस दिनों के भीतर है :

परन्तु प्ररूप-ग्यारह में नामांकन, विनिर्दिष्ट अवधि के बाद दाखिल किया जाता है तो, नियोक्ता द्वारा स्वीकार किया जाएगा, और इस प्रकार स्वीकार किया गया कोई नामांकन, केवल इसलिए अमान्य नहीं होगा, क्योंकि यह विनिर्दिष्ट अवधि के पश्चात् दायर किया गया था।

- (2) उप-नियम (1) के अधीन प्ररूप-ग्यारह में नामांकन की प्राप्ति के तीस दिनों के भीतर, नियोक्ता नामांकन के प्ररूप में यथा उल्लिखित कर्मचारी की सेवा की विशिष्टियों को, जो स्थापना के अभिलेखों और कर्मचारी की विवरणी के संदर्भ में सत्यापित हो, और नियोक्ता द्वारा नामांकन अभिलिखित करने के संकेत के रूप में या तो नियोक्ता द्वारा या उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत प्राधिकारी द्वारा सम्यक् रूप से प्ररूप-ग्यारह में अनुप्रमाणित नामांकन की द्वितीय प्रति पावती प्राप्त करने के पश्चात् कर्मचारी को वापस करेगा तथा नामांकन की अन्य प्रति को अभिलिखित किया जायेगा।
- (3) कोई कर्मचारी, जिसके पास नामांकन करने के समय कोई परिवार नहीं है, परिवार होने के 90 दिनों के भीतर, उप-नियम (1) में विनिर्दिष्ट रीति में एक नवीन नामांकन, जैसा कि संहिता की धारा 55 की उप-धारा (4) के अधीन अपेक्षित है, दो प्रतियों में प्ररूप-ग्यारह में नियोक्ता को प्रस्तुत करेगा और उसके बाद उप-नियम (2) के उपबंध यथा आवश्यक परिवर्तनों सहित इस प्रकार लागू होंगे, जैसे कि यह उप-नियम (1) के अधीन किया गया था।
- (4) किसी नामांकन के संशोधन की कोई सूचना, उन मामलों सहित जहाँ कोई नामनिर्देशिनी (नॉमिनी) की मृत्यु, कर्मचारी के पहले हो जाता है, उप-नियम (1) में विनिर्दिष्ट रीति में नियोक्ता को प्ररूप-ग्यारह में दो प्रतियों में प्रस्तुत की जाएगी, और उसके बाद उप-नियम (2) के उपबंध यथा आवश्यक परिवर्तनों सहित लागू होंगे।

- (5) नामांकन या नवीन नामांकन या नामांकन के संशोधन की कोई सूचना, कर्मचारी द्वारा हस्ताक्षरित की जाएगी या, यदि वह निरक्षर है, तो उसके अंगूठे का निशान लगाना होगा तथा कर्मचारी द्वारा इलेक्ट्रॉनिक रूप से या पंजीकृत डाक पावती द्वारा प्रस्तुत किया जाएगा।
- (6) नामांकन, नवीन नामांकन या नामांकन के संशोधन की सूचना, नियोक्ता द्वारा उसकी प्राप्ति की तारीख से प्रभावी होगी।
11. वह समय, जिसके भीतर और वह प्ररूप, जिसमें संहिता की धारा 56 की उप-धारा (1) के अधीन कोई लिखित आवेदन किया जाएगा और उप-धारा (5) के खंड (ख) के अधीन सक्षम प्राधिकारी को आवेदन करने का प्ररूप—
- (1) उपादान के लिए आवेदन—

(एक) कर्मचारी, जो संहिता के अधीन उपादान के भुगतान के लिए पात्र है, या उसकी ओर से कार्यवाही करने के लिए लिखित रूप में प्राधिकृत कोई व्यक्ति, उपादान के देय होने की तारीख से तीस दिनों के भीतर प्ररूप-बारह में नियोक्ता को, आवेदन करेगा :

परन्तु जहाँ किसी कर्मचारी को अधिवार्षिकी या सेवानिवृत्ति की तारीख ज्ञात हो, तो कर्मचारी अधिवार्षिकी या सेवानिवृत्ति की तारीख के तीस दिन पहले नियोक्ता को आवेदन कर सकेगा।

परन्तु यह भी की कर्मचारी द्वारा नियोक्ता को प्ररूप-बारह की प्रति प्रस्तुत करते समय, सक्षम प्राधिकारी को द्वितीय प्रति में पृष्ठांकित कर सकेगा।

परन्तु यह और भी कि, औपचारिक प्रारूप के बिना प्राप्त उपादान के आवेदन, जबकि उसमें सभी प्रासंगिक विवरणों को शामिल किया गया हो, नियोक्ता और सक्षम प्राधिकारी द्वारा मान्य माना जा सकता है।

परन्तु यह और कि नियतकालिक रोजगार पर नियुक्त कोई कर्मचारी, उपादान के लिए पात्र होगा, यदि वह संविदा के अंतर्गत कम से कम एक वर्ष की अवधि के लिए सेवा प्रदान करता है और बाद की अवधि के लिए छह महीने से अधिक और एक वर्ष से कम की अवधि को एक अतिरिक्त वर्ष के लिए पूर्णांकित किया जाएगा।

- (दो) किसी कर्मचारी का कोई नामनिर्देशिती, जो संहिता की धारा 53 की उप-धारा (1) के दूसरे परन्तुक के अधीन उपादान के भुगतान के लिए

पात्र है, सामान्यतः उसे उपादान देय होने की तारीख से तीस दिनों के भीतर, प्ररूप-बारह में नियोक्ता को आवेदन करेगा :

परन्तु सुसंगत ब्यौरे के साथ, सादे कागज में कोई भी आवेदन स्वीकार किया जाएगा। नियोक्ता ऐसे अन्य ब्यौरे प्राप्त कर सकेगा, जो उसके द्वारा आवश्यक समझे जायें।

(तीन) किसी कर्मचारी का कोई विधिक उत्तराधिकारी, जो संहिता की धारा 53 की उप-धारा (1) के दूसरे परन्तुक के अधीन उपादान के भुगतान के लिए पात्र है, सामान्यतः उसे उपादान के देय होने की तारीख से एक वर्ष के भीतर, प्ररूप-बारह में नियोक्ता को आवेदन करेगा :

(चार) जहाँ इन नियमों के प्रारंभ होने से पूर्व, संहिता के अधीन उपादान देय हो जाता है, वहाँ उप-नियम (1) के खण्ड (एक), (दो) और (तीन) में विनिर्दिष्ट परिसीमा की अवधि, ऐसे प्रारंभ की तारीख से प्रवृत्त मानी जायेगी।

(पांच) इस नियम में विनिर्दिष्ट अवधियों की समाप्ति के पश्चात् उपादान के भुगतान के लिए दायर किया गया कोई आवेदन भी नियोक्ता द्वारा स्वीकार किया जाएगा, यदि आवेदक, अपने दावे को प्रस्तुत करने में विलम्ब के लिए पर्याप्त कारण प्रस्तुत करता है, और संहिता के अधीन उपादान के लिए किसी दावे को, मात्र इस कारण से अमान्य नहीं माना जावेगा कि दावेदार विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर अपना आवेदन प्रस्तुत करने में विफल रहा। इस संबंध में किसी विवाद को सक्षम प्राधिकारी को उसके निर्णय के लिए निर्दिष्ट किया जाएगा।

(छः) इस नियम के अधीन कोई आवेदन, नियोक्ता को इलेक्ट्रॉनिक रूप से या व्यक्तिगत तामिली द्वारा या पंजीकृत डाक पावती द्वारा प्रस्तुत किया जाएगा।

(2) उपादान के भुगतान के लिए सूचना.—

(एक) उप-नियम (1) के अधीन उपादान के भुगतान के लिए किसी आवेदन के प्राप्त होने के पंद्रह दिनों के भीतर, नियोक्ता—

(क) यदि सत्यापन पर दावा ग्राह्य पाया जाता है, तो, देय उपादान की राशि को विनिर्दिष्ट करते हुए और कोई तारीख नियत करते हुए,

उसके भुगतान के लिए आवेदन की प्राप्ति की तारीख से तीस दिन के पश्चात् न हो, यथास्थिति आवेदक कर्मचारी, नामनिर्देशिती (नॉमिनी) या विधिक उत्तराधिकारी को प्ररूप-तेरह में एक सूचना जारी करेगा।

(ख) यदि उपादान के लिए दावा ग्राह्य नहीं पाया जाता है, तब इसके कारणों को विनिर्दिष्ट करते हुए कि उपादान के लिए दावे को ग्राह्य क्यों नहीं माना गया, यथास्थिति, आवेदक कर्मचारी, नामनिर्देशिती (नॉमिनी) या विधिक उत्तराधिकारी को प्ररूप-तेरह में एक सूचना जारी करेगा।

उपादान ग्राह्य/अग्राह्य किए जाने की दशा में, सूचना की एक प्रति सक्षम प्राधिकारी को पृष्ठांकित की जाएगी।

(दो) नियोक्ता के कार्यालय में उपादान का भुगतान, को शोध्य बनाये जाने की स्थिति में, यदि इस संबंध में एक लिखित आवेदन आदाता द्वारा यह बताते हुए किया गया है कि उसके लिए विनिर्दिष्ट तारीख पर व्यक्तिशः उपस्थित होना क्यों संभव नहीं है, नियोक्ता द्वारा खण्ड (एक) के उप-खण्ड (क) के अधीन, प्ररूप-तेरह में सूचना के प्रयोजन के लिए नियत तारीख को पुनः नियत किया जायेगा।

(तीन) यदि उपादान के लिए दावेदार नामनिर्दिष्ट व्यक्ति या विधिक उत्तराधिकारी है, तो नियोक्ता ऐसे साक्षी या साक्ष्य की मांग कर सकेगा, जो, यथास्थिति, उसकी पहचान स्थापित करने या उसके दावे की पोषणीयता को साबित करने के लिए सुसंगत समझा जाए। उस स्थिति में खण्ड (एक) के अधीन सूचना जारी करने के लिए विनिर्दिष्ट समय सीमा उस तारीख से प्रवृत्त होगी जिस पर यथास्थिति, ऐसे साक्षी या साक्ष्य को, नियोक्ता के द्वारा बुलाया जाए।

(चार) प्ररूप-तेरह में कोई सूचना, आवेदक को, या तो रसीद लेने के बाद व्यक्तिगत या पावती के साथ पंजीकृत डाक द्वारा या इलेक्ट्रॉनिक रूप से तामील की जाएगी।

(पांच) संहिता की धारा 56 की उप-धारा (2) के अधीन कोई सूचना, प्ररूप-तेरह में होगी।

- (3) उपादान के भुगतान का तरीका.— संहिता के अधीन देय उपादान का भुगतान डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से या यथास्थिति पात्र कर्मचारी, नामनिर्देशिती या विधिक उत्तराधिकारी के बैंक खाते में जमा करके किया जाएगा :

परन्तु भुगतान के ब्यौरे के बारे में सूचना, नियोक्ता द्वारा क्षेत्र के सक्षम प्राधिकारी को दी जाएगी।

- (4) संहिता की धारा 56 की उप-धारा (5) के खंड (ख) के अधीन निर्देश के लिए सक्षम प्राधिकारी को आवेदन :—

(एक) यदि कोई नियोक्ता —

(क) नियम 10 के अधीन नामांकन को स्वीकार करने या उप-नियम (1) के अधीन दायर किए जाने के लिए आवेदन को लेने से इंकार करता है; या

(ख) उपादान की धन राशि को नियत करते हुए, जो आवेदक द्वारा देय से कम समझी जाए या उपादान के भुगतान के लिए पात्रता को अस्वीकार करते हुए उप-नियम (2) के खंड (एक) के अधीन सूचना जारी करता है; या

(ग) उपनियम (1) के अधीन आवेदन प्राप्त होने पर, उपनियम (2) में निर्दिष्ट समय के भीतर अपेक्षित सूचना जारी करने में असफल रहता है, तो दावेदार कर्मचारी, नामिती या विधिक उत्तराधिकारी, जैसा भी मामला हो, आवेदन के लिए कारण उत्पन्न होने के एक सौ अस्सी दिन के भीतर, प्ररूप-चौदह में सक्षम प्राधिकारी को उतनी अतिरिक्त प्रतियों के साथ जितने की पक्षकार हों, संहिता की धारा 56 की उपधारा (5) के अधीन निर्देश जारी करने के लिए आवेदन करेगा।

परन्तु सक्षम प्राधिकारी, इस उप-नियम के अधीन निर्दिष्ट अवधि के समाप्त होने के पश्चात, आवेदक द्वारा पर्याप्त कारण दर्शाए जाने पर आवेदन को स्वीकार कर सकेगा।

(दो) खण्ड (एक) के अधीन आवेदन और इस तरह के आवेदन से संबंधित अन्य दस्तावेजों को, सक्षम प्राधिकारी को व्यक्तिगत रूप से प्रस्तुत किया

जाएगा या पंजीकृत डाक पावती द्वारा या इलेक्ट्रॉनिक रूप में भेजा जाएगा।

(5) निर्देश के लिए आवेदन पर कार्यवाही की प्रक्रिया :-

(एक) उप-नियम (4) के अधीन कोई आवेदन प्राप्त होने पर, सक्षम प्राधिकारी, इलेक्ट्रॉनिक रूप से या पंजीकृत डाक पावती द्वारा या व्यक्तिशः प्ररूप-पंद्रह में सूचना जारी करके, उसके समक्ष विनिर्दिष्ट तारीख, समय और स्थान पर या तो स्वयं या उसके अधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से सभी संबंधित दस्तावेजों और गवाहों, यदि कोई हो, के साथ उपस्थित होने के लिए आवेदक के साथ-साथ नियोक्ता को भी बुलाएगा।

(दो) यथास्थिति नियोक्ता, कर्मचारी, नामनिर्देशिनी या विधिक उत्तराधिकारी की ओर से कार्रवाई करने का इच्छुक कोई व्यक्ति, जिसकी ओर से वह कार्य करने का इच्छा करता है, यथास्थिति, नियोक्ता या संबंधित व्यक्ति से प्राप्त अधिकार पत्र को सक्षम प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करेगा। सक्षम प्राधिकारी उस पर या तो अपना अनुमोदन देते हुए अथवा प्रार्थना की गई अनुमति देने से इनकार करने की स्थिति में, इनकार करने के कारणों को निर्दिष्ट करते हुए आदेश अभिलिखित करेगा।

(तीन) प्राधिकृत प्रतिनिधि द्वारा उपस्थित होने वाला कोई भी पक्षकार, प्रतिनिधि के कृत्यों से आबद्ध होंगे।

(चार) खण्ड (एक) के अधीन नियत तारीख पर सुनवाई पूरी होने के बाद, या ऐसी अन्य साक्ष्य, दस्तावेजों, गवाहों के परीक्षणों, सुनवाई और जांच, जैसा कि आवश्यक समझा जाए, के पश्चात् सक्षम अधिकारी अपने निष्कर्ष अभिलिखित करेगा कि क्या संहिता के अधीन आवेदक को राशि देय है। प्रत्येक पक्षकार को निष्कर्ष की एक प्रति दी जाएगी।

(पांच) यदि संबंधित नियोक्ता, बिना पर्याप्त कारण के सूचना की सम्यक् तामीली के पश्चात् सुनवाई की विनिर्दिष्ट तारीख पर उपस्थित होने में विफल रहता है, तब सक्षम प्राधिकारी, आवेदन को सुनने तथा एक पक्षीय रूप में अवधारित करने के लिए कार्यवाही कर सकेगा। यदि आवेदक बिना पर्याप्त कारण के सुनवाई की विनिर्दिष्ट तारीख पर उपस्थित होने में विफल होता है, तो सक्षम प्राधिकारी आवेदन को खारिज कर सकेगा :

परन्तु खण्ड (पांच) के अधीन कोई आदेश का, उक्त आदेश के तीस दिनों के भीतर उचित कारण दर्शाए जाने पर, पुनर्विलोकन कर सकेगा तथा विरोधी पक्षकार को आवेदन की पुनः सुनवाई के लिए नियत तारीख की चौदह दिनों से अनधिक की सूचना देने के पश्चात् पुनः सुन सकेगा।

- (6) सुनवाई का स्थान और समय.— सक्षम प्राधिकारी की बैठकें, ऐसे समयों पर और ऐसे स्थानों पर आयोजित की जाएंगी, जैसे वह नियत करे और वह उसके पक्षकारों को ऐसी रीति में सूचित करेगा, जैसा वह उपयुक्त समझे।
- (7) शपथ का दिलाया जाना.— सक्षम प्राधिकारी अपने कार्यालय के किसी लिपिक को शपथ पत्रों को बनाने के प्रयोजन के लिए, शपथ दिलाने के लिए प्राधिकृत कर सकेगा।
- (8) गवाहों की समन और उनकी उपस्थिति.— सक्षम प्राधिकारी, अपने समक्ष कार्यवाही के किसी चरण में कार्यवाही में अंतर्गत स्वयं या किसी पक्षकार द्वारा आवेदन पर और ऐसे निबंधनों पर, जैसे सक्षम प्राधिकारी को न्यायोचित प्रतीत हो, या तो साक्ष्य देने के लिए या दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए या दोनों प्रयोजनों के लिए विनिर्दिष्ट तारीख, समय और स्थान पर प्ररूप-पंद्रह में किसी भी व्यक्ति को समन जारी कर सकेगा।

(9) समन या सूचना की तामीली.—

(एक) खण्ड (दो) के उपबंधों के अध्याधीन रहते हुए, सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी कोई सूचना, समन, आदेशिका या आदेश, या तो व्यक्तिशः या पंजीकृत डाक पावती द्वारा या इलेक्ट्रॉनिक रूप से या किसी अन्य रीति में, जैसे सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का सं. 5) के अधीन विहित किया गया हो, तामील कर सकेगा।

(दो) जहाँ सक्षम प्राधिकारी के समक्ष किसी कार्यवाही के लिए पक्षों के रूप में कई व्यक्ति हों, और ऐसे व्यक्ति किसी भी व्यवसाय संघ या संगठन के सदस्य हों या किसी प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा प्रतिनिधित्व किए जा रहे हों, तब सूचना सचिव पर या जहाँ कोई सचिव नहीं है, वहां व्यवसाय संघ या संगठन के प्रमुख अधिकारी पर या किसी प्राधिकृत व्यक्ति पर तामिल ऐसे व्यक्तियों पर तामील मानी जायेगी।

(10) सक्षम प्राधिकारी द्वारा मामलों के अभिलेखों का रखरखाव.—

(एक) सक्षम प्राधिकारी संहिता की धारा 56 के अधीन प्रत्येक मामले के ब्यौरे अभिलिखित करेगा और आदेश पारित करते समय, इस प्रकार अभिलिखित विवरण पर हस्ताक्षर करेगा और दिनांक डालेगा।

(दो) सक्षम प्राधिकारी, प्रत्येक मामले में आदेश पारित करते समय, मामले के गुणागुण पर निष्कर्ष भी अभिलिखित करेगा और इसे आदेश पत्र के साथ साक्ष्य के ज्ञापन के साथ अभिलिखित करेगा।

(तीन) किसी भी आदेश या निर्देश के अभिलेख से भिन्न कोई भी अभिलेख जो इन नियमों द्वारा सक्षम प्राधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित किए जाने के लिए अपेक्षित है, सक्षम प्राधिकारी की ओर से और उसके निर्देशन के अधीन इस प्रयोजन के लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा लिखित रूप में नियुक्त किसी अधीनस्थ अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित किया जा सकेगा।

(11) उपादान के भुगतान हेतु निर्देश.— यदि उप-नियम (5) के खंड (चार) के अधीन कोई निष्कर्ष अभिलिखित किया जाता है कि आवेदक, संहिता के अधीन उपादान के भुगतान का हकदार है, तो सक्षम प्राधिकारी, प्ररूप-सोलह में संदेय राशि को विनिर्दिष्ट करते हुए तथा उसका संदाय सूचना प्राप्ति के तीस दिनों के भीतर आवेदक को भुगतान कर सक्षम प्राधिकारी को सूचित करने हेतु नियोक्ता को इलेक्ट्रॉनिक रूप से या पंजीकृत डाक द्वारा अभिस्वीकृति सहित या व्यक्तिशः सूचना जारी करेगा। सूचना की प्रति यथास्थिति आवेदक कर्मचारी, नाम-निर्देशिति या विधिक उत्तराधिकारी को पृष्ठांकित की जाएगी।

(12) अपील.—

(एक)संहिता की धारा 56 की उप-धारा (8) के अधीन अपील का ज्ञापन, अपीलीय प्राधिकारी को प्रस्तुत करते हुए, विरोधी पक्षकार तथा सक्षम प्राधिकारी को क्रमशः उसकी एक प्रति के साथ व्यक्तिशः या पंजीकृत डाक पावती द्वारा या इलेक्ट्रॉनिक रूप से दिया जाएगा।

(दो)अपील ज्ञापन में मामले के तथ्य, सक्षम प्राधिकारी का निर्णय, अपील का आधार और मांगी गई अनुतोष अन्तर्विष्ट होगी।

(तीन)अपील ज्ञापन के साथ सक्षम प्राधिकारी के निष्कर्षों की प्रमाणित प्रति और उपादान के भुगतान के लिए निर्देश संलग्न की जाएगी।

(चार)अपील के ज्ञापन की प्रति प्राप्त होने पर, सक्षम प्राधिकारी अपीलीय प्राधिकारी को मामले के अभिलेख को अग्रेषित करेगा।

(पांच)अपील के ज्ञापन की प्रति प्राप्त होने के चौदह दिनों के भीतर, विरोधी पक्षकार ज्ञापन के प्रत्येक पैराग्राफ के संबंध में टिप्पणियों, अतिरिक्त अभिवाक् सहित, यदि कोई हो, अपीलार्थी की प्रति के साथ अपीलीय प्राधिकारी को प्रस्तुत करेगा।

(छः)अपील प्राधिकारी, अपील के पक्षकारों को सुने जाने का युक्तियुक्त अवसर प्रदान करने के पश्चात् अपने निर्णय को अभिलिखित करेगा। निर्णय की प्रति अपील के पक्षकारों को इलेक्ट्रॉनिक रूप से या पंजीकृत डाक या व्यक्तिशः और उसकी एक प्रति सक्षम प्राधिकारी को मामले के अभिलेख को वापस करते हुए, भेजी जाएगी।

(सात)सक्षम प्राधिकारी, अपील प्राधिकारी के निर्णय की प्राप्ति पर, उसके द्वारा संधारित मामलों से संबंधित अभिलेख में आवश्यक प्रविष्टि करेगा।

(आठ)अपील प्राधिकारी के निर्णय की प्राप्ति पर, सक्षम प्राधिकारी, यदि उस निर्णय के अधीन आवश्यक हो, तो उसके निर्देश में उपांतरित उपादान के भुगतान और एक सूचना जारी कर सकेगा, जो प्ररूप-सोलह में संबंधित नियोक्ता को उपांतरित देय राशि को और आवेदक को सक्षम प्राधिकारी द्वारा सूचना प्राप्त होने के पंद्रह दिनों के भीतर नियोक्ता से उसको भुगतान करने के लिए होगा। अपीलीय कर्मचारी नामनिर्देशिति या विधिक उत्तराधिकारी, जैसी भी स्थिति हो, को तथा अपीलीय प्राधिकारी को ऐसी सूचना की प्रति पृष्ठांकित की जावेगी।

(13)उपादान की वसूली के लिए आवेदन.— जहाँ कोई नियोक्ता, यथास्थिति, उप-नियम (11) या उप-नियम (12) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा सूचना के अनुसार, संहिता के अधीन देय उपादान का भुगतान करने में विफल रहता है, यथास्थिति, संबंधित कर्मचारी, उसका नामांकित व्यक्ति या विधिक उत्तराधिकारी, जिसको उपादान देय हो, संहिता की धारा 129 के अधीन उसकी वसूली के लिए

प्ररूप-सत्रह में द्वितीय प्रति (डुप्लिकेट) में सक्षम प्राधिकारी को आवेदन कर सकेगा।

12. संहिता की धारा 58 की उप-धारा (1) के अधीन सक्षम प्राधिकारी के रूप में नियुक्त अधिकारी की अर्हताएं और अनुभव.— सक्षम प्राधिकारी को, अधिसूचना द्वारा, राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किया जाएगा।

अध्याय—पांच

प्रसूति प्रसुविधा

13. संहिता की धारा 72 की उप-धारा (3) के अधीन प्राधिकारी, जिसे अपील निर्दिष्ट की जा सकेगी.—

(1) संहिता की धारा 72 के अधीन शिकायत.—

(एक) संहिता की धारा 72 की उप-धारा (1) के अधीन एक शिकायत, यथास्थिति, प्ररूप- अट्ठारह में लिखित में की जाएगी।

(दो) जब निरीक्षक-सह-सुकारक को संहिता की धारा 72 में निर्दिष्ट शिकायत प्राप्त होती है, तब वह, नियोक्ता के द्वारा संधारित सुसंगत अभिलेखों की जांच करेगा, इस निमित्त वह स्थापना में कार्यरत किसी भी व्यक्ति की जांच कर सकेगा और जांच के प्रयोजन के लिए आवश्यक कथन अभिलिखित करेगा और यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि प्रसूति प्रसुविधा या राशि को अनुचित रूप से रोका गया है, तब वह, महिला अथवा संहिता की धारा 63 के अधीन संदाय के लिए दावा करने वाले व्यक्ति, जैसी भी स्थिति हो, को तत्काल अथवा एक माह के भीतर संदाय करने के लिए नियोक्ता को निर्देशित करेगा।

(2) संहिता की धारा 72 के अधीन अपील.—

(एक) संहिता की धारा 72 की उप-धारा (2) के अधीन निरीक्षक-सह-सुकारक के निर्णय के विरुद्ध अपील सक्षम प्राधिकारी के समक्ष की जाएगी।

(दो) व्यथित व्यक्ति, प्ररूप-उन्नीस में सक्षम प्राधिकारी को लिखित में अपील करेगा और अन्य सहायक दस्तावेज दाखिल करेगा।

(तीन) जब कोई अपील, प्राप्त होती है, तब सक्षम प्राधिकारी तिथि नियत करने के पूर्व मामले के अभिलेख सहित निरीक्षक-सह- सुकारक को बुलायेगा। यदि

आवश्यक हो, तब सक्षम प्राधिकारी व्यथित व्यक्ति और निरीक्षक-सह-सुकारक के कथनों को अभिलिखित करेगा और यदि आवश्यक हो तो, स्पष्टीकरण की भी मांग कर सकेगा।

(चार) सक्षम प्राधिकारी अपने समक्ष प्रस्तुत किए गए दस्तावेजों, साक्ष्य और उनके समक्ष प्रस्तुत किए गए या अपने द्वारा सुनिश्चित किये गये तथ्यों पर विचार करने के पश्चात् अपना निर्णय देगा।

(पांच) निरीक्षक-सह-सुकारक के निर्णय से 180 दिनों के भीतर अपील दायर की जा सकेगी।

(छः) सक्षम प्राधिकारी इस अवधि समाप्ति के बाद अपील स्वीकार कर सकता है, यदि वह संतुष्ट है कि अपीलार्थी उचित कारणों से अपील दायर करने में असमर्थ रहा है।

(3) संहिता के अध्याय छः के तहत सक्षम प्राधिकारी और निरीक्षक-सह-सुकारक के कर्तव्य एवं शक्तियां:-

(एक) सक्षम प्राधिकारी अपने-अपने अधिसूचित क्षेत्रों में इन नियमों के प्रसरण के लिए जिम्मेदार होगा।

(दो) प्रत्येक निरीक्षक-सह-सुकारक राज्य सरकार द्वारा नियत अधिकारिता क्षेत्र में अपने कर्तव्य का पालन करेगा और सक्षम प्राधिकारी की देखरेख एवं नियंत्रण में कार्य करेगा।

(तीन) प्रत्येक निरीक्षक-सह-सुकारक किसी स्थापना के प्रत्येक निरीक्षण के समय यह सुनिश्चित करेगा कि,-

(क) धारा 62 के तहत दिए गए प्रत्येक सूचना पर उचित कार्रवाई की गई है;

(ख) नियम 29 के उप-नियम (2) के तहत निर्धारित महिला कर्मचारियों का रजिस्टर सही ढंग से रखा गया है;

(ग) पिछली जांच के उपरांत धारा 68 के प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए नौकरी से निकालने या सेवा समाप्त करने के कोई मामले सामने आए हैं या ऐसी सूचना दी गई है;

(घ) धारा 59 की उपधारा (1), धारा 62 की उपधारा (5) और (6), धारा 64, धारा 65 की उपधारा (1), (2) और (3), धारा 66, 67, 69 और 71 के प्रावधानों का पालन किया गया है एवं बकाया रकम तय समय के अंदर चुका दी गई है;

(ड.) धारा 68 की उप-धारा (2) के उल्लंघन में प्रसूति प्रसुविधा या चिकित्सकीय बोनस से वंचित करने के कोई मामले सामने आए हैं; और

(च) पिछली जांचों में पाई गई अनियमितताओं को किस हद तक ठीक किया गया है और पहले जारी किए गए आदेशों का किस हद तक पालन किया गया है।

(4) यदि कोई निरीक्षक-सह-सुकारक संहिता या इन नियमों के विरुद्ध कोई अनियमितता पाता है, तो वह नियोक्ता को लिखित में आदेश देगा कि वह तय समय के भीतर अनियमितताओं को ठीक करे और निरीक्षक-सह-सुकारक को पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत करे।

अध्याय-छः कर्मचारी प्रतिकर

14. संहिता की धारा 76 की उप-धारा (7) के अधीन नियोक्ता द्वारा सक्षम प्राधिकारी के पास कर्मचारी की अंत्येष्टि के व्यय हेतु रकम का जमा कराना.—

अंत्येष्टि हेतु रकम.— यदि कर्मचारी को हुई क्षति के परिणाम स्वरूप उसकी मृत्यु हो जाती है तो नियोजक, संहिता की धारा 76 की उप-धारा (1) के अधीन प्रतिकर के अतिरिक्त, सक्षम प्राधिकारी के पास ऐसे कर्मचारी के अंत्येष्टि के व्यय के लिए कर्मचारी के सबसे बड़े उत्तरजीवी आश्रित को, अथवा जहाँ कर्मचारी का कोई आश्रित नहीं है, या वह अपनी मृत्यु के समय अपने आश्रितों के साथ नहीं रह रहा था, वहाँ उस व्यक्ति को, जिसने वास्तव में ऐसा व्यय किया है, संदाय के लिए 15000/— रुपये से कम न हो अथवा ऐसी राशि, जैसा कि राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित किया जाये, जमा करेगा।

15. संहिता की धारा 79 की उप-धारा (1) की अधीन शर्तें, जब चिकित्सा व्यवसायी के प्रमाणपत्र के बिना, पुनर्विलोकन हेतु आवेदन किया जाता है.—

(1) मामले जिनमें चिकित्सकीय प्रमाण पत्र के बिना, आवेदन किया जा सकता है.—

संहिता की धारा 79 के अधीन अर्द्धमासिक संदाय के पुनर्विलोकन के लिए आवेदन, निम्न मामलों में चिकित्सकीय प्रमाणपत्र संलग्न किए बिना, किया जा सकता है:—

- (एक) नियोजक द्वारा, इस आधार पर कि जब से प्रतिकर के अधिकार का निर्धारण हुआ है, कर्मचारी की मजदूरी बढ़ गई है;
- (दो) कर्मचारी द्वारा, इस आधार पर कि जब से प्रतिकर के अधिकार का निर्धारण हुआ है, उसकी मजदूरी कम हो गई है;
- (तीन) कर्मचारी द्वारा, इस आधार पर कि नियोजक ने प्रतिकर का भुगतान करना प्रारम्भ करके, प्रतिकर भुगतान करना रोक दिया है, इस तथ्य के बावजूद कि कर्मचारी की स्थिति में ऐसा कोई बदलाव नहीं हुआ है जिसके लिए ऐसी रोक को उचित ठहराया जा सके;
- (चार) या तो नियोजक द्वारा या कर्मचारी द्वारा, इस आधार पर कि तत्समय प्रवृत्त प्रतिकर की दर का निर्धारण, कपट अथवा अनुचित प्रभाव अथवा अन्य अनुचित साधनों से अभिप्राप्त किया गया था;
- (पांच) नियोजक द्वारा या कर्मचारी द्वारा, इस आधार पर कि प्रतिकर के निर्धारण में अभिलेख में स्पष्ट रूप से कोई भूल अथवा त्रुटि हुई है।
- (2) पुनर्विलोकन के लिए आवेदन पर प्रक्रिया.— नियोजक द्वारा अर्द्ध मासिक संदाय के रोक या कटौती के पुनर्विलोकन के लिए दिए गए आवेदन के परीक्षण करने पर, यदि सक्षम प्राधिकारी को यह प्रतीत हो कि यह विश्वास करने के लिए युक्तियुक्त कारण है कि नियोजक के पास ऐसी रोक या कटौती करने का अधिकार है, तो वह कर्मचारी को सुनवाई का उचित अवसर देने के बाद, आवेदन पर अपना निर्णय होने तक अर्द्ध मासिक भुगतान को पूर्ण या आंशिक रूप से रोकने का आदेश जारी कर सकेगा।
- (3) सारांशीकरण के लिए आवेदन पर प्रक्रिया.—
- (एक) जहाँ एक मुश्त राशि के संदाय रूप में अर्द्ध मासिक संदाय को प्राप्त करने के अधिकार से मोचन के लिए संहिता की धारा 80 के अधीन सक्षम प्राधिकारी को आवेदन किया जाता है, तो सक्षम प्राधिकारी, निःशक्तता की संभावित अवधि का प्राक्कलन करेगा और संपूर्ण अर्द्ध-मासिक संदाय के बराबर राशि अधिनिर्णीत करेगा, जो उस कालावधि के लिए देय होगी, जब तक उसके अनुमान से निःशक्तता जारी रहेगी, उस कालावधि के समाविष्ट प्रत्येक महीने की कुल राशि की आधा प्रतिशत घटा कर होगी:

परन्तु इस प्रकार संगणना में सम्मिलित रूपयों की भिन्नों को ध्यान नहीं दिया जायेगा।

(दो) किसी ऐसे मामले में, जहाँ पर खण्ड (एक) लागू होता हो, जब सक्षम प्राधिकारी निःशक्तता की अधिसंभाव्य अवधि का अनुमान आंकलन करने में असमर्थ रहे, तो वह समय-समय पर एक अवधि के लिए, जो किसी एक समय पर दो महीने से अधिक नहीं हो, आवेदन पर निर्णय को स्थगित रख सकता है।

16. संहिता की धारा 82 की उप-धारा (4) के अधीन कर्मचारियों का वर्ग और सूचना पुस्तिका का प्ररूप.— प्रत्येक नियोक्ता अपने परिसर में, जहाँ कर्मचारी नियोजित है, सूचना-पुस्तिका प्ररूप-बीस में संधारित करेंगे, जिससे कि परिसर में नियोजित किसी भी चोटग्रस्त कर्मचारी की या सद्भावपूर्वक उसकी ओर से कार्य करने वाले किसी भी व्यक्ति की सभी युक्तियुक्त समयों पर आसानी से पहुंच हो सकेगी।

परन्तु जहां सूचना पुस्तिका उपलब्ध है, कर्मचारी द्वारा सूचना पुस्तिका में गैर-प्रविष्टि पर, ऐसे कर्मचारी को इस अध्याय के तहत दावा करने से वंचित नहीं कर सकती है।

17. संहिता की धारा 84 की उप-धारा (1) के परन्तु के अधीन चिकित्सा परीक्षण के लिए बारंबार अंतराल.—

(1) नियमों के अनुसार के अलावा कर्मचारी चिकित्सकीय परीक्षण के लिए प्रस्तुत किए जाने के लिए अपेक्षित नहीं — कर्मचारी, जो चिकित्सकीय परीक्षण के लिए प्रस्तुत होने को अपेक्षित है, इस भाग में अन्तर्विष्ट नियमों के अनुसार ही ऐसा करने को बाध्य होंगे और अन्यथा नहीं।

(2) कर्मचारी और चिकित्सकीय व्यवसायी दोनों के परिसर में होने पर परीक्षण— जब ऐसा कर्मचारी, नियोक्ता के परिसर में उपस्थित हो, और नियोक्ता, उसे अर्हित चिकित्सकीय व्यवसायी, जो उपस्थित है, से उसकी निःशुल्क चिकित्सकीय परीक्षण कराना चाहता है, तो कर्मचारी तुरंत परीक्षण के लिए स्वयं को प्रस्तुत करेगा।

(3) अन्य मामलों में परीक्षण — उन मामलों में, जिनमें उप-नियम (2) लागू नहीं होता है, तो नियोक्ता—

(एक) उस स्थान पर चिकित्सा, व्यवसायी को भेज सकेगा, जहाँ कर्मचारी उस समय रह रहा हो और इस दशा में कर्मचारी, चिकित्सा व्यवसायी द्वारा परीक्षण के लिए निवेदन किए जाने पर अपने को चिकित्सकीय परीक्षण के लिए प्रस्तुत करेगा; या

(दो) कर्मचारी के पास अर्हित चिकित्सा व्यवसायी द्वारा निःशुल्क चिकित्सकीय परीक्षण करवाने के लिए लिखित प्रस्ताव भेज सकेगा, इस दशा में कर्मचारी, नियोक्ता के परिसर में अथवा उसके सामीप्य में ऐसे स्थान पर, जैसा कि प्रस्ताव में विनिर्दिष्ट किया जाए और ऐसे समय पर, जैसा इसके लिये विनिर्दिष्ट किया जाए, चिकित्सकीय परीक्षण के लिए प्रस्तुत होगा।

परन्तु यह कि :

(क) इस प्रकार विनिर्दिष्ट समय कर्मचारी की लिखित सहमति के सिवाय, शाम 7 बजे से सुबह 6 बजे के मध्य नहीं होगा; और

(ख) उन मामलों में, जिनमें कर्मचारी की स्थिति ऐसी हो, जिसमें उसके स्थान, जहाँ तत्समय वह रह रहा है, को छोड़ना असंभव हो या अविवेकपूर्ण समझा जाए, तो वह चिकित्सकीय परीक्षण के लिए प्रस्तुत होने को, इस स्थान के सिवाय, अपेक्षित नहीं होगा।

(4) परीक्षणों की संख्या पर निर्बंधन— यदि कर्मचारी, जो अर्द्ध-मासिक संदाय प्राप्त कर चुका है, तो वह दुर्घटना के बाद प्रथम महीने में दो बार से अधिक अथवा बाद के किसी महीने में एक से अधिक बार उस स्थान पर, जहाँ वह तत्समय रह रहा है, से भिन्न स्थान पर चिकित्सकीय परीक्षण के लिए प्रस्तुत होने के लिए अपेक्षित नहीं होगा।

(5) प्रतिकर के अधिकार के निलम्बन के बाद परीक्षण— यदि कोई कर्मचारी, जिसका प्रतिकर का अधिकार संहिता की धारा 84 की उप-धारा (2) या उप-धारा (3) के अधीन निलम्बित कर दिया है, बाद में चिकित्सकीय परीक्षण के लिए स्वयं प्रस्तुत होता है, तो उसका चिकित्सकीय परीक्षण, नियोक्ता के परिसर में या सामीप्य में ऐसे स्थान पर, जैसा नियोक्ता द्वारा नियत किया जाए, और कर्मचारी की अभिव्यक्त सहमति के सिवाय, ऐसे समय पर, जो नियोक्ता द्वारा नियत किया जाए, पर कर्मचारी द्वारा अपने को प्रस्तुत करने के बाद, बहत्तर घंटों से अधिक नहीं हो।

(6) महिला कर्मचारियों का परीक्षण—

(एक) किसी भी महिला कर्मचारी की उसकी सहमति के बिना, अन्य महिला की उपस्थिति के सिवाय, पुरुष व्यवसायी द्वारा चिकित्सकीय परीक्षण नहीं किया जाएगा।

(दो) यदि महिला कर्मचारी महिला चिकित्सक द्वारा चिकित्सकीय परीक्षण का अनुरोध करती है तो नियोक्ता को इसका खर्च वहन करना होगा।

18. संहिता की धारा 88 की उप-धारा (1) के अधीन नियोक्ता द्वारा विहित प्ररूप में प्रस्तुत किया गया कथन.—

(एक) संहिता की धारा 88 की उप-धारा (1) के अधीन सक्षम प्राधिकारी के द्वारा भेजी जाने वाली सूचना, प्ररूप— ईक्कीस में होगी और वह प्ररूप— बीस की सादी प्रतिलिपि के साथ होगी।

(दो) संहिता की धारा 88 के अधीन नियोक्ता के द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला कथन, प्ररूप—बाईस में, प्ररूप—बीस के साथ होगा।

(तीन) संहिता की धारा 88 की उप-धारा (1) के अधीन दुर्घटना के सम्बन्ध में सूचना उस प्राधिकारी को भेजी जा सकेगी, जिसके पास, ऐसी दुर्घटना की सूचना भेजी जानी आवश्यक है।

(चार) सक्षम प्राधिकारी, घातक या गंभीर दुर्घटनाओं के पीड़ितों के परिजनों के साथ नोटिस और उसके साथ संलग्न सूचना को साझा कर सकता है।

19. संहिता की धारा 89 की उप-धारा (1) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा रजिस्टर में ज्ञापन अभिलिखित करने की रीति.—

(1) ज्ञापन का प्ररूप— संहिता की धारा 89 की उपधारा (1) के अधीन सक्षम प्राधिकारी को भेजा गया कोई करार का ज्ञापन, जब तक कि सक्षम प्राधिकारी अन्यथा निर्देश न दे, दो प्रतियों में होगा और मामले की परिस्थितियों के अनुसार प्ररूप—तेईस अथवा प्ररूप—चौबीस अथवा प्ररूप— पच्चीस जैसा भी मामला हो, के अनुरूप होगा।

(2) प्रक्रिया, जहाँ सक्षम प्राधिकारी यह विचार नहीं करता है कि उसे ज्ञापन अभिलिखित करने से इंकार करना चाहिए —

(एक) करार का ज्ञापन प्राप्त करने पर, यदि सक्षम प्राधिकारी यह विचार नहीं करता है कि ज्ञापन को अभिलिखित करने से इन्कार करने के आधार है, तो वह, उन्हें अभिलिखित करने के लिए तारीख तय करेगा और सम्बन्धित पक्षकारों को प्ररूप-छब्बीस में लिखित में एक सूचना जारी करेगा कि आपत्ति के व्यतिक्रम में, वह इस प्रकार तय तारीख पर ज्ञापन को अभिलिखित करने का प्रस्ताव करता है :

परंतुक सूचना किन्हीं भी पक्षकारों को मौखिक रूप से संसूचित की जा सकती है, जो उस समय, जब सूचना लिखित रूप में अन्यथा जारी होती, उपस्थित हों।

(दो) इस प्रकार नियत तारीख पर, सक्षम प्राधिकारी ज्ञापन अभिलिखित करेगा, यदि किन्हीं पक्षकारों को, जो प्रस्तुत होकर सुने जाने की इच्छा प्रकट करे, जब तक कि वह यह न समझे कि इसे अभिलिखित नहीं किया जाना चाहिए:

परंतुक खण्ड (एक) के अधीन सूचना जारी करना, सक्षम प्राधिकारी को इस प्रकार तय तारीख पर ज्ञापन को अभिलिखित करने के लिए इन्कार करने से नहीं रोक सकेंगे, चाहे सम्बन्धित किसी पक्षकार द्वारा आपत्ति न की गई हो।

(तीन) यदि इस तारीख को सक्षम प्राधिकारी निर्णय करता है कि ज्ञापन अभिलिखित नहीं किया जाना चाहिए, तो वह, अपने निर्णय एवं इसके कारणों की सूचना, उपस्थित पक्षकारों को देगा और यदि ज्ञापन को अभिलिखित कराने की इच्छा रखने वाला कोई पक्षकार उपस्थित नहीं है, तो वह प्ररूप-सत्ताईस में पक्षकार को सूचना देगा।

(3) प्रक्रिया, जहाँ सक्षम प्राधिकारी यह विचार करता है कि ज्ञापन अभिलिखित करने से इन्कार करना चाहिए—

(एक) करार के ज्ञापन को प्राप्त करने पर, यदि सक्षम प्राधिकारी यह विचार करता है कि ज्ञापन अभिलिखित करने से इन्कार करने के पर्याप्त आधार हैं, तो वह पक्षकार या पक्षकारों को सुनने के लिए, जो ज्ञापन को अभिलिखित कराने की इच्छा रखते हैं; तारीख नियत करेगा और ऐसे पक्षकार या पक्षकारों को और यदि वह उचित समझे, किसी अन्य सम्बन्धित पक्षकार को

इस प्रकार नियत तारीख और आधार, जिन पर वह यह समझता है कि ज्ञापन अभिलिखित नहीं किया जाना चाहिए, की सूचना देगा:

परंतु ऐसे करार जो श्रमिकों या उनके परिजनों को संहिता की चौथी अनुसूची के अनुसार निर्धारित विधिक रूप से अनिवार्य राशि से कम मुआवजे का हकदार बनाते हैं, उन्हें सक्षम प्राधिकारी द्वारा अभिलिखित नहीं किया जाएगा परंतु यह और भी कि इन कारणों को सक्षम प्राधिकारी द्वारा एक आदेश में स्पष्ट रूप से अभिलिखित करेगा।

(दो) जब सूचना दिए जाने वाले पक्षकार उपस्थित नहीं हो, तो यथास्थिति, प्ररूप-अट्ठाईस अथवा प्ररूप-उन्नतीस में एक लिखित सूचना उन्हें दी जाएगी, और इस सूचना में नियत तारीख, सूचना जारी होने की तारीख के बाद से सात दिन से कम नहीं होगी।

(तीन) खण्ड (एक) के अधीन तय तारीख पर, यदि ज्ञापन को अभिलिखित कराने की इच्छा रखने वाला पक्ष या पक्षकार, ज्ञापन को अभिलिखित करने के लिए कार्यवाही करने के लिए, उचित कारण दर्शाते हैं, तो सक्षम प्राधिकारी, यदि सम्बन्धित सभी पक्षकारों को पहले ही सूचना दी जा चुकी है, करार अभिलिखित कर सकेगा। यदि इन सभी पक्षकारों को सूचना नहीं दी गई है, तो वह खण्ड (दो) के अनुसार कार्यवाही करेगा।

(चार) इस प्रकार नियत तारीख पर, यदि सक्षम प्राधिकारी ज्ञापन अभिलिखित करने से इंकार करेगा, तो वह उस किसी भी पक्षकार को प्ररूप-सत्ताईस में सूचना भेजेगा, जिसने खण्ड (एक) के अधीन सूचना प्राप्त नहीं की थी।

(4) ज्ञापन अभिलिखित करने से इंकार पर प्रक्रिया—

(एक) जहाँ किसी मामले में, सक्षम प्राधिकारी करार के ज्ञापन को अभिलिखित करने से इंकार करता है, तो वह अपने ऐसे इंकार के कारणों का संक्षिप्त रूप से अभिलिखित करेगा।

(दो) जहाँ सक्षम प्राधिकारी करार के ज्ञापन को अभिलिखित करने से इंकार करता है, तो वह करार में विनिर्दिष्ट राशि से अधिक किसी राशि या रकम या धनराशि संदाय करने को निर्देशित करने वाला आदेश पारित नहीं करेगा, यदि राशि अदा करने के उत्तरदायी पक्षकार को यह कारण बताने का, कि राशि अदा क्यों नहीं की जानी चाहिए, अवसर न दे दिया गया हो।

(तीन) जहाँ करार एकमुश्त राशि के संदाय के द्वारा अर्द्ध मासिक संदायों के मोचन के लिए हो, और सक्षम प्राधिकारी यह माने कि करार का ज्ञापन, करार में यथा नियत ऐसी राशि की रकम की अपर्याप्तता के कारण अभिलिखित नहीं किया जाना चाहिए, तो वह कर्मचारी की निःशक्तता की संभाव्य अवधि का अपना आंकलन अभिलिखित करेगा।

(5) अभिलेख के लिए स्वीकार किए गए ज्ञापन का पंजीकरण—

करार के ज्ञापन अभिलिखित करने में, सक्षम प्राधिकारी इसको प्ररूप—तीस में एक रजिस्टर में अभिलिखित कराएगा और ज्ञापन की एक प्रति पर अपने हस्ताक्षर द्वारा पृष्ठांकन करवाएगा, जो निम्नलिखित निबंधनों में उसके द्वारा रखी जाएगी, अर्थात् :

“वर्ष को क्रम संख्या वाला करार का यह ज्ञापन को रजिस्टर में अभिलिखित किया गया।

सक्षम प्राधिकारी के हस्ताक्षर”

20. संहिता की धारा 91 की उप-धारा (1) के अधीन सक्षम प्राधिकारी के रूप में नियुक्ति के लिए सक्षम प्राधिकारी की पात्रता.—

सक्षम प्राधिकारी की पात्रता :—

कोई व्यक्ति सक्षम प्राधिकारी नियुक्त होने के लिए तब पात्र होगा जब :—

- (1) वह किसी राज्य न्यायिक सेवा का, 5 वर्ष से अन्यून की अवधि के लिए सदस्य हो; या
- (2) वह कम से कम दस वर्ष की वकालत करने वाला अधिवक्ता हो; या
- (3) वह 5 वर्ष से अन्यून की सेवा अवधि वाला ऐसा राजपत्रित अधिकारी, जो कार्मिक प्रबंध, मानव संसाधन विकास, औद्योगिक सम्बन्ध तथा विधिक मामलों में शैक्षणिक अर्हताएं और अनुभव रखता हो; या
- (4) वह श्रम विभाग, छत्तीसगढ़ सरकार का ऐसा अधिकारी, जो सहायक श्रम आयुक्त/उप संचालक, औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा की श्रेणी से निम्न का न हो।

21. संहिता की धारा 92 की उप-धारा (1) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा या उसके समक्ष मामले के निपटान की रीति.—

(1) आवेदन— संहिता की धारा 93 में निर्दिष्ट प्रकृति का कोई आवेदन, सक्षम प्राधिकारी को पंजीकृत डाक द्वारा भेजा जा सकता है अथवा उसके पास प्रस्तुत किया जा सकता है अथवा इस निमित्त उसके द्वारा प्राधिकृत उसके किसी अधीनस्थ को दिया जा सकता है और इस प्रकार भेजा गया या प्रस्तुत किया गया आवेदन, जब तक कि सक्षम प्राधिकारी अन्यथा निर्देशित नहीं करता, प्ररूप—इकतीस, बत्तीस तथा तैंतीस में, दो प्रतियों में बनाया जाएगा और आवेदक द्वारा आदेश 6 नियम 15 अंतर्गत सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का सं. 5) में विहित रीति से हस्ताक्षरित और सत्यापित किया जाएगा।

(2) दस्तावेजों का प्रस्तुत किया जाना—

(एक) जब अनुतोष के लिए आवेदन, दस्तावेज पर आधारित हो, तो दस्तावेज, आवेदन के साथ संलग्न किया जाएगा।

(दो) कोई अन्य दस्तावेज, जो कोई पक्षकार साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत करना चाहे, पहली सुनवाई के दौरान अथवा पहले प्रस्तुत किया जाएगा।

(तीन) कोई भी दस्तावेज जो खंड (एक) अथवा (दो) में निर्दिष्ट समय पर या उसके भीतर प्रस्तुत नहीं किया जाता है, यथास्थिति, सक्षम प्राधिकारी की मंजूरी के बिना उस आवेदक की ओर से साक्ष्य के रूप में स्वीकार नहीं किया जाएगा, जिसे उसे प्रस्तुत करना चाहिए था।

(चार) इस नियम में दी गई कोई भी बात, किसी ऐसे दस्तावेज पर लागू नहीं होगा, जो गवाह की प्रति—परीक्षण के प्रयोजन के लिए पेश किया गया हो या गवाह को उसकी याददाश्त ताजा करने के लिए दे दिया गया हो।

(3) अन्य सक्षम प्राधिकारी को प्रस्तुत आवेदन—

(एक) आवेदन प्राप्त करने पर, यदि सक्षम प्राधिकारी को यह प्रतीत होता है कि यह, किसी अन्य सक्षम प्राधिकारी को प्रस्तुत किया जाना चाहिए था, तो वह, प्रस्तुत होने एवं वापस करने की तारीख, वापस करने का कारण और उस सक्षम प्राधिकारी का पदनाम, जिसको यह भेजा जाना चाहिए, पृष्ठांकित कर, आवेदक को वापस भेजेगा।

(दो) यदि वाद के किसी भी प्रक्रम पर, सक्षम प्राधिकारी को यह प्रतीत होता हो कि आवेदन किसी अन्य सक्षम प्राधिकारी को भेजा जाना चाहिए था, तो वह, उस सक्षम प्राधिकारी को यह आवेदन भेज देगा, जो इसकी सुनवाई करने

के लिए सशक्त है और आवेदक को (और विरोधी पक्षकार को) यदि उसने उप-नियम (8) के अधीन आवेदन की एक प्रति प्राप्त कर ली है, तदनुसार सूचित करेगा।

(तीन) वह सक्षम प्राधिकारी, जिसको उप-नियम (2) के अधीन आवेदन अन्तरित किया गया है, कार्यवाहियां उसी प्रकार जारी रखेगा, मानो पूर्व की कार्यवाहियां अथवा उनमें से कोई कार्यवाही उसके समक्ष की गई हो, यदि वह संतुष्ट हो जाता है कि पक्षकारों के हित पर तद्द्वारा कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

(4) आवेदक का परीक्षण—

(एक) संहिता की धारा 93 में निर्दिष्ट प्रकृति का आवेदन प्राप्त करने के बाद, सक्षम प्राधिकारी शपथ पर आवेदक की परीक्षण कर सकता है, अथवा आवेदन को इस निमित्त राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी के पास भेज सकता है और ऐसे अधिकारी को आवेदक की एवं उसके गवाहों की परीक्षण लेने का निर्देश दे सकता है और उसके अभिलेख को सक्षम प्राधिकारी के पास भेजने का निर्देश दे सकता है।

(दो) खण्ड (एक) के अधीन की गई किसी परीक्षण का सार उसी रीति से अभिलिखित किया जाएगा, जैसा कि संहिता की धारा 97 में साक्ष्य को अभिलिखित करने के लिए उपबंध किया गया है।

(5) आवेदन का संक्षिप्त रूप में खारिज होना—

(एक) सक्षम प्राधिकारी, आवेदन पर तथा उप-नियम (4) के अधीन आवेदक की किसी परीक्षण के परिणाम पर विचार करने के बाद, आवेदन को, यदि वह, कारणों को लेखबद्ध करते हुए, इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि उस पर आगे कार्यवाही करने के कोई पर्याप्त आधार नहीं हैं, संक्षिप्त रूप में खारिज कर सकता है।

(दो) खण्ड (एक) के अधीन आवेदन की खारिजी, आवेदक को उसी मामले के निपटारे के लिए नया आवेदन प्रस्तुत करने से नहीं रोकेंगी।

(6) आवेदन में प्रारम्भिक जांच— यदि उप-नियम (5) के अधीन किसी आवेदन को खारिज नहीं किया गया हो, तो सक्षम प्राधिकारी, उन कारणों को अभिलिखित

कर, किसी अन्य पक्षकार को बुलाने से पहले, आवेदक को आवेदन के समर्थन में साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए बुला सकता है, और ऐसे साक्ष्य पर विचार करने के बाद, यदि सक्षम प्राधिकारी की यह राय बनती है कि दावा की गई अनुतोष के लिए मामला नहीं बनता है, तो वह, ऐसा करने के लिए अपने कारणों के संक्षिप्त कथन के साथ आवेदन को खारिज कर सकेगा।

(7) विरोधी पक्षकार को सूचना— यदि सक्षम प्राधिकारी, उप-नियम (5) या उप-नियम (6) के अधीन आवेदन खारिज नहीं करता है, तो वह, आवेदन की एक प्रति उस तारीख को सूचना सहित जिस तारीख को वह आवेदन का निस्तारण करेगा उस पक्षकार (जो इसमें इसके पश्चात् विरोधी पक्षकार के रूप में निर्दिष्ट है) के पास भेजेगा, जिससे आवेदक अनुतोष का दावा कर रहा है और पक्षकारों को इस तारीख पर, किसी साक्ष्य को प्रस्तुत करने के लिए कहेगा, जो वे प्रस्तुत करना चाहें।

(8) विरोधी पक्षकार की पेशी एवं परीक्षण—

(एक) विरोधी पक्षकार प्रथम सुनवाई के पहले या उस समय, जैसा कि सक्षम प्राधिकारी अनुमति दे, आवेदन में किए गए दावे से सम्बन्धित लिखित कथन दायर कर सकता है, और यदि सक्षम प्राधिकारी द्वारा ऐसा अपेक्षित हो, तो लिखित कथन दायर करेगा और ऐसा कोई भी लिखित कथन, अभिलेख का हिस्सा होगा।

(दो) यदि विरोधी पक्षकार दावे का विरोध करता है, तो सक्षम प्राधिकारी दावे पर उसकी परीक्षण लेने के लिए कार्यवाही कर सकता है, और यदि कोई लिखित कथन प्रस्तुत नहीं किया गया है, तो कार्यवाही करेगा और परीक्षण के परिणाम को लेखबद्ध करेगा।

(9) विवादकों की विरचना—

(एक) किसी लिखित कथन और पक्षकारों की किसी परीक्षण के परिणाम पर विचार करने के बाद, सक्षम प्राधिकारी यह सुनिश्चित करेगा कि तथ्य अथवा विधि के किस प्रतिपादन पर पक्षकारों में मतभेद है और तदुपरान्त उन विवादकों को विरचित एवं अभिलिखित करेगा, जिस पर मामले का सही निर्णय निर्भर करता है।

(दो) विवादकों को अभिलिखित करने में, सक्षम प्राधिकारी उन विवादकों, जो उसकी राय में तथ्य की बिन्दु है और उन विवादकों, जो विधि बिन्दुओं से सम्बन्धित हैं में भेद करेगा।

(10) तथ्यों के विवादकों के विचारण के स्थगन की शक्ति, जहाँ विधि विवादक उत्पन्न होते हों— जहाँ एक ही मामले में तथ्य के विवादक एवं विधि के विवादक उत्पन्न हों और सक्षम प्राधिकारी की यह राय हो कि मामले का निपटारा केवल विधि के विवादकों के आधार पर हो सकेगा तो वह उन विवादकों का पहले विचारण करेगा और उस उद्देश्य के लिए, यदि वह उचित समझे, तथ्य के विवादकों को तब तक स्थगित रख सकेगा, जब तक कि विधि के विवादकों का निर्धारण नहीं हो जाता।

(11) डायरी— सक्षम प्राधिकारी, प्रत्येक आवेदन पर की गई कार्यवाहियों की एक संक्षिप्त डायरी स्वयं संधारित रखेगा।

(12) निर्णय—

(एक) सक्षम प्राधिकारी, आदेश पारित करने में, संक्षिप्त रूप से निर्णय और विरचित विवादकों के प्रत्येक विवादक पर अपने निष्कर्ष को, और अपने निष्कर्ष के कारणों को, अभिलिखित करेगा।

(दो) हस्ताक्षर करते समय एवं निर्णय पर तारीख डालते समय, सक्षम प्राधिकारी अपने निर्णय को सुनायेगा, और उसके पश्चात् किसी आकस्मिक भूल अथवा लोप से उत्पन्न लिपिकीय अथवा गणितीय त्रुटि को सुधारने से भिन्न, निर्णय में कुछ भी जोड़ा या परिवर्तित नहीं किया जायेगा।

(13) साक्षियों को बुलाना— यदि कार्यवाही के किसी पक्षकार द्वारा साक्षियों को बुलाने के लिए आवेदन किया जाता है, तो सक्षम प्राधिकारी विहित खर्चों एवं फीस अदा होने पर ऐसे साक्षियों को बुलाने के लिए सम्मन जारी करेगा, जब तक कि वह यह विचार न करे कि उनकी उपस्थिति, मामले के सही निर्णय के लिए आवश्यक नहीं है।

(14) स्थानीय निरीक्षण के लिए प्रवेश करने का अधिकार— सक्षम प्राधिकारी, जिसके समक्ष दुर्घटना द्वारा हुई क्षति से सम्बन्धित कोई कार्यवाही लम्बित हो, स्थानीय निरीक्षण करने के लिए अथवा कार्यवाहियों से सम्बन्धित सूचना देने वाले किसी व्यक्ति की परीक्षण करने के लिए, उस स्थान में कभी भी प्रवेश कर

सकता है, जहाँ कर्मचारी दुर्घटनाग्रस्त हुआ था, अथवा जहाँ साधारण तौर पर कर्मचारी कार्य करता था :

परंतु सक्षम प्राधिकारी, नियोक्ता अथवा स्थापना के प्रबन्धन के लिए उसके प्रति प्रत्यक्ष रूप से उत्तरदायी किसी व्यक्ति की अनुमति के सिवाय, उस स्थापना के सामान्य कार्य समय के दौरान को छोड़कर, किसी औद्योगिक स्थापना के परिसर में प्रवेश नहीं करेगा।

(15) स्थानीय निरीक्षण के सम्बन्ध में प्रक्रिया—

(एक) जहाँ सक्षम प्राधिकारी, उन परिस्थितियों की, जिनमें दुर्घटना स्थल पर जांच करने की दृष्टि से स्थानीय निरीक्षण करने के लिए प्रस्ताव रखता है, तो वह ऐसा निरीक्षण करने के अपने आशय की सूचना पक्षकारों या उनके प्रतिनिधियों को देगा, जब तक कि उनकी राय में मामले की आवश्यकता, इस प्रकार के सूचना को असाध्य न बना दे।

(दो) ऐसी सूचना मौखिक या लिखित दी जा सकती है, और नियोक्ता के मामले में, उसे किसी भी व्यक्ति को दी जा सकती है जिस पर संहिता की धारा 88 की उप-धारा (2) के अधीन दावे का सूचना तामील की जा सकती है, अथवा किसी ऐसे व्यक्ति के किसी प्रतिनिधि को दी जा सकती है।

(तीन) स्थानीय निरीक्षण में कोई भी पक्षकार, अथवा किसी पक्षकार का प्रतिनिधि, सक्षम प्राधिकारी के साथ हो सकेगा।

(चार) स्थानीय निरीक्षण करने के पश्चात् सक्षम प्राधिकारी ज्ञापन में संक्षिप्त रूप से देखे गए तथ्यों को लिखेगा और उसे ऐसे किसी पक्षकार को दिखाएगा, जो देखना चाहे, और विहित शुल्क के संदाय के बाद, उसकी प्रति किसी भी पक्षकार को देगा।

(पांच) ज्ञापन, अभिलेख का भाग होगा।

(16) संक्षिप्त परीक्षण की शक्ति—

(एक) सक्षम प्राधिकारी, उसके समक्ष लम्बित किसी मामले की औपचारिक सुनवाई के समय के सिवाय, स्थानीय निरीक्षण के दौरान अथवा किसी भी समय, किसी भी व्यक्ति का संक्षिप्त परीक्षण कर सकता है, जो ऐसे मामले से सम्बन्धित सूचना देने में समर्थ ज्ञात होता हो, चाहे ऐसा व्यक्ति

- मामले में गवाह के रूप में पुकारा गया हो अथवा पुकारा जाये या नहीं, और चाहे कोई पक्षकार या सभी पक्षकार उपस्थित हो या न हों।
- (दो) खण्ड (एक) के अधीन जांच लिए जाने वाले व्यक्ति को शपथ नहीं दिलाई जाएगी।
- (तीन) खण्ड (एक) के अधीन जांच किए गए व्यक्तियों द्वारा किये गये कथन, यदि लिखे गये हों, कथन करने वाले व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षरित नहीं होंगे, न ही इसमें इसके पश्चात्, जैसा उपबंधित किया गया हो के सिवाय, उनको अभिलेख में सम्मिलित किया जाएगा अथवा मामले में निर्णय पर पहुंचने के प्रयोजन के लिए प्रयोग किया जाएगा।
- (चार) यदि कोई गवाह, जिसकी खण्ड (एक) के अधीन परीक्षण की गयी है साक्ष्य में कोई सारवान कथन करता है जो ऐसी परीक्षण में उसके द्वारा किए गए और लिखे गए कथन से विरोधात्मक हो, तो सक्षम प्राधिकारी उसका ध्यान ऐसे कथन की ओर दिला सकता है और उस स्थिति में निर्देश दे सकता है कि गवाह का परीक्षण अथवा प्रति-परीक्षण लेने के प्रयोजन के लिए, ऐसे कथन का सुसंगत भाग पक्षकारों को दे दिया जाएगा।
- (पांच) कोई कथन अथवा कथन का हिस्सा, जो खण्ड (चार) के अधीन पक्षकारों को दिया गया है, अभिलेख में सम्मिलित किया जाएगा।
- (छः) जहाँ कोई मामला, पक्षकारों के मध्य करार द्वारा निपटा लिया गया हो, तो सक्षम प्राधिकारी, खण्ड (एक) के अधीन किए गए किसी भी कथन को अभिलेख में सम्मिलित कर सकेगा और किए गए करार को स्वीकार करने, अथवा स्वीकार करने से इंकार करने को न्यायोचित ठहराने के प्रयोजन के लिए, ऐसे कथन का प्रयोग कर सकेगा।

(17) सक्षम प्राधिकारी के निर्णय को मानने का करार—

- (एक) यदि कोई पक्षकार, सक्षम प्राधिकारी के निर्णय को मानने की अपनी इच्छा लिखित रूप में करता है, तो सक्षम प्राधिकारी इसकी जांच करेगा कि क्या अन्य पक्षकार निर्णय मानने का इच्छुक है।

- (दो) यदि अन्य पक्षकार सक्षम प्राधिकारी के निर्णय को मानने के लिए सहमत होता है, तो उसके करार का तथ्य, लिखित में अभिलिखित किया जाएगा और उसके द्वारा हस्ताक्षरित होगा।
- (तीन) यदि अन्य पक्षकार, सक्षम प्राधिकारी के निर्णय को मानने के लिए सहमत नहीं होता है, तो प्रथम पक्षकार भी निर्णय मानने के बाध्यता के अधीन नहीं रहेगा।
- (18) प्रक्रिया जहाँ, संहिता की धारा 85 की उप-धारा (2) के अधीन क्षतिपूर्ति का दावा किया गया हो—

- (एक) जहाँ विरोधी पक्षकार यह दावा करता है कि उससे प्रतिकर वसूला गया है, तो वह धारा 85 की उप-धारा (2) के अधीन ऐसे व्यक्ति, जो मामले का पक्षकार नहीं है, के द्वारा क्षतिपूर्ति का हकदार होगा, तो आवेदन का प्रथम बार उत्तर देने के लिए बुलाए जाने पर वह विहित शुल्क के साथ ऐसी सूचना सक्षम प्राधिकारी को प्रस्तुत करेगा और सक्षम प्राधिकारी, इस पर प्ररूप-चौतीस के अधीन में ऐसे व्यक्ति को सूचना जारी करेगा।
- (दो) यदि कोई व्यक्ति, जिसे खण्ड (एक) के अधीन सूचना तामील कराई गई है, आवेदक के प्रतिकर के दावे का विरोध करने की इच्छा करता है, अथवा विरोधी पक्षकार के दावे की क्षतिपूर्ति किए जाने की इच्छा व्यक्त करता है, तो वह मामले की सुनवाई के लिए नियत तारीख पर या किसी उस तारीख पर, जब तक के लिए मामले को स्थगित किया गया है, सक्षम प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत होगा और यदि इस प्रकार वह प्रस्तुत होता है, तो कार्यवाही के पक्षकार के सभी अधिकार उसे प्राप्त होंगे और प्रस्तुत होने का व्यतिक्रम करने पर यह माना जाएगा कि विरोधी पक्षकार के विरुद्ध दिया गया कोई अधिनिर्णय, उसे स्वीकार है और उससे वसूले गए किसी प्रतिकर के लिए विरोधी पक्षकार की क्षतिपूर्ति करने का उसका स्वयं का दायित्व स्वीकार है :

परंतु इस प्रकार सूचना तामील किया गया व्यक्ति बाद में प्रस्तुत होकर, सक्षम प्राधिकारी को संतुष्ट कर देता है कि उसके प्रस्तुत न होने का पर्याप्त कारण था, तो उपर्युक्त विरोधी पक्षकार को सूचना देने के बाद, सक्षम प्राधिकारी, ऐसे व्यक्ति को सुनेगा और इन

नियमों और ऐसे निबंधनों के अधीन, जैसा कि न्यायसंगत हो, ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध दिए गए किसी अधिनिर्णय को अपास्त कर सकेगा अथवा परिवर्तित कर सकेगा।

(तीन) यदि कोई व्यक्ति, जिसे खण्ड (एक) के अधीन सूचना तामील कराई गई है, चाहे वह आवेदक के प्रतिकर के दावे का अथवा विरोधी पक्षकार की क्षतिपूर्ति किए जाने के दावे का विरोध करने की इच्छा करे या न करे, दावा करता है कि ठेकेदार होते हुए वह स्वयं मालिक है और उस व्यक्ति द्वारा क्षतिपूर्ति किए जाने का हकदार है, जो उस ठेकेदार, जिससे कर्मचारी प्रतिकर वसूली के सम्बन्ध में उसके विरोध में है, तो वह खण्ड (एक) के अधीन दिए गए सूचना में नियत दिनांक पर या पहले, विहित शुल्क के साथ सक्षम प्राधिकारी को ऐसे दावे की एक सूचना देगा और सक्षम प्राधिकारी इस पर प्ररूप-पैंतीस में ऐसे व्यक्ति को सूचना जारी करेगा।

(चार) यदि कोई व्यक्ति, जिसे खण्ड (तीन) के अधीन सूचना तामील किया गया है आवेदक के प्रतिकर के दावे का विरोध करने की अथवा खण्ड (तीन) के अधीन क्षतिपूर्ति किए जाने की इच्छा प्रकट करता है, तो वह प्ररूप-पैंतीस में, तय की गई दिनांक पर या उस दिनांक पर, जिस पर मामला, स्थगित किया गया है, सक्षम प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत होगा और यदि वह इस प्रकार प्रस्तुत हो जाता है, तो उसे कार्यवाही के पक्षकार के सभी अधिकार प्राप्त होंगे और इस प्रकार प्रस्तुत होने के व्यक्तिक्रम में यह माना जाएगा कि मूल पक्षकार के विरोधी अथवा उस व्यक्ति के विरोधी, जिसे खण्ड (एक) के अधीन सूचना तामील कराया गया है, दिए गए अधिनिर्णय को स्वीकार करता है और उस पक्षकार की क्षतिपूर्ति करने को स्वयं का दायित्व स्वीकार करता है, जिसके विरुद्ध उससे वसूल किये जाने वाले किसी प्रतिकर के लिए अधिनिर्णय दिया गया है :

परंतु यदि कोई व्यक्ति, जिसे इस प्रकार सूचना तामील करा दिया गया है, बाद में प्रस्तुत होकर सक्षम प्राधिकारी को संतुष्ट कर देता है कि किसी पर्याप्त कारण से वह प्रस्तुत नहीं हुआ था तो

अभिलेख पर दिए गए सभी पक्षकारों को सूचना देने के बाद, सक्षम प्राधिकारी ऐसे व्यक्ति को सुनेगा और ऐसे निबंधनों पर, जो कि न्यायोचित हों, इस नियम के अधीन ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध दिए गए किसी अधिनिर्णय को अपास्त या परिवर्तित कर सकेगा।

(पांच) किसी कार्यवाही में, जिसमें खण्ड (एक) अथवा खण्ड (तीन) के अधीन किसी व्यक्ति पर सूचना की तामील की गई है, सक्षम प्राधिकारी, यदि वह प्रतिकर अधिनिर्णीत करता है, तो अपने निर्णय में ऐसे प्रत्येक व्यक्ति के संबंध में निष्कर्ष अभिलिखित करेगा कि यदि वह विरोधी पक्षकारों में से किसी को क्षतिपूर्ति करने के लिए दायी है या नहीं, और वह पक्षकार, यदि कोई हो, विनिर्दिष्ट करेगा जिसे वह क्षतिपूर्ति करने के लिए दायी है।

(19) संसक्त मामलों में प्रक्रिया—

(एक) जहाँ एक ही दुर्घटना से उत्पन्न दो या दो से अधिक मामले, सक्षम प्राधिकारी के समक्ष लम्बित हों और इसके अंतर्बलित कोई भी विवाद्यक, दो या अधिक ऐसे मामलों में समान हो तो, जहाँ तक ऐसे विवाद्यकों में साक्ष्य का सम्बन्ध है, ऐसे मामलों की सुनवाई साथ-साथ की जा सकती है।

(दो) जहाँ खण्ड (एक) के अधीन कार्रवाई की जाती है तो उस समान विवाद्यक या विवाद्यकों के साक्ष्य का अभिलेखन, एक मामले के अभिलेख पर अभिलिखित किया जाएगा और सक्षम प्राधिकारी ऐसे किसी अन्य मामले के अभिलेख पर अपने हस्ताक्षर करके, उसे प्रमाणित करेगा, उस विस्तार तक कि इस प्रकार अभिलिखित किया गया साक्ष्य, ऐसे अन्य मामले में हो, और यह तथ्य कि ऐसे अन्य मामले के पक्षकारों को प्रस्तुत होने का अवसर मिला हो, और यदि वे उपस्थित रहे हों तो, गवाहों के प्रति-परीक्षण का अवसर मिला हो।

(20) सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के कतिपय उपबंधों का लागू होना.— संहिता या इन नियमों में अन्यथा उपबंधित होने के सिवाय, सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 की प्रथम अनुसूची के निम्नलिखित उपबंध यथा वे उपबंध, जो आदेश पांच, नियम 9 से 13 और 15 से 30, आदेश नौ, आदेश तेरह, नियम 3 से

10, आदेश सोलह, नियम 2 से 21, आदेश सत्रह, आदेश तेईस नियम 1 एवं 2 में निहित हैं, सक्षम प्राधिकारी के समक्ष कार्यवाही में लागू होंगे, जहाँ तक वे उनको लागू हो सकेंगे :

परंतु यह कि:-

(क) सक्षम प्राधिकारी, ऐसे उपबंधों के प्रवर्तन को सुगम बनाने के उद्देश्य से उन्हें ऐसे अनुकूलनों तथा/या संशोधनों सहित, जो उनके मूल तत्व को प्रभावित न करते हों, लागू कर सकेगा, जो प्रकरण की परिस्थितियों में आवश्यक हो;

(ख) पर्याप्त कारणों से, सक्षम प्राधिकारी, उपबंधों के अनुसार से भिन्न कार्यवाही कर सकता है, यदि वह संतुष्ट हो जाता है कि पक्षकारों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

(21) प्ररूपों के हस्ताक्षर के सम्बन्ध में उपबंध— प्रतिकर की रसीद से भिन्न कोई अन्य प्ररूप, जो इन नियमों के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित होना अपेक्षित है, उसके निर्देशानुसार एवं उसकी ओर से इस उद्देश्य के लिए लिखित रूप में उसके द्वारा नियुक्त उसके अधीनस्थ अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित किया जा सकता है।

(22) आश्रितों में प्रतिकर का प्रभाजन करना— उप-नियम (7), (8), एवं (18) में निहित उपबंधों के सिवाय, इस भाग के उपबंध, जहाँ तक हो सके, मृत कर्मचारियों के आश्रितों में प्रतिकर के प्रभाजन से सम्बन्धित किन्हीं भी कार्यवाहियों के मामले में लागू होंगे।

(23) स्थगन के कारण अभिलिखित होंगे— यदि किसी आवेदन का निस्तारण एक ही सुनवाई में पूर्ण करना संभव नहीं पाता है तो सक्षम प्राधिकारी उन कारणों को अभिलिखित करेगा, जो स्थगन को आवश्यक कर रहे हैं।

(24) खर्चों के संदाय से छूट— यदि सक्षम प्राधिकारी संतुष्ट हो जाता है कि गरीबी के कारण आवेदक विहित शुल्क अदा करने में असमर्थ है, तो वह किसी शुल्क अथवा सभी शुल्कों से छूट दे सकता है। यदि मामले का निर्णय आवेदक के पक्ष में हो जाता है, तो विहित शुल्क को, जिसे माफ नहीं किया गया होता तो अदा करने के लिए देय होगी, मामले के खर्चों में जोड़ा जा

सकता है और उस तरीके से वसूला जा सकता है, जैसा कि सक्षम प्राधिकारी खर्चे सम्बन्धी अपने आदेश में निर्देशित करें।

22.संहिता की धारा 93 की उप-धारा (4) के तहत आवेदन के निपटारे के लिए समय-सीमा और कार्यवाही के लिए आकस्मिक लागत.—

प्रतिकर से संबंधित मामलों के निपटारे की समय सीमा— सक्षम प्राधिकारी, संदर्भ की तारीख से तीन महीने की अवधि के भीतर इस संहिता के तहत प्रतिकर से संबंधित मामले का निपटारा करेगा और कर्मचारी को उक्त अवधि में निर्णय के संबंध संसूचित करेगा।

23. संहिता की धारा 97 के अधीन ज्ञापन के अभिप्रमाणन की रीति.—

आवेदक की परीक्षण—

(एक) संहिता की धारा 93 में निर्दिष्ट प्रकृति का आवेदन प्राप्त करने पर, आवेदक की शपथ पर परीक्षण ले सकता है, अथवा आवेदन को इस सम्बन्ध में राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी के पास भेज सकता है और ऐसे अधिकारी को आवेदक की एवं उसके गवाहों की परीक्षण लेने का निर्देश दे सकता है और अभिलेख को सक्षम प्राधिकारी के पास भेजने का निर्देश दे सकता है।

(दो) उप-नियम (1) के अधीन की गई किसी परीक्षण का सार, उसी तरीके से अभिलिखित किया जाएगा, जैसा कि संहिता की धारा 97 में साक्ष्य को अभिलिखित करने के लिए उपबंध किया गया है।

अध्याय—सात

भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकारों के संबंध में सामाजिक सुरक्षा और उपकर

24.संहिता की धारा 101 के अधीन उपकर की राशि का भुगतान करने की समय-सीमा.

— कोई भी नियोक्ता, संहिता की धारा 100 के अधीन देय उपकर की किसी भी राशि को, ऐसे समय के भीतर, जो कि निर्धारण आदेश में विनिर्दिष्ट किया जाए, या निर्धारण आदेश जारी होने की तारीख से 30 दिवस के भीतर भुगतान करेगा।

25.संहिता की धारा 105 की उप-धारा (2) के अधीन अपील के लिए शुल्क.— ऐसे अपील, अन्य बातों के साथ-साथ ऐसी अपील के तहत विवाद या जुर्माना या दोनों,

जैसा भी मामला हो, आधा प्रतिशत के बराबर एक गैर-वापसी योग्य शुल्क के साथ होगा, किन्तु पच्चीस हजार रुपये से अधिक नहीं होगा; जो राज्य सरकार के कोषालय में श्रम विभाग के मुख्य शीर्ष खाता 0230-01-800-में ई-चालान द्वारा जमा की जाएगी।

अध्याय—आठ वित्त तथा लेखे

26. संहिता की धारा 120 की उप-धारा (1) के अधीन किसी चल या अचल संपत्ति को अर्जित करने, रखने, बेचने, या अन्यथा किसी अंतरण के लिये शर्तें, उप-धारा (2) के अधीन पूंजी निवेश, पुनःनिवेश या निवेश वसूल करने संबंधी शर्तें, उप-धारा (3) के अधीन ऋण प्राप्त करने एवं ऐसे ऋणों की अदायगी हेतु उपायों के लिये शर्तें तथा उप-धारा (4) के अधीन अधिकारियों एवं कर्मचारीवृंद या उसके किसी वर्ग के लाभ हेतु भविष्य निधि या अन्य लाभकारी निधियों के सृजन हेतु शर्तें—

- (1) छत्तीसगढ़ भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल अंतर्गत “छत्तीसगढ़ भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण निधि” एवं छत्तीसगढ़ असंगठित कर्मकार राज्य सामाजिक सुरक्षा मंडल अंतर्गत गठित “निधि” इन नियमों के प्रवृत्त होने के पश्चात् गठित “निधि” माना जायेगा, जो संहिता और इन नियमों के प्रावधानुसार संचालित होगा और मण्डलों द्वारा प्रशासित होगी।
- (2) विनिवेश.— निधि से संबंधित समस्त धन राशि को, राष्ट्रीयकृत बैंक में अथवा भारतीय न्यास अधिनियम, 1882 (1882 का सं. 2) की धारा 20 के खण्ड (क) से (घ) में निर्दिष्ट प्रतिभूति में निवेशित किया जा सकेगा।
- (3) संहिता की धारा 120 की उप-धारा (3) के अनुसार मण्डल, राज्य सरकार से अग्रिम में ऋण/निधि प्राप्त कर सकेगा और उन्ही निबंधनों तथा शर्तों के अनुसार वापस कर सकेगा।
- (4) मण्डल, राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से और ऐसे निबंधनों पर, जैसा कि समय-समय पर राज्य सरकार द्वारा विहित किया जाए, उसके अधिकारियों तथा कर्मचारीवृंद या उनके किसी वर्ग के लिए, ऐसी भविष्य निधि या अन्य लाभ निधि, जो कि वह ठीक समझे, का गठन कर सकेगा।

27. संहिता की धारा 121 के अधीन अवसूलनीय शोध को बड़े खाते में रखने की शर्त और रीति.— जहाँ मण्डल का विचार है कि मंडल को देय अभिदाय, उपकर, ब्याज और नुकसानी की राशि अवसूलनीय है, वहाँ सरकार के पूर्व अनुमोदन से, मंडल या उसके द्वारा इस बारे में प्राधिकृत कोई अन्य अधिकारी, निम्नलिखित शर्तों के अधीन, उक्त राशि को बड़े खाते में डालने को मंजूरी दे सकेगा : —

(एक) संस्थान को पांच साल से अधिक समय से बंद कर दिया गया है और समस्त संभावित प्रयासों के बावजूद, नियोक्ता का पता नहीं लगाया जा सकता है;

(दो) मंडल द्वारा प्राप्त डिक्री को, व्यतिक्रमी नियोक्ता की पर्याप्त संपत्ति की कमी के कारण, सफलतापूर्वक निष्पादन नहीं किया जा सका हो; या

(तीन) निम्नलिखित द्वारा अंशदान का दावा पूर्ण रूप से नहीं किया गया है—

(क) कारखानों/प्रतिष्ठानों के मामले में, परिसमापन में जाने की दशा में; परिसमापक अधिकारी द्वारा; या

(ख) इकाई का राष्ट्रीयकरण या सरकार द्वारा लिये जाने की दशा में भुगतान हेतु सक्षम प्राधिकारी द्वारा।

अध्याय—नौ

प्राधिकार, मूल्यांकन, अनुपालन तथा वसूली

28. संहिता की धारा 122 की उप-धारा (6) के खंड (ड) के अधीन निरीक्षक—सह—सुकारक की अन्य शक्तियां.— निरीक्षक—सह—सुकारक ऐसी शक्तियों का प्रयोग कर सकेगा, जैसा कि राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर आदेश द्वारा अवधारित किया जाये।

29. संहिता की धारा 123 के खंड (क) के अधीन अभिलेखों और रजिस्ट्रों और अन्य विवरणों और ब्योरों के अनुरक्षण के लिए प्ररूप और रीति, खंड (ख) के अधीन कर्मचारियों के कार्य स्थलों पर सूचना प्रदर्शित करने की रीति और खंड (घ) के अधीन प्राधिकारी और अधिकारियों को विवरणियां दाखिल करने की रीति और कालावधि.—

(1) अभिलेख और रजिस्टर आदि— प्रत्येक स्थापना का नियोक्ता निम्नलिखित का रखरखाव, पंजीकरण करेगा—

- (क) वेतन संहिता (छत्तीसगढ़) नियम, 2026 के प्रारूप-एक में कर्मचारियों का विवरण;
 - (ख) वेतन संहिता (छत्तीसगढ़) नियम, 2026 के प्रारूप-नौ में उपस्थिति-सह-मस्टर रोल;
 - (ग) वेतन, अधिसमय, अग्रिम, जुर्माने और नुकसान के लिए कटौतियों का विवरण वेतन संहिता (छत्तीसगढ़) नियम, 2026 के प्रारूप-चार में;
- इसके तहत बनाए गए सभी नियमों के अनुसार खंड (क), (ख) और (ग) में बनाए गए रजिस्टर रखे जाएंगे, जिन्हें इन नियमों के तहत भी नियोक्ता द्वारा रखा हुआ माना जाएगा।

(2) महिला कर्मचारियों का रजिस्टर-

- (क) प्रत्येक स्थापना का नियोक्ता, जिसमें महिलाएं कार्यरत हैं, वे प्रारूप-छत्तीस में इलेक्ट्रॉनिक रूप से या हार्ड कॉपी में महिला कर्मचारियों का एक रजिस्टर तैयार करेगा और अनुरक्षित करेगा और इसमें स्थापना की समस्त महिला कर्मचारियों की विशिष्टियां दर्ज होंगी।

इसके अलावा, यह हमेशा निरीक्षक-सह-सुकारक के लिए अधिसूचित निरीक्षण योजना के अधीन निरीक्षण के लिए उपलब्ध रहेगा।

- (ख) नियोक्ता, महिला कर्मचारियों की ऐसी अन्य विशिष्टियां भी रजिस्टर में दर्ज करेगा, जैसा कि संहिता के किसी अन्य प्रयोजन के लिए आवश्यक हों।

(3) अभिलेखों का संधारण एवं संरक्षण-

- (एक) संहिता के अध्याय-पांच एवं छः के उपबंधों और इसके अधीन बनाये गये नियमों के अन्तर्गत रखे गए अभिलेख को, उसके बनने की तारीख से पाँच वर्ष की कालावधि के लिए संरक्षित किया जाएगा।
- (दो) इस अध्याय के तहत रजिस्टर इलेक्ट्रॉनिक तरीके से या किसी और तरीके से रखे जाएंगे।
- (तीन) रजिस्ट्रों में प्रविष्टि अंग्रेजी और हिंदी में या अधिकांश कर्मचारियों द्वारा समझी जाने वाली भाषा में की जाएगी।

(चार) प्रत्येक नियोक्ता निरीक्षक-सह-सुकारक या राज्य सरकार द्वारा इस कार्य के लिए अधिकृत किसी भी व्यक्ति के मांगने पर अभिलेख और रजिस्टर प्रस्तुत करेगा।

(पांच) संहिता और उसके तहत बनाए गए नियमों के अनुसार रखे जाने वाले सभी रजिस्टर और अन्य अभिलेख पूरे और अद्यतन रखे जाएंगे और जब तक राज्य सरकार द्वारा अन्यथा निर्देश न दिया जाए, उन्हें कार्यस्थल के परिसर के भीतर किसी कार्यालय या पास के सुविधाजनक भवन में या वहां से तीन किलोमीटर के दायरे में किसी स्थान पर रखा जाएगा।

(छः) प्रत्येक नियोक्ता धारा 123 के खंड (ब) के तहत कर्मचारियों को मजदूरी के भुगतान से 24 घंटे पहले, इलेक्ट्रॉनिक रूप से या किसी और तरीके से, मजदूरी संहिता (छत्तीसगढ़) नियम, 2026 के प्रारूप-V में वेतन परची जारी करेगा।

(4) वार्षिक विवरणी-

(एक) वह नियोजक जिसके लिए संहिता के अध्याय पांच और छः के उपबंध लागू होते हैं, प्रत्येक वर्ष फरवरी माह के प्रथम दिवस या इससे पूर्व छत्तीसगढ़ व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य दशाएं, नियम, 2026 के प्रारूप- XI में पूर्ववर्ती वर्ष के संबंध में विनिर्दिष्ट विशिष्टियां की जानकारी देते हुए, वार्षिक विवरणी छत्तीसगढ़ सरकार, श्रम विभाग के ऑनलाईन वेब पोर्टल पर अपलोड करेगा,

परंतु, निरीक्षण के दौरान, निरीक्षक-सह-सुकारक खातों, पुस्तकों, रजिस्टर और अन्य दस्तावेजों को प्रस्तुत करने की अपेक्षा कर सकेगा जिनका संधारण इलेक्ट्रॉनिक रूप में या किसी अन्य रूप से किया जाता है।

स्पष्टीकरण :- इस उप-नियम के प्रयोजनों के लिए, अभिव्यक्ति "इलेक्ट्रॉनिक रूप" का वही अर्थ होगा जो सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 (2000 की सं. 21) की धारा 2 के खण्ड (द) में वर्णित है।

(दो) यदि वह नियोजक जिस पर संहिता लागू होता है, स्थापना को बेच देता है, त्याग देता है या काम बंद कर देता है, तब वह यथास्थिति, इस तरह की विक्रय या परित्याग की तारीख के एक महीने के भीतर या इस तरह से

काम बंद किये जाने की तारीख के चार महीने के भीतर, राज्य सरकार के श्रम विभाग के वेबपोर्टल पर खण्ड (एक) से संदर्भित विहित प्ररूप में वार्षिक विवरणी ऑनलाईन अपलोड करेगा जो कि पूर्ववर्ती वर्ष के अंत तथा विक्रय, परित्याग या समाप्ति की तारीख के बीच की कालावधि के संबंध में होंगी।

(5) सूचना, संहिता के प्रावधान एवं नियमों के सार का प्रदर्शन :- नियोक्ता, प्रतिष्ठान के मुख्य प्रवेश द्वार या उसके नजदीक सहज दृश्य रूप में अंग्रेजी में अथवा अधिसंख्य कर्मचारियों के द्वारा समझी जाने वाली भाषा में निम्न सूचना या सार का प्रदर्शित करेगा :-

1. संहिता के अध्याय 5 अथवा उसके अंतर्गत निर्मित नियमों के अधीन उसकी ओर से सूचनाओं को प्राप्त करने के लिए अधिकृत अधिकारी का नाम एवं पदनाम की सूचना,
2. संहिता के अध्याय 5 अथवा उसके अंतर्गत निर्मित नियमों का सार,

अध्याय—दस अपराध एवं शास्तियाँ

30. संहिता की धारा 138 की उप-धारा (1) के अधीन विनिर्दिष्ट प्राधिकृत अधिकारी द्वारा अपराधों के प्रशमन का तरीका तथा धारा 138 की उप-धारा (4) के अधीन अपराध का प्रशमन करने के लिये आवेदन करने की रीति.—

- (1) संहिता की धारा 138 की उप-धारा (1) के अधीन अपराधों के शमन के उद्देश्य से, अधिसूचना द्वारा राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत अधिकारी, प्ररूप—सैंतीस में, उन अपराधों के लिये, इलेक्ट्रॉनिक रूप में प्रशमन सूचना जारी करेगा, जो संहिता की धारा 138 के अधीन प्रशमनीय हैं।
- (2) वह व्यक्ति, जिसे इस प्रकार की सूचना दी गई है, प्ररूप—सैंतीस के भाग—तीन में अधिकारी को इलेक्ट्रॉनिक रूप से आवेदन कर सकेगा तथा सूचना प्राप्त होने की तारीख से पन्द्रह दिनों के भीतर इलेक्ट्रॉनिक या किसी अन्य रूप से, समस्त प्रशमनीय राशि को जमा कर सकता है।
- (3) प्रशमन अधिकारी, प्रशमनीय राशि प्राप्त होने के दस दिनों के भीतर, प्ररूप—सैंतीस के भाग—चार में ऐसे व्यक्ति को प्रशमनीय प्रमाणपत्र जारी करेगा, जिससे ऐसी राशि, प्रशमनीय सूचना की पुष्टि में प्राप्त हुई हो।
- (4) यदि वह व्यक्ति, जिसे सूचना भेजी गई है, विहित समय के भीतर प्रशमनीय राशि जमा करने में असफल रहता है, तो सक्षम न्यायालय के समक्ष या उस अपराध के संबंध में, जिसमें ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध सूचना जारी की गई थी, अभियोजन संस्थित किया जाएगा।
- (5) अभियोजन संस्थित करने के पश्चात् प्रशमन.—
 - (क) राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत अधिकारी, संहिता की धारा 138 के अधीन शिकायत दायर करने के पश्चात् किसी भी समय, किसी प्रशमनीय अपराध का प्रशमन कर सकेगा।
 - (ख) भारतीय नागरिक संहिता, 2023 (2023 का सं. 46) की धारा 359 के प्रावधान, ऐसे प्रशमन पर लागू होंगे।

अध्याय—ग्यारह

प्रकीर्ण

31. संहिता की धारा 141 की उप-धारा (5) के अधीन निधि के ऐसे अन्य स्रोत और प्रसरकार तथा निधि के व्यय करने की रीति.—

(1) असंगठित कर्मकारों के कल्याण के लिए छत्तीसगढ़ असंगठित कर्मकार राज्य सामाजिक सुरक्षा मंडल के अधीन गठित निधि में निम्नलिखित से प्राप्त हुई राशि को जमा किया जाएगा :—

(एक) केन्द्रीय सरकार द्वारा पूर्णतः वित्तपोषित;

(दो) भागतः केन्द्रीय सरकार द्वारा वित्तपोषित और भागतः राज्य सरकार द्वारा वित्तपोषित;

(तीन) योजना के हिताधिकारियों या नियोक्ताओं से संग्रहित अंशदान, जैसा कि केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार द्वारा योजना में विनिर्दिष्ट किया जाए, से भागतः वित्तपोषित;

(चार) किसी अन्य स्रोत से वित्तपोषित, जिसके अंतर्गत कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का सं. 18) के अर्थ के भीतर निगमित सामाजिक दायित्व निधि या अन्य ऐसा स्रोत, जैसा कि योजना में विनिर्दिष्ट किया जाए, सम्मिलित है;

(पाँच) केन्द्र सरकार से प्राप्त कोई भी अनुदान या ऋण;

(छः) राज्य सरकार के बजट से वित्तपोषित निधि;

(सात) राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित अन्य स्रोत :

राज्य सरकार, केन्द्रीय सरकार से स्वतः द्वारा बनायी गयी योजनाओं के लिए वित्तीय सहायता प्राप्त कर सकेगी।

(2) छत्तीसगढ़ असंगठित कर्मकार राज्य सामाजिक सुरक्षा मण्डल द्वारा राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से हितग्राही के रूप में पजीकृत असंगठित कर्मकारों और उसके परिवार के लिए योजना तैयार कर अधिसूचित की जाएगी और निधि अधिसूचित योजना के अधीन उपयोजित की जाएगी।

32. संहिता की धारा 143 की उप-धारा (1) के अधीन ऐसा समय, जिसके भीतर, यथास्थिति, केन्द्रीय मंडल या निगम द्वारा समुचित सरकार को अपना दृष्टिकोण अग्रेषित करेगा, उप-धारा (2) के अधीन ऐसा शर्तें जिनका यथास्थिति, छूट प्राप्त स्थापना या स्थापनाओं

के वर्ग, या कर्मचारी या कर्मचारियों के वर्ग, ऐसी छूट के पश्चात् अनुपालन करेंगे और उप-धारा (5) के अधीन न्यास के प्रबंध की शर्तें—

- (1) केन्द्रीय या निगम, जैसा भी मामला को मण्डल, संहिता की धारा 143 के अधीन छूट की मांग करने वाले आवेदन पर अपने विचार समुचित सरकार को छूट के लिए प्रस्ताव के प्राप्त होने के छः महीने के भीतर अग्रेषित करेगा। यदि परंतु केन्द्रीय मण्डल, उक्त कालावधि के भीतर अपने विचार प्रदान करने में असमर्थ रहता है, तो समुचित सरकार समय-सीमा का विस्तार कर सकेगी या छूट के आवेदन पर, जैसा कि ठीक समझे, कार्रवाई कर सकेगी।
- (2) संहिता के अध्याय-चार के उपबंध से छूट प्राप्त स्थापना—
 - (एक) छूट दिए गए कर्मचारियों के संबंध में ऐसे अभिलेख संधारित करेगा और निगम को ऐसी विवरणियां और अन्य जानकारी प्रस्तुत करेगा जैसा कि विनियमों में केन्द्र सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए; और
 - (दो) विलय, गैर-विलय, अधिग्रहण, विक्रय, समामेलन, सहायता रूपांतरण, चाहे पूर्ण स्वामित्व हो या नहीं, आदि के कारण, ऐसे किसी स्थापना, जिसे संहिता की धारा 143 के अधीन छूट दी गई है, की विधिक स्थिति में हुए परिवर्तन के मामले में, छूट को रद्द समझा जाएगा और छूट के लिए स्थापना को समुचित सरकार को नवीन आवेदन करना अपेक्षित किया जायेगा।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

विपुल कुमार गुप्ता, उप-सचिव

प्ररूप—एक

(नियम 7 का उप-नियम (10) देखिये)

विवाद या दावे के लिए आवेदन पत्र

कर्मचारी बीमा न्यायालय के समक्ष

क, ख (विवरण तथा निवास स्थान लिखिये) आवेदक

विरुद्ध

ग, घ (विवरण तथा निवास स्थान लिखिये) विरुद्ध पक्षकार को

उप-नियम 11 में उल्लेखित आवेदन-पत्र की अन्य विशिष्टियां —.....

दिनांक ।

.....

आवेदक के हस्ताक्षर

(आवेदक द्वारा सत्यापन)

इस आवेदन पत्र में अन्तर्विष्ट तथ्य, कथन मेरे सर्वोत्तम ज्ञान तथा विश्वास के अनुसार सत्य और सही है।

दिनांक ।

.....

आवेदक के हस्ताक्षर

प्ररूप—दो

(नियम 7 के उप-नियम (11) तथा (19) देखिये)

आवेदक/विरोधी पक्षकार द्वारा पेश किये गये दस्तावेजों की सूची

उदाहरणार्थ : विवरण, विषय, न्यायालय का नाम, क्रमांक आदि

क्रमांक	दस्तावेज का वर्णन	दिनांक यदि कोई है, जो दस्तावेजों में अंकित हो	पक्षकार या अधिवक्ता या किसी प्राधिकृत प्रतिनिधि के हस्ताक्षर
(1)	(2)	(3)	(4)

प्ररूप-तीन

(नियम 7 के उप-नियम (12) देखिये)

कार्यवाहियों का रजिस्टर

कर्मचारी बीमा न्यायालय कार्यवाहियों का रजिस्टर वर्ष 20.....

आवेदक					विरुद्ध पक्षकार		
आवेदन-पत्र प्रस्तुत करने का दिनांक	कार्यवाहियों का क्रमांक	आवेदक का नाम	आवेदन का विवरण	निवास का स्थान	नाम	विवरण	निवास स्थान
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)

दावा			उपसंजाति		
विशिष्टियाँ	मूल्य की रकम यदि कोई हो	वाद कारण कब उद्भूत हुआ	पक्षकारों के लिये उपसंजाति होने के लिए दिनांक	आवेदक	विरुद्ध पक्षकार
(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)

अंतिम आदेश			अपील	
दिनांक	किसके लिए	किस बात के लिये एवं दान राशि	अपील का विवरण यदि कोई हो, दिनांक	अपील का निर्णय
(15)	(16)	(17)	(18)	(19)

निष्पादन			अन्य टिप्पणीयाँ		अन्य
आवेदन पत्र का	किसके विरुद्ध	किस बात के लिए तथा धन राशि	लागत की राशि	 में स्थित अन्य सिविल न्यायालय को	टिप्पणी यदि

दिनांक				अंतरित करने की आदेश की तारीख	कोई हो
(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)

प्ररूप-चार

(नियम 7 के उप-नियम (15) देखिये)

कार्यवाही के निपटान के लिए समन

प्रति,

.....
(नाम, विवरण तथा निवास स्थान)

चूँकि ने आपके विरुद्ध के लिए कार्यवाहियां संस्थित की हैं, अतः आपको एतद्वारा समन किया जाता है कि आप दिनांक.....के पूर्वान्ह/ अपरान्ह में बजे या तो स्वयं या प्रधिकृत अभिकर्ता के मार्फत, जो सम्यक् रूपेण अनुदेशित हो तथा मामले से सम्बन्धित समस्त सारवान प्रश्नों का उत्तर देने के योग्य हो, या जिसके साथ कोई ऐसा व्यक्ति होगा, जो समस्त ऐसे प्रश्नों का उत्तर देने के योग्य हो, इस न्यायालय में दावे का उत्तर देने के लिए उपसंजात हो, और चूँकि आपकी उपसंजाति के लिए निश्चित किया गया दिन कार्यवाहियों के अन्तिम निपटारे के लिए नियत किया गया है, अतः आपको उस दिन ऐसे समस्त साक्षियों को, जिनकी साक्ष्य पर तथा ऐसे समस्त दस्तावेजों को, जिन पर कि आप अपनी प्रतिरक्षा के समर्थन में अविलम्बित रहने का आशय रखते हों, प्रस्तुत करने के लिए तैयार रहना चाहिये।

आपको सूचित किया जाता है कि पूर्व वर्णित दिन को आपके उपसंजात होने में चूक होने पर मामला आपकी अनुपस्थिति में सुना जाकर अवधारित किया जाएगा।

मेरे हस्ताक्षर तथा न्यायालय की मुद्रा के अधीन आज दिनांक मास..... सन् 20..... को जारी किया गया।

न्यायालय

सूचना- (1) यदि आपको यह शंका हो कि आपके साक्षीगण स्वेच्छा से उपस्थित नहीं होंगे तो आप किसी साक्षी को उपस्थिति तथा ऐसे किसी दस्तावेज की जिसके

प्रस्तुत करने के लिए किसी साक्षी से अपेक्षा करने का आप अधिकार रखते हों, प्रस्तुती बाध्य करने के लिए आवेदन करके तथा आवश्यक व्यय जमा करके समन जारी करवा सकते हैं।

- (2) यदि आप दावा स्वीकार करते हैं, जो आपके स्वयं के या आपकी सम्पत्ति के या दोनों के विरुद्ध पारित की जा सकेगी, निष्पादन से बचने के लिए कार्यवाहियों के खर्चे सहित धन न्यायालय को भुगतान कर देना चाहिये।

प्ररूप-पांच

(नियम 7 के उप-नियम (15) देखिये)

विवाद्यको के विनिश्चयन के लिए समन

प्रति,

.....
(नाम, विवरण तथा निवास स्थान)

चूँकि ने आपके विरुद्ध के लिए कार्यवाहियां संस्थित की हैं, अतः आपको एतद्वारा समन किया जाता है कि आप दिनांक सन् 20 के पूर्वान्ह/अपरान्ह में बजे या तो स्वयं या प्राधिकृत अभिकर्ता के मार्फत, जो सम्यक् रूपेण प्राधिकृत हो तथा मामले से सम्बन्धित समस्त सारवान प्रश्नों का उत्तर देने के योग्य हो या जिसके साथ कोई ऐसा व्यक्ति होगा, जो समस्त ऐसे प्रश्नों का उत्तर देने के योग्य हो, इस न्यायालय में दावे का उत्तर देने के लिए उपसंजात हो, और चूँकि आपकी उपसंजाति के लिए निश्चित किया गया दिन कार्यवाहियों के अन्तिम निपटारे के लिए नियत किया गया है, अतः आपको उस दिन ऐसे समस्त साक्षियों को, जिनकी साक्ष्य पर तथा ऐसे समस्त दस्तावेजों को, जिन पर आप अपनी प्रतिरक्षा के समर्थन में अविलम्बित रहने का आशय रखते हों, प्रस्तुत करने के लिए तैयार रहना चाहिए। आपको सूचित किया जाता है कि पूर्व वर्णित दिन को आपके उपसंजात होने में चूक होने पर मामला आपकी अनुपस्थिति में सुना जाकर अवधारित किया जाएगा।

मेरे हस्ताक्षर तथा न्यायालय की मुद्रा के अधीन आज दिनांक मास..... सन् 20..... को दिया गया।

न्यायालय

- सूचना – (1) यदि आपको यह शंका हो कि आपके साक्षीगण स्वेच्छा से उपस्थित नहीं होंगे तो आप किसी साक्षी की उपस्थिति तथा ऐसे किसी दस्तावेज की जिसके प्रस्तुत करने के लिए किसी साक्षी से अपेक्षा करने का आप अधिकार रखते हों, प्रस्तुती बाध्य करने के लिए आवेदन करके तथा आवश्यक व्यय जमा करके समन जारी करवा सकते हैं।
- (2) यदि आप दावा स्वीकार करते हैं, जो आपके स्वयं के या आपकी सम्पत्ति के या दोनों के विरुद्ध पारित की जा सकेगी, निष्पादन से बचने के लिए कार्यवाहियों के खर्चे सहित धन न्यायालय को भुगतान कर देना चाहिये।

प्ररूप-छ:

(नियम 7 के उप-नियम (23) देखिये)

एक पक्षीय आदेश को अपास्त करने के लिए आवेदन-पत्र

जिसका कि नाम नीचे अंकित है, निम्नानुसार कथन करता है :-

(आवेदन के आधार पर उल्लेखित किए जाने चाहिए)

दिनांक

.....
आवेदक के हस्ताक्षर

(आवेदक द्वारा सत्यापन)

आवेदन पत्र में अन्तर्विष्ट तथ्य कथन मेरे सर्वोत्तम ज्ञान तथा विश्वास के अनुसार सत्य तथा सही है।

दिनांक

स्थान

.....
हस्ताक्षर

प्ररूप-सात

(नियम 7 के उप-नियम (23) देखिये)
आवेदन की सूचना

प्रति,

.....
.....

चूँकि ऊपर उल्लिखित ने इस न्यायालय को आवेदन-पत्र दिया है कि सन् को पूर्वान्ह/अपरान्ह में बजे इस न्यायालय में या तो स्वयं या सम्यक् रूपेण अनुदेशित अधिवक्ता के मार्फत आवेदन-पत्र के विरुद्ध कारण बतलाने के लिए उपसंजात हो, ऐसा न करने पर उक्त आवेदन-पत्र एक पक्षीय सुना जाकर अवधारित किया जावेगा।

मेरे हस्ताक्षर और न्यायालय की मुद्रा के अधीन आज दिनांक मास सन् 20..... को दिया गया।

न्यायालय

प्ररूप-आठ

(नियम 7 के उप-नियम (24) देखिये)
साक्षी को समन

प्रति,

.....
.....

चूँकि ऊपर वर्णित कार्यवाहियों में की ओर से के लिये आपकी उपस्थिति अपेक्षित है, अतः आपसे एतद्वारा अपेक्षा की जाती है कि आप दिनांक सन् 20 के पूर्वान्ह/अपरान्ह में बजे इस न्यायालय के समक्ष (स्वयं) उपसंजात हो और अपने साथ लायें (या इस न्यायालय को भेजें)।

आपके यात्रा तथा अन्य खर्च एवं एक दिन के निर्वाह भत्ते के लिये रुपये की राशि इस न्यायालय में जमा की गई है, जिसकी देनगी आपको उस दिन की जायेगी जिसको कि आप न्यायालय के समक्ष उपस्थित होंगे। यदि आप विधिसंगत हेतु

बिना इस आदेश का पालन नहीं करेंगे तो आप व्यवहार प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का सं. 5) के आदेश 16 के नियम 12 में अवधारित अनुपस्थिति के परिणामों के अधीन होंगे।

मेरे हस्ताक्षर और न्यायालय की मुद्रा के अधीन आज दिनांक मास सन् 20 को दिया गया।

न्यायालय

- सूचना – (1) यदि आपको केवल दस्तावेज पेश करने के लिये ही समन किया हो, साक्ष्य देने के लिये नहीं, तो आप ऐसा दस्तावेज पूर्वोक्त दिन को तथा समय पर इस न्यायालय में पेश कर दें, तो यह समझा जायेगा कि आपने समय का पालन किया है।
- (2) यदि आप पूर्वोक्त दिन के परे रोके गये, तो आपको उल्लिखित किये गये दिनांक के परे प्रत्येक दिन उपस्थिति के लिये रुपये की राशि दी जायेगी।

प्ररूप-नौ

(नियम 7 के उप-नियम (37) देखिये)

मामले की डिक्री

दावा वास्ते

यह मामला आज के समक्ष आवेदक की ओर से की तथा विरुद्ध पक्ष की ओर से की उपस्थिति में अंतिम निपटारे के लिये प्रस्तुत होने पर, यह आदेश तथा डिक्री दी जाती है कि और यह कि इस वाद के खर्चे के मद्दे द्वारा को रुपये की राशि उस पर प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से आज के दिनांक से वसूली के दिनांक तक के ब्याज सहित चुकाई जाये।

मेरे हस्ताक्षर और न्यायालय की मुद्रा के अधीन आज दिनांक मास सन् 20 को दी गई।

वाद के खर्चे

रू.	रू.
आवेदन पत्र के लिये मुद्रांक	मुख्तार नामा के लिये मुद्रांक
मुख्तार नामा के लिये मुद्रांक	लिखित कथन के लिये मुद्रांक
प्रदर्शी के लिये मुद्रांक	अधिवक्ता की फीस
अधिवक्ता की फीस	साक्षियों के लिये निर्वाह व्यय
साक्षियों के लिये निर्वाह भत्ता	समन तथा सूचनाओं की तामील
सक्षम प्राधिकारी की फीस	सक्षम प्राधिकारी की फीसस
समन तथा सूचनाओं को तामील	
योग	योग

प्ररूप-दस

(नियम 7 के उप-नियम (39) देखिये)

डिक्री के निष्पादन के लिए आवेदन पत्र

..... के न्यायालय में डिक्रीधारी, एतद्वारा इसके नीचे वर्णित की गई डिक्री के निष्पादन के लिये आवेदन करता है।

कार्यवाहियों का क्रमांक	पक्षकार/पक्षकारों के नाम	डिक्री का दिनांक	क्या डिक्री के विरुद्ध कोई अपील की गई है	की गई देनगी या किया गया समायोजन, यदि कोई हो
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

पूर्ववर्ती आवेदन पत्र यदि कोई हो, उसके दिनांक तथा परिणाम सहित	डिक्री पर देय रकम ब्याज सहित या उसके द्वारा दिया गया कोई अन्य अनुतोष, किसी प्रति (काउन्टर) डिक्री की विशिष्टियों सहित	खर्च की रकम यदि कोई हो जो प्रदान की गई हो	किसके विरुद्ध निष्पादन की जानी है	वह प्रणाली जिसमें न्यायालय की सहायता अपेक्षित है
(6)	(7)	(8)	(9)	(10)

विक्रय हेतु संपत्ति की सूची

(11)

(जब जंगम सम्पत्ति की कुर्की तथा विक्रय चाहा जाये)

मैं प्रार्थना करता हूँ कि रुपये की रकम (मूल धनराशि पर देनगी के दिनांक तक ब्याज सहित) तथा इस निष्पादन को करने के खर्चे, विरुद्ध पक्षकार की, जंगम सम्पत्ति की, जो कि उपबंध सूची में दी गई है, कुर्की तथा विक्रय द्वारा उगाही की जाकर मुझे चुकाई जाये।

(जब स्थावर सम्पत्ति की कुर्की तथा विक्रय चाहा जाये)

मैं प्रार्थना करता हूँ कि रुपये की कुल रकम (मूल धनराशि पर देनगी के दिनांक तक ब्याज सहित) तथा इस निष्पादन को करने के खर्चे विरुद्ध पक्षकार की स्थावर सम्पत्ति की, जो कि इस आवेदन पत्र के अधोभाग उल्लेखित की गई है, कुर्की तथा विक्रय द्वारा उगाही की जाकर मुझे चुकाई जाये।

मैं घोषित करता हूँ कि इसमें वर्णित तथ्य मेरी सर्वोत्तम जानकारी तथा विश्वास के अनुसार सच एवं सही हैं।

दिनांक मास सन् 20

.....

हस्ताक्षर डिक्रीधारी

प्ररूप-ग्यारह

(नियम 10 के उप-नियम (1), (2), (3) और (4) देखियें)

नामांकन/नया नामांकन/नामांकन में संशोधन

(जो शब्द लागू न हो काट दें)

सेवा में.....

(यहां प्रतिष्ठान का नाम या विवरण पूरे पते के साथ लिखें)

मैं, श्री/श्रीमती/कुमारी.....(यहां पूरा नाम लिखें) जिसका विवरण नीचे अभिव्यक्त किया गया है, एतद्वारा नीचे उल्लेखित व्यक्ति (यों) को / सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 की धारा 2 के खंड (33) के अर्थ में अपनाए गए परिवार को..... (यहां तारीख लिखें) से निम्नलिखित इंगित तरीके से नामित करता/करती हूं और इसलिए नीचे उल्लेखित व्यक्ति (यों) को मेरी मृत्यु के उपरांत देय उपदान और साथ ही मेरी मृत्यु की स्थिति में मुझे क्रेडिट होने वाले उपदान की राशि जो मुझे देय हो गई है, या देय होने का भुगतान नहीं किया गया है और उक्त उपदान राशि को नामिति/यों को उनके नाम के आगे दर्शाये गए अनुपात में बांट दी जाने का निर्देश देता/देती हूं।

या

मैं, श्री/श्रीमती/कुमारी.....(यहां पूरा नाम लिखें) जिसका विवरण नीचे अभिव्यक्त किया गया है एतद्वारा सूचित किया जाता है कि मेरे द्वारा दिनांक..... को नामांकन भरा गया है तथा आपके दिनांक.....के संदर्भ संख्या.....के तहत रिकार्ड किए गए को निम्नानुसार संशोधित किया जाए—

*अनावश्यक भाग को काट दें।

2. मैं एतद्वारा प्रमाणित करता/करती हूं कि उल्लेखित व्यक्ति (यों) सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 की धारा 2 के खंड (33) के अर्थ में मेरे परिवार का/के सदस्य (यें) हैं।
3. मैं एतद्वारा घोषणा करता/करती हूं कि उक्त संहिता की धारा 2 के खंड (33) के अर्थ में मेरा कोई परिवार इसके अंतर्गत नहीं है।
4. (क) मेरे पिता/माता/माता-पिता/मुझ पर निर्भर नहीं है।
(ख) मेरे पति के पिता/माता/माता-पिता मेरे पति पर निर्भर नहीं है

5. मैंने उपरोक्त संहिता की धारा (2) के खंड (33) की शर्तों के अनुसार सक्षम प्राधिकारी को दिनांक.....को दिए नोटिस के द्वारा अपने पति को अपने परिवार से बाहर रखा है।
6. यह नामांकन मेरे पुराने नामांकन को निरस्त कर देगा।
नामितियों

क्र. सं.	नामिति/यों का पूरा नाम एवं पूरा पता	कर्मचारी से संबंध	नामिति की आयु	उपदान साझा करने के लिए अनुपात
1.				
2.				
3.				
इसी प्रकार आगे				

“परिवार” में शामिल होने का माध्यम

(यहां इस बात का विवरण दें कि एक परिवार को कैसे अपनाया गया था, अर्थात् विवाह या माता-पिता द्वारा आश्रित होने या अन्य प्रक्रिया जैसे गोद लेना के माध्यम से)

विवरणी

1. कर्मचारी का पूरा नाम
2. लिंग
3. धर्म
4. क्या आप अविवाहित/विवाहित/विधवा/विधुर हैं
5. विभाग/शाखा/अनुभाग जहां तैनात हैं
6. पदनाम के साथ टिकट क्रमांक या सरल क्रमांक, यदि कोई हो
7. नियुक्ति की तारीख

8. स्थायी पता :

गांव..... थाना..... उप प्रभाग.....
डाकघर..... पिन कोड जिला.....
राज्य..... ईमेल आईडी..... मोबाइल संख्या.....

स्थान:

दिनांक:

गवाहों के नाम एवं हस्ताक्षर :-

- 1
- 2

कर्मचारी के हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान

नियोक्ता के द्वारा प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त नामांकन का विवरण सत्यापित किया गया है और इसे स्थापना में रिकार्ड कर लिया गया है।

नियोक्ता का संदर्भ संख्या, यदि कोई हो

नियोक्ता/प्राधिकृत अधिकारी के पदनाम एवं हस्ताक्षर

स्थापना का नाम एवं पता या उसका रबर मोहर

दिनांक.....

कर्मचारी के द्वारा पावती

मेरे द्वारा भरे गए और नियोक्ता द्वारा सम्यक् रूप से प्रमाणित किए गए नामांकन प्ररूप-ग्यारह की डुप्लीकेट कॉपी प्राप्त कर ली गई है।

दिनांक.....

कर्मचारी के हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान

प्ररूप-बारह

(नियम 11 के उप-नियम (1) देखिये)

कर्मचारी/नामिति/कानूनी उत्तराधिकारी द्वारा उपदान के लिए आवेदन

(जो शब्द लागू न हो काट दें)

सेवा में, ...

(यहां प्रतिष्ठान का नाम या विवरण पूरे पते के साथ लिखें)

महोदय/महोदया,

मैं, ...(कर्मचारी/नामिति/कानूनी उत्तराधिकारी का नाम)/स्वर्गीय
.....(कर्मचारी का नाम) द्वारा नामित व्यक्ति का नाम/स्वर्गीय

(कर्मचारी का नाम) कानूनी उत्तराधिकारी के रूप में, सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 की धारा 53 की उप-धारा (1) के तहत हकदार हूँ, उपदान के भुगतान के लिए आवेदन करता हूँ -

(क) कम से कम पांच वर्ष की निरंतर सेवा के पूरे करने पश्चात मेरी अधिवर्षिता /सेवानिवृत्ति /त्यागपत्र /दुर्घटना के कारण कुल निःशक्तता/ बीमारी के कारण कुल निःशक्तता/..... तिथि से प्रभावी नियत अवधि रोजगार के तहत संविदा अवधि की समाप्ति पर या;

- (ख) सेवा में रहते हुए उपर्युक्त कर्मचारी की मृत्यु/सेवा में..... वर्ष की समाप्ति के पश्चात् दिनांक को अधिवर्षिता/ दिनांक.....से दुर्घटना या सेवा में रहते हुए में बीमारी के कारण उपर्युक्त कर्मचारी की कुल निःशक्तता या;
- (ग) सेवा में रहते हुए आपके प्रतिष्ठान में उपर्युक्त कर्मचारी की मृत्यु/दिनांक.....को अधिवर्षिता आयु प्राप्त करने के पश्चात् बिना कोई नामांकन के..... वर्ष की सेवा पूरी करने के पश्चात्/(तिथि) से सेवा में रहते हुए उक्त कर्मचारी की दुर्घटना या बीमारी द्वारा कुल निःशक्तता;

मेरी नियुक्ति से संबंधित आवश्यक विवरण निम्नानुसार है।

1. कर्मचारी का पूरा नाम, (यदि, किसी कर्मचारी द्वारा उपदान का दावा किया जाता है)
 - क. कर्मचारी की वैवाहिक स्थिति (अविवाहित/विवाहित/विधवा/विधुर)
 - ख. कर्मचारी का पूरा पता

या
2. नामिति/कानूनी उत्तराधिकारी का नाम (यदि, किसी कर्मचारी द्वारा उपदान का दावा किया जाता है)
 - क. कर्मचारी का नाम
 - ख. नामिति/कानूनी उत्तराधिकारी की वैवाहिक स्थिति (अविवाहित/विवाहित/विधवा/विधुर)
 - ग. नामिति/कानूनी उत्तराधिकारी का कर्मचारी के साथ का संबंध
 - घ. नामिति/कानूनी उत्तराधिकारी पूरा पता
 - ङ. कर्मचारी की मृत्यु की तिथि और मृत्यु का प्रमाण
 - च. रिकार्ड किए गए नामांकन की संदर्भ संख्या यदि उपलब्ध हो
3. विभाग/शाखा/अनुभाग जहां अंतिम नियोजित था -
4. कर्मचारी द्वारा धारित पद -
5. नियुक्ति की तारीख -
6. सेवा समाप्ति की तारीख और कारण -
7. मृत्यु की तारीख -
8. कर्मचारी की सेवा की कुल अवधि -
9. कर्मचारी द्वारा आहरित कुल अंतिम वेतन

10. कर्मचारी को देय कुल उपदान/नामिति/कानूनी उत्तराधिकारी द्वारा दावा किए गए उपदान का भुगतान—

11. कृपया मेरे बैंक खाता संख्या..... में क्रास बैंक चेक/क्रेडिट द्वारा भुगतान किया जाए।

भवदीय/भवदीया

आवेदक कर्मचारी/नामिति/कानूनी उत्तराधिकारी का हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान.

स्थान :

तारीख :

प्रतिलिपि,

सक्षम प्राधिकारी

प्ररूप—तेरह

(नियम 11 के उप-नियम (2) देखिये)

उपदान के दावे का भुगतान/अस्वीकार किए जाने की सूचना
(जो शब्द लागू न हो काट दें)

सेवा में,

.....

.....

(आवेदित कर्मचारी/नामित कानूनी उत्तराधिकारी का नाम और पता)

आपको एतद्वारा सूचित किया जाता है कि—

(क) : सामाजिक सुरक्षा संहिता (छत्तीसगढ़) नियम, 2026 के नियम 11 के उप-नियम (2) के खंड (एक) के उप-खंड (ख) के तहत आवश्यकतानुसार, उक्त नियमों के तहत प्ररूप-चार में दिए गए आपके आवेदन पर इंगित उपदान के भुगतान के लिए आपका दावा उल्लिखित कारणों के कारण स्वीकार्य नहीं है :

कारण (यहां कारण स्पष्ट करें); या

(ख) सामाजिक सुरक्षा संहिता (छत्तीसगढ़) नियम, 2026 के नियम 11 के उप-नियम (2) के खंड (एक) के उप-खंड (क) के तहत अपेक्षित है कि, राशि रुपये (रुपये.....) का आपको उपदान के रूप में/आपके द्वारा पर.....की गई नामांकन की शर्तों में उपदान के भाग के रूप में और इस

प्रतिष्ठान के कर्मचारी.....के कानूनी उत्तराधिकारी रूप में किए गए नामांकन की शर्तों में आपके हिस्से के रूप में भुगतान किया गया तथा रिकॉर्ड किया गया।

2. * आपके उपदान के भुगतान का क्रॉस चेक प्राप्त करने के लिए कृपया.....
(स्थान स्पष्ट करें) को(दिनांक) पर(समय) पर उपस्थित हों।
3. देय राशि आपकी इच्छानुसार आपको डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से या आपके बैंक खाते में जमा की जाएगी।
4. गणना का संक्षिप्त विवरण
 - (क) नियुक्ति की तारीख।
 - (ख) समाप्ति/अधिवर्षिता/त्यागपत्र /निःशक्तता/मृत्यु की तारीख।
 - (ग) संबंधित व्यक्ति की कुल सेवा अवधि वर्ष माह.
 - (घ) अंतिम आहरित वेतन :
 - (ङ) नामांकन/एक कानूनी उत्तराधिकारी के रूप में देय स्वीकार्य उपदान का अनुपात:
 - (च) देय राशि:

* पैरा जो लागू न हो काट दें

स्थान:

दिनांक:

नियोक्ता/अधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर

प्रतिष्ठान का नाम या विवरण या उसकी रबर की मोहर

प्रतिलिपि- सक्षम अधिकारी को

प्रारूप-चौदह

(नियम 11 के उप-नियम (4) देखिये)

संहिता 2020 के अध्याय-पांच के तहत सक्षम प्राधिकारी के समक्ष निर्देश के लिए आवेदन

आवेदन संख्या.....

दिनांक.....

(आवेदक के पूरे नाम सहित पूरा पता)

तथा

(संबंधित नियोक्ता का पूर्ण पते के साथ पूरा नाम)

आवेदक उपरोक्त उल्लिखित नियोक्ता का एक कर्मचारी उपरोक्त नियोक्ता के कर्मचारी स्वर्गीय.....के द्वारा नामांकित/उपरोक्त नियोक्ता का कर्मचारी और स्वर्गीय कानूनी उत्तराधिकारी है और सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 की धारा 53 के तहत अपने स्वयं के/उक्त कर्मचारी की अधिवर्षिता(तारीख) के कारण उसकी अपनी सेवानिवृत्ति/उक्त कर्मचारी का (तारीख) का त्यागपत्र निरंतर सेवा के पूरा होने पर/अपने स्वयं के/उक्त कर्मचारी की दुर्घटना/बीमारी के कारण (तारीख) से कुल निःशक्तता/उक्त कर्मचारी की (तारीख) को मृत्यु के कारण उपदान का हकदार है।

3. आवेदक ने सामाजिक सुरक्षा संहिता (छत्तीसगढ़) नियम, 2026 के नियम के तहत एक आवेदन.....को किया परंतु उपर्युक्त नियोक्ता ने इसे अस्वीकार्य कर दिया/दिनांक को मेरे देय राशि से कम उपदान की राशि पेशकश करते हुए नियम के उप नियम के खण्ड के तहत एक नोटिस जारी किया/दिनांक को उपदान के भुगतान के लिए मेरी पात्रता को अस्वीकार करते हुए नियम के उप नियम के खण्ड के तहत नोटिस जारी किया गया है। उक्त नोटिस की डुप्लीकेट प्रति संलग्न है।

3. आवेदक ने माना है कि मामले पर कोई विवाद है (विवाद स्पष्ट करें)।
4. आवेदक यहां अनुलग्नक में आवश्यक विवरण प्रस्तुत करता है और प्रार्थना करता है कि सक्षम प्राधिकारी आवेदक को देय उपदान की राशि को अवधारित करे और उपर्युक्त नियोक्ता को आवेदक को उक्त भुगतान करने के लिए निर्देशित कर सकता है।
5. आवेदक इस बात की घोषणा करता है कि अनुलग्नक में प्रस्तुत विवरण उसके ज्ञान और विश्वास के अनुसार सत्य और सही हैं।

दिनांक:

आवेदक का हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान

अनुग्नक :

1. आवेदक के पूरे नाम सहित पूरा पता :-
2. दावे का आधार (मृत्यु/अधिवर्षिता/सेवानिवृत्ति/त्यागपत्र/कर्मचारी की निःशक्तता/नियत अवधि रोजगार के तहत संविदा अवधि की समाप्ति)
3. कर्मचारी का पूरा नाम और पता
4. कर्मचारी की वैवाहिक स्थिति (अविवाहित/विवाहित/विधवा/विधुर)
5. नियोक्ता का नाम और पूरा पता
6. विभाग/शाखा/अनुभाग जहां कर्मचारी अंतिम बार कार्यरत था (यदि ज्ञात हो)
7. टिकट या क्रम संख्या सहित कर्मचारी द्वारा धारित पद, यदि कोई हो (यदि ज्ञात हो)
8. कर्मचारी की नियुक्ति की तारीख (यदि ज्ञात हो)
9. तारीख सहित कर्मचारी की सेवा समाप्ति का कारण (अधिवर्षिता/सेवानिवृत्ति/त्यागपत्र/निःशक्तता/मृत्यु/नियत अवधि रोजगार के तहत संविदा अवधि की समाप्ति)
10. कर्मचारी द्वारा सेवा की कुल अवधि
11. कर्मचारी द्वारा आहरित अंतिम वेतन
12. यदि कर्मचारी मृत है, तो उसकी तिथि और कारण
13. कर्मचारी की मृत्यु के समर्थन में साक्ष्य/गवाह
14. यदि एक नामिति है, नियोक्ता के साथ नामांकन की संख्या और रिकार्ड की तारीख
15. कानूनी उत्तराधिकारी होने के समर्थन में साक्ष्य / गवाह, यदि उत्तराधिकारी है
16. कर्मचारी को देय कुल उपदान (यदि ज्ञात हो)
17. आवेदक को नामिति / कानूनी उत्तराधिकारी के रूप में देय उपदान का प्रतिशत
18. आवेदक द्वारा दावा की गई उपदान की राशि

स्थान:

दिनांक:

आवेदक का हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान

प्ररूप-पंद्रह
(नियम 11 के उप-नियम (5) और (8) देखिये)
सक्षम प्राधिकारी के समक्ष उपस्थिति के लिए सूचना/समन
(जो शब्द लागू न हो काट दें)

सेवा में, ...

(नियोक्ता / आवेदक का नाम और पता)

जबकि श्री आप के अधीन एक कर्मचारी या उपरोक्त नियोक्ता के अधीन श्री के नामिति(यों)/कानूनी उत्तराधिकारी(यों) हैं ने सामाजिक सुरक्षा संहिता (छत्तीसगढ़) नियम, 2026 के नियम 11 के उप-नियम (4) के तहत एक आवेदन दायर किया है जो आरोपित करता है कि ———

(उक्त आवेदन की एक प्रति संलग्न करें, यदि, समन जारी किया गया है तो आवेदन की प्रति की आवश्यकता नहीं है)

अब, इसलिए, आपको एतद्वारा आवेदन से संबंधित सभी सामग्री सवालों के जवाब देने के उद्देश्य से 2020..... के दिन.....बजे पूर्वाह्न में/अपराह्न में आरोप के समर्थन में/का जवाब देने के लिए सक्षम प्राधिकारी के समक्ष.....(स्थान) पर व्यक्तिगत रूप से या इस संबंध में विधिवत रूप से अधिकृत किये गए किसी व्यक्ति के माध्यम से पेश होने के लिए बुलाया जाता है।

और चूंकि आपकी उपस्थिति के लिए नियत दिन आवेदन के अंतिम निपटान के लिए नियत किया जाता है, आपको उस दिन सभी गवाह, जिनके साक्ष्य पर और वे दस्तावेज, जिन्हें आप अपने आरोप/बचाव के समर्थन में प्रस्तुत करना चाहते हैं, प्रस्तुत करने के लिए तैयार होना चाहिए।

ध्यान दें कि पूर्व में उल्लेखित दिन पर आप अनुपस्थित होने पर आवेदन को खारिज किया जाएगा/उस पर सुनवाई होगी और आपकी अनुपस्थिति में अवधारित की जाएगी।

यतः साक्ष्य देने के लिए आपकी उपस्थिति आवश्यक है/आपको की ओर से द्वारा उपदान के लिए दावे से उत्पन्न होने वाले मामले में नीचे दी गई सूची में उल्लेखित दस्तावेजों को प्रस्तुत करने की आवश्यकता है, प्रपत्र..... और सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 की धारा 56 के तहत इस प्राधिकारी को संदर्भित किया गया आवेदन,

आपको इस प्राधिकारी के समक्ष व्यक्तिगत रूप से दिन 20..... पर बजे पूर्वाह्न में/अपराह्न में उपस्थित होने के लिए और उक्त दस्तावेज जो (इस प्राधिकारी को आपके द्वारा भेजे जाने हैं) आपको साथ लाने के लिए आह्वान किया जाता है।

दस्तावेजों की सूची—

1.

2.

3. आदि

20.....के इस दिन.....को मेरे द्वारा सुपुर्द और सील की गई।

सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020

के तहत सक्षम प्राधिकारी

- टीपः 1. लागू नहीं होने वाले शब्दों और पैराग्राफों को काट दें.
2. जो हिस्सा लागू न होता हो उसे हटा दें।
3. समन डुप्लिकेट में जारी किया जाएगा। डुप्लिकेट पर हस्ताक्षर किया जाना है और अवधारित तिथि से पूर्व संबंधित व्यक्तियों द्वारा लौटाया जाना है।
4. यदि समन केवल एक दस्तावेज तैयार करने के लिए जारी किया जाता है और सबूत नहीं दिया जाता है तो यह समन के लिए पर्याप्त अनुपालन होगा, यदि दस्तावेजों को उद्देश्य के लिए अवधारित दिन और घंटे के लिए सक्षम प्राधिकारी के समक्ष पेश किया जाता है।

प्ररूप-सोलह

(नियम 11 के उप-नियम (11) और (12) देखिये)

सक्षम/अपीलीय प्राधिकारी द्वारा यथा अवधारित उपदान संदाय हेतु नोटिस
(जो शब्द लागू न हों काट दें)

सेवा में,

(नाम और नियोक्ता का पता)

1. यतः श्री/श्रीमती/कुमारी आपके अधीन एक कर्मचारी ...
..... (पता)/ आपके अधीन एक कर्मचारी स्वर्गीय..... के
नामिती(तों)/कानूनी उत्तराधिकारी(यों) ने मेरे समक्ष सामाजिक सुरक्षा पर संहिता, 2020
की धारा 56 के तहत एक आवेदन दायर किया है; अथवा

जबकि आपको सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 के तहत उपदान के रूप में
श्री/श्रीमती/कुमारी को रुपये का भुगतान
करने का नोटिस दिया गया था।

2. और यतः आवेदन की सुनवाई आपकी उपस्थिति में दिनांक को हुई और
सुनवाई के बाद यह निष्कर्ष निकला है कि उक्त श्री/श्रीमती/कुमारी.....
सामाजिक सुरक्षा, 2020 पर संहिता के तहत उपदान के रूप में रुपये
के भुगतान के हकदार है ; अथवा

यतः आप /आवेदक ने अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष अपील किया था, जिन्होंने निर्णय
लिया है कि श्री /श्रीमती /कुमारी को सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 के
तहत देय उपदान के रूप में रुपये..... की राशि का भुगतान किया जाना है।

अतएव, मैं आपको इस नोटिस की प्राप्ति के तीस दिनों के भीतर मुझे इसकी
सूचना देते हुए श्री/श्रीमती/कुमारी को उक्त राशि का भुगतान करने
का निर्देश देता हूँ।

20 की तारीख को मेरे हस्ताक्षर और मुहर के अंतर्गत
प्रदान किया गया।

संहिता, 2020 के अंतर्गत सक्षम/अपीलीय प्राधिकारी

प्रति :

1. आवेदक— उसे भुगतान प्राप्त करने के लिए नियोक्ता से संपर्क करने की सलाह दी
जाती है।

2. अपीलीय प्राधिकारी, यदि लागू हो।

टीप— (यदि लागू न हों तो पैराग्राफों को हटा दें)।

प्ररूप-सत्रह

(नियम 11 के उप-नियम (13) देखिये)

सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 के तहत अध्याय-पांच के लिए सक्षम प्राधिकारी के समक्ष
उपदान की वसूली के लिए आवेदन

आवेदन संख्या.....

दिनांक.....

के बीच

(पूरे पते के साथ आवेदक का नाम)

तथा

(संबंधित नियोक्ता/न्यास/बीमाकर्ता का पता सहित पूरा नाम)

1. आवेदक उपर्युक्त नियोक्ता का कर्मचारी है/जो उपर्युक्त नियोक्ता के कर्मचारी स्वर्गीय .
..... का नामिती है/ उपर्युक्त नियोक्ता के कर्मचारी स्वर्गीय ...
..... का कानूनी उत्तराधि और अपने उक्त नियोक्ता को अपने
नोटिस दिनांक द्वारा सामाजिक सुरक्षा संहिता (छत्तीसगढ़) नियम, 2026 के
नियम 11 के उप नियम (11) या उप नियम (12) के तहत देय रूपए का
उपदान की राशि के भुगतान का निर्देश दिया है।
2. आवेदक ने यह निवेदन किया है कि उक्त नियोक्ता आपके निर्देशानुसार मुझे भुगतान
की उक्त राशि का भुगतान करने में विफल रहा है। हालांकि मैंने भुगतान के लिए
उनके संपर्क किया था।
3. इसलिए आवेदक प्रार्थना करता है कि आपके निर्देशानुसार मुझे उपदान के रूप में
..... उक्त राशि की वसूली के लिए संहिता की धारा 129 के तहत एक प्रमाण पत्र
जारी किया जाए।

आवेदक के हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान।

स्थान:

दिनांक:

टीप- लागू नहीं होने वाले शब्दों को हटा दें।

प्रारूप-अवतारह
(नियम 13 के उप-नियम (1) देखिये)
निरीक्षक-सह-सुकारक को शिकायत

सेवा में,

निरीक्षक-सह-सुकारक

(सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 के तहत)

महोदय,

मैं (महिला कर्मचारी का नाम) (नाम और स्थापना का पूरा पता) में कार्यरत हूँ अथवा मैं (नाम) संहिता की धारा 72 के तहत नामित व्यक्ति या (महिला कर्मचारी का नाम) का कानूनी प्रतिनिधि (नाम और स्थापना का पूरा पता) में कार्यरत सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 एवं उसके तहत बनाए गए नियमों में निर्धारित शर्तों को पूरा करने के बाद, प्रसूति प्रसुविधा के रूप में रूपए और/या रूपए चिकित्सा बोनस होने के नाते और/या रूपए धारा 65 के तहत छुट्टी के लिए मजदूरी होने के नाते, का हकदार हूँ। लेकिन इसे नियोक्ता द्वारा अनुचित तरीके से रोक दिया गया है/सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020 के अध्याय छः के प्रावधान के अनुसार काम से या मेरी अनुपस्थिति के कारण सेवामुक्त कर दिया है या बर्खास्त कर दिया गया है।

अतः आपसे अनुरोध किया जाता है कि नियोक्ता को मुझे राशि का भुगतान करने और/या नियोक्ता द्वारा किए गए सेवामुक्ति या बर्खास्तगी को रद्द करने का निर्देश दें।

महिला/नामित/कानूनी प्रतिनिधि का हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान

दिनांक

यदि महिला/नामित/कानूनी प्रतिनिधि यदि हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान करने में सक्षम नहीं है

तो सत्यापक के

हस्ताक्षर और अंगूठे का निशान

महिला/नामित/कानूनी प्रतिनिधि का पूरा पता

प्ररूप-उन्नीस

(नियम 13 के उप-नियम (2) देखिये)
अपील

सेवा में,
सक्षम प्राधिकारी,
(सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 पर के तहत नियुक्त)
..... (पता)

महोदय,

मैं अधोहस्ताक्षरी, महिला कर्मचारी/उसका कानूनी उत्तराधिकारी/उसका प्रतिनिधि या नियोक्ता या उसका प्रतिनिधि (नाम और स्थापना का पूरा पता) निरीक्षक-सह-सुकारक श्री के आदेश से असंतुष्ट हूँ। ज्ञापन में उल्लेखित तथ्यों और इसके साथ संलग्न किए गए अन्य दस्तावेजों को ध्यान में रखते हुए धारा 72 की उपधारा (3) के तहत एतद् द्वारा इस अपील को प्रस्तुत करते हैं।

* संहिता की धारा धारा 72 की उप-धारा (2) के तहत अपने आदेश से इंकार, प्रसूति प्रसुविधा या अन्य राशि (राशि की प्रकृति) जिसके लिए (महिला कर्मचारी का नाम) का भुगतान करने के लिए निर्देशित किया जा रहा है (राशि की प्रकृति) जिसे (महिला का नाम) सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 के अध्याय-छ: के उपबंधों के अनुसार काम के दौरान/काम से अनुपस्थिति के कारण (महिला का नाम) के सेवामुक्ति या बर्खास्तगी को रद्द करने से इंकार कर दिया है। (अनावश्यक भाग हटा दें)

* यह प्रस्तुत किया जाता है कि, ... (महिला कर्मचारी का नाम)/प्रसूति प्रसुविधा या उक्त राशि का हकदार नहीं है और/या सही तरीके से सेवामुक्त या बर्खास्त किया गया है, इसलिए निरीक्षक-सह-सुकारक के आदेश को रद्द किया जा सकता है। (अनावश्यक भाग हटा दें)

महिला/नामित/कानूनी प्रतिनिधि का हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान
दिनांक

यदि महिला/नामित/कानूनी प्रतिनिधि यदि हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान
करने हेतु सक्षम नहीं है तो सत्यापक के
हस्ताक्षर और अंगूठे का निशान
महिला/नामित/कानूनी प्रतिनिधि का पूरा पता

प्ररूप-बीस
(नियम 16 तथा नियम 18 के उप-नियम (1) देखिये)
दुर्घटना की सूचना पुस्तिका
(कर्मकार के द्वारा अथवा उसकी ओर से भरा जाना है)

दुर्घटना की तारीख तथा समय.....
सूचना की तारीख तथा समय
क्षतिग्रस्त व्याक्ति का नाम
पता.....
क्षति का कारण.....

सूचना प्रदान करने वाले व्यक्ति का
हस्ताक्षर अथवा अंगूठे का निशान

[नियोजक अथवा उसके अभिकर्ता के द्वारा भरा जाना है]

पारिश्रमिक की दर
दुर्घटना का स्थान
क्षतियों की प्रकृति
चक्षुदर्शी साक्षियों का नाम
परिस्थितियों का उल्लेख

नियोक्ता अथवा उसके अभिकर्ता के हस्ताक्षर

प्ररूप-इक्कीस
(नियम 18 के उप-नियम (1) देखिये)
सक्षम प्राधिकारी द्वारा भेजी जाने वाली सूचना

मैंने यह सूचना प्राप्त किया है कि (1).....आपके द्वारा नियोजित कर्मकार (2)..... की मृत्यु नियोजन के अनुक्रम से उद्भूत तथा दुर्घटना के परिणामस्वरूप हुई है, मैं एतद्वारा आप से संहिता 2020 की धारा 88 की उप-धारा (1) के अनुसार इस सूचना की प्राप्ति की तारीख से तीन दिन के भीतर पैरा 1 एवं 2 में आवश्यक प्रविष्टियों तथा या तो पैरा 3 या 4 में आवश्यक प्रविष्टियों के साथ क्रमशः सम्यक् रूप में भरे हुए प्ररूप को प्रस्तुत करने की अपेक्षा करता हूँ। यदि आप प्रतिकर संदत्त करने के दायित्व को स्वीकार कर लेते हैं, तब संहिता की धारा 88 की उप-धारा (1) के अधीन आवश्यक निक्षेप इस सूचना की प्राप्ति के तीस दिन के भीतर किया जाना चाहिए।

सक्षम प्राधिकारी
वास्ते कर्मकार क्षतिपूर्ति

- (1) कर्मकार का नाम अन्तःस्थापित कीजिए।
- (2) प्रतिष्ठान का नाम अन्तःस्थापित कीजिए।

प्ररूप-बाईस

(नियम 18 के उप-नियम (2) देखिये)

नियोक्ता द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाला कथन

1. दिनांक 20..... की आपकी सूचना, जो मेरे द्वारा दिनांक वर्ष 20..... प्राप्त की गयी थी, के प्रत्युत्तर में यह तर्क किया जाता है कि
 (1) 15 वर्ष से निवासरत/ कार्यरत था और में नियोजित किया था
 दिनांक सन् 20..... दुर्घटना ग्रस्त हो गया, जिसके परिणामस्वरूप, उसकी दिनांक सन् 20..... को मृत्यु हो गयी। मृतक का मासिक पारिश्रमिक धनराशि रुपये है
2. वे परिस्थितियां, जिनमें मृतक की मृत्यु हुई थी, निम्न प्रकार से थी :-

3. मैं मृतक की मृत्यु के कारण प्रतिकर के रूप में रुपये संदत्त करने के दायित्व को स्वीकार करता हूं, जिसे दिनांक सन् 20 के पहले आपके के पास जमा कर दिया गया था/कर दिया जाएगा।
4. मैं निम्नलिखित आधारों पर मृतक की मृत्यु के कारण प्रतिकर संदत्त करने के दायित्व को नामंजूर करता हूं-

 (1) कर्मकार का नाम अन्तःस्थापित कीजिए।
 (2) प्रतिष्ठान का नाम अन्तःस्थापित कीजिए।

.....
नियोजक

प्ररूप-तेईस
(नियम 19 के उप-नियम (1) देखिये)

करार का ज्ञापन

एतद्वारा प्रस्तुत किया जाता है कि नियोजक से उत्पन्न और नियोजन के दौरान हुई दुर्घटना से के निवासी को दिनांक 20 के दिन को व्यक्तिगत क्षति पहुंची और उक्त कर्मचारी की निःशक्तता का कारण बनी जिससे यह अनुमान लगाया गया है कि महिने की अवधि के लिए उसकी पूर्व की/कोई किसी मजदूरी से अधिक नहीं अर्जित कर पायेगा। उक्त कर्मचारी अर्द्ध-मासिक संदाय प्राप्त करता रहा है जो दिनांक 20 के दिन से दिनांक 20 के दिन तक कुल रु. प्राप्त करता रहा।

उक्त कर्मचारी की मासिक मजदूरी रु. है। कर्मचारी दिनांक को 15 वर्ष से अधिक आयु का है। यह पुनः प्रस्तुत है कि उक्त कर्मचारी का नियोजक, उक्त दुर्घटना से उत्पन्न अस्थायी प्रकृति की सभी निःशक्तता के बाबत सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 के तहत सभी दावों के पूर्ण निपटारे में, चाहे सभी या बाद में प्रकट किया जाए, रु. की राशि को उक्त कर्मचारी का नियोजक अदा करने व उक्त कर्मचारी स्वीकार करने को राजी हो गये हैं। अतः निवेदन है कि ज्ञापन सम्यक रूप से अभिलिखित किया जाए।

दिनांक 20

नियोजक के हस्ताक्षर

गवाह

कर्मचारी के हस्ताक्षर

गवाह

टीप- करार के पंजीकरण का आवेदन किसी एक पक्ष के हस्ताक्षर से पेश किया जा सकता है बशर्ते अन्य पक्ष निबंधनों से सहमत हो, परंतु जहां संभव हो दोनों के हस्ताक्षर होने चाहिए।

रसीद

(रसीद उस समय भरी जाए जब वास्तव में अदा किया जाए)

उपर्युक्त करार के अनुसार मैंने आज को रु. प्राप्त किए हैं।

दिनांक 20

कर्मचारी

धन अदा कर दिया गया है और रसीद मेरी उपस्थिति में हस्ताक्षरित हुई है।

गवाह

प्ररूप-चौबीस

(नियम 19 के उप-नियम (1) देखिये)

करार का ज्ञापन

एतद् द्वारा प्रस्तुत किया जाता है कि दिनांक 20 के दिन को में अपने नियोजन के दौरान उत्पन्न दुर्घटना से निवासी को व्यक्तिगत क्षति पहुंची।

उक्त क्षतियुक्त कर्मचारी की निम्नलिखित प्रकृति की स्थायी निःशक्तता का कारण बनी, यथा उक्त कर्मचारी की मासिक मजदूरी रु. आंकी गई है।

उक्त कर्मचारी 15 वर्ष की आयु से अधिक है/दिनांक को 15 वर्ष की आयु का होगा।

दिनांक को रु. दिनांक को रु.

यह पुनः प्रस्तुत किया जाता है कि उपर्युक्त निःशक्तता के संबंध में सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 के तहत सभी दावों के पूर्ण निपटारे में रु. की राशि उक्त कर्मचारी का नियोजक अदा करने व उक्त कर्मचारी स्वीकार करने को सहमत हो गये है और भी निःशक्तताएं प्रकट हैं। अतः यह निवेदन है कि ज्ञापन सम्यक् रूप से अभिलिखित किया जाए।

दिनांक 20

नियोजक के हस्ताक्षर.....

गवाह

कर्मचारी के हस्ताक्षर

गवाह

टीप— करार को रजिस्टर कराने के लिए पक्ष पक्ष द्वारा आवेदन दिया जा सकता है बशर्ते अन्य पक्ष निबंधनों से सहमत हो। परंतु दोनों के हस्ताक्षर जब संभव हो संलग्न हों।

रसीद

(उस समय भरी जाए जब वास्तव में अदा किया जाए)

उपर्युक्त करार के अनुसार मैंने दिनांक को रु. प्राप्त लिए हैं,

दिनांक 20

.....
कर्मचारी

धन अदा कर दिया गया है और रसीद मेरी उपस्थिति में हस्ताक्षरित हुई है।

.....

गवाह

प्ररूप- पच्चीस
(नियम 19 के उप-नियम (1) देखिये)
करार का ज्ञापन

एतद्वारा प्रस्तुत है कि और में नियोजन के दौरान उद्भूत दुर्घटना के द्वारा पर रहने वाले को दिनांक सन् 20 को व्यक्तिगत क्षति पहुंची। उक्त क्षति उक्त कर्मचारी के लिए अस्थायी निःशक्तता का कारण बना। जो वर्तमान में मासिक रु. प्राप्त करता है। रु.

कर्मचारी की मासिक मजदूरी दुर्घटना से पूर्व से, अनुमानित है। कर्मचारी..... की वजह से वैध निशक्तता के अधीन है।

यह भी प्रस्तुत है कि कर्मचारी का नियोक्ता वेतन देने हेतु सहमत हो गये हैं। उक्त कर्मकार की ओर से अस्थायी निःशक्तता के दौरान की अवधि के लिए दर से अर्द्ध-मासिक संदाय करने हेतु सहमती दी गई है यह करार इस शर्त के अध्वधीन है अर्द्ध-मासिक संदाय की राशि निःशक्तता के दौरान उक्त कर्मचारी की उपार्जन में परिवर्तन की वजह से उक्त अधिनियम के उपबंधों के अनुसार परिवर्तित की जा सकती है। यह पुनः अनुबंधित किया जाता है कि उक्त संहिता की धारा 93 की उप-धारा (3) के तहत लघुकरण के सभी अधिकार करार द्वारा अप्रभावित है। अतः निवेदन है कि ज्ञापन सम्यक् रूप से अभिलिखित किया जाए।

दिनांक 20.....

नियोजक के हस्ताक्षर

गवाह

कर्मचारी के हस्ताक्षर.....

गवाह

टीप- करार को रजिस्टर करने का आवेदन एक पक्ष द्वारा हस्ताक्षरित करके दिया जा सकता है बशर्ते अन्य पक्ष निबंधनों से सहमत हो। परंतु यदि संभव हो, दोनों के हस्ताक्षर संलग्न हों।

रसीद

(तब भरी जाए जब वास्तव में अदा कर किया जाए)

उपर्यक्त करार के अनुसार, मैंने आज.....रु. की राशि प्राप्त कर ली है।

दिनांक 20.....

.....
कर्मचारी

धन अदा कर दिया गया है और इस रसीद पर हस्ताक्षर मेरे सामने हुए हैं।

.....
गवाह

प्ररूप-छब्बीस

(नियम 19 के उप-नियम (2) देखिये)

करार का ज्ञापन अभिलिखित करने हेतु सूचना

इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि प्रतिकर अदा करने का करार
 और के बीच हुआ है और यतः
 ने संहिता की धारा 89 (1) के तहत करार के पंजीयन के लिए आवेदन किया है, अतः
 एतद्वारा सूचना दिया जाता है कि उक्त करार पर, ... सन् 20 और यह कि
 उक्त करार के पंजीयन के लिए कोई आपत्ति पर उसी दिनांक को विचार किया जाएगा
 और वैध आपत्ति के अभाव में, इस करार के पंजीयन हेतु कार्यवाही करने के लिए आशयित
 हूँ।

दिनांक 20.....

.....
सक्षम प्राधिकारी

प्ररूप-सत्ताईस

(नियम 19 के उप-नियम (2) एवं (3) देखिये)

सूचना

सूचना दी जाती है कि दिनांक 20..... को आपके प्रतिकर
 अदा करने के लिए हुए व के मध्य करार के पंजीयन
 निम्नलिखित कारणों से अस्वीकृत कर दिया गया है, यथा:

दिनांक 20.....

.....
सक्षम प्राधिकारी

प्ररूप-अव्ठाईस
(नियम 19 के उप-नियम (3) देखिये)

सूचना

यह कि प्रतिकर अदा करने का और.....के
मध्य एक करार हुआ है और यतः ने उक्त संहिता 2020 की धारा 89 (1) के
तहत करार के पंजीयन हेतु आवेदन किया है और यह प्रतीत हो रहा है कि उक्त करार
निम्नलिखित कारणों से पंजीकृत नहीं होना चाहिए, यथा :-

.....

.....

आपको यह कारण बताने के लिए अवसर दिया जाएगा कि उक्त करार पंजीकृत क्यों
होना चाहिए। यदि विहित तारीख को कोई उपयुक्त कारण नहीं बताया गया, तो करार का
पंजीकरण अस्वीकृत कर दिया जाएगा।

दिनांक 20.....

.....
सक्षम प्राधिकारी

प्ररूप-उन्तीस

(नियम 19 के उप-नियम (3) देखिये)

सूचना

यह कि प्रतिकर अदा करने का और.....के मध्य एक करार हुआ है और यतः ने उक्त संहिता 2020 की धारा 89 (1) के तहत करार के पंजीयन हेतु आवेदन किया है और यह प्रतीत हो रहा है कि उक्त करार निम्नलिखित कारणों से पंजीकृत नहीं होना चाहिए, यथा:

.....

.....

आपको यह कारण बताने के लिए दिनांक को अवसर दिया जाएगा कि उक्त करार पंजीकृत क्यों होना चाहिए। कोई भी प्रतिनिधित्व, जो उक्त करार के संबंध में आपको करना हो उसी तारीख को किया जायेगा, और पर्याप्त कारण दर्शित कर, करार को पंजीकृत किया जा सकेगा।

दिनांक.....20.....

.....
सक्षम प्राधिकारी

प्ररूप-तीस

(नियम 19 के उप-नियम (5) देखिये)

वर्ष 20.....के लिए करार का रजिस्टर

क्र. सं.	करार की तारीख	पंजीकरण की तारीख	नियोजक	कर्मकार	सक्षम प्राधिकारी के हस्तारक्षर	रजिस्टर परिशोधनकारी आदेशों का निर्देश
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)

प्ररूप- इकतीस
(नियम 21 के उप-नियम (2) देखिये)
कर्मचारी द्वारा प्रतिकर के लिए आवेदन

सेवा में,

सक्षम प्राधिकारी,

.....

.....

नाम और पता.....

....आवेदक,

बनाम

.....

नाम और पता.....

....विरोधी पक्षकार,

एतद् द्वारा प्रस्तुत किया जाता है कि:-

- (1) दिनांक 20.....के दिन विरोधी पक्ष (ठेकेदार के साथ) द्वारा नियुक्त कर्मचारी.....को रोजगार से व रोजगार के दौरान उत्पन्न दुर्घटना द्वारा व्यक्तिगत क्षति हुई, जो दिनांक 20..... के दिन को उसके मृत्यु का कारण बनी। (साधारण भाषा में क्षति का संक्षिप्त कारण दें).....
- (2) आवेदक को निम्नलिखित क्षतियां कारित हुई
- (3) मृतक की मासिक मजदूरी.....रुपये थी। मृतक अपनी मृत्यु के समय 15 वर्ष से अधिक/कम था।
- (4) (क) दुर्घटना का नोटिस दिनांक 20..... के दिन को तामील कराया गया।
(ख) नोटिस जहां तक हो सका उतना शीघ्र तामील कराई गई।
(ग) दुर्घटना का नोटिस की वजह से (सही समय पर) तामिल नहीं कराई गई।
- (5) आवेदक तदनुसार प्रप्ति का हकदार है:
(क) दिनांक 20.....से दिनांक 20.....तक का अर्द्धवार्षिक भुगतान
(ख) रुपये की एक मुश्त राशि

- (6) आवेदक ने करार द्वारा निपटान करने हेतु निम्न कदम उठाए.....
 परन्तु यह विवादित प्रश्नों का निपटान करने में असफल साबित हुआ क्योंकि
 अतः आपसे निवेदन है कि निम्न विवादित प्रश्न का निपटारा करें:
- (क) क्या आवेदक संहिता के अधीन एक कर्मचारी है:
 - (ख) क्या दुर्घटना नियोजन के दौरान अनुक्रम में घटित हुई:
 - (ग) क्या क्षतिपूर्ति की राशि, या राशि का कोई भाग बकाया है:
 - (घ) क्या विपक्षी पक्षकार क्षतिपूर्ति जैसा बकाया है, के भुगतान हेतु दायी है:
 - (ङ) आदि, आदि (अपेक्षानुसार)

दिनांक 20.....

आवेदक,

(जो लागू न हो उसे काट दें ।)

प्ररूप-बत्तीस
 (नियम 21 के उप-नियम (2) देखिये)
 कर्मचारी द्वारा प्रतिकर के लिए आवेदन

(कर्मचारी प्रतिकर आयुक्त)

नाम और पता

आवेदक,

बनाम

नाम और पता

विरोधी पक्षकार,

एतद् द्वारा प्रस्तुत किया जाता है कि:-

- (1) दिनांक 20.....के दिन विरोधी पक्ष (के ठेकेदार) द्वारा नियुक्त कर्मचारी.....को रोजगार से व रोजगार के दौरान उत्पन्न दुर्घटना द्वारा व्यक्तिगत क्षति हुई जो दिनांक 20.....के दिन.....को उसकी मृत्यु का कारण बनी। (साधारण भाषा में क्षति का संक्षिप्त कारण दें).....

- (2) उसके नाते आवेदक मूल कर्मचारी का/के आश्रित है/हैं।
- (3) मृतक की मासिक मजदूरी रूपये थी।
मृतक अपनी मृत्यु के समय 15 वर्ष से अधिक/कम था।
- (4) (क) दुर्घटना का नोटिस दिनांक 20..... के दिन को तामील कराया गया।
(ख) नोटिस जहाँ तक हो सका उतना शीघ्र तामील कराई गई।
(ग) दुर्घटना की नोटिस की वजह से (सही समय पर) तामील नहीं कराई गई।
- (5) अपनी मृत्यु से पूर्व मृतक ने कुल रू० प्रतिकर के रूप में प्राप्त किए।
प्रार्थी तदनुसार रू. की एक मुश्त राशि प्राप्त करने का हकदार है।
इसलिए आपके निवेदन किया जाता है कि आवेदक को उक्त प्रतिकर अथवा कोई अन्य प्रतिकर, जिसका कि वह हकदार हो, अधिनिर्णीत करें।

दिनांक 20.....

.....
आवेदक,

(जो लागू न हो उसे काट दें।)

प्ररूप-तैंतीस
(नियम 21 के उप-नियम (2) देखिये)
सारांशीकरण के लिए आवेदन

सेवा में,

सक्षम प्राधिकारी,

.....

.....

नाम और पता.....

.....आवेदक,

बनाम

नाम और पता

...विरोधी पक्ष

एतद् द्वारा प्रस्तुत किया जाता है कि

- (1) आवेदक/विरोधी पक्ष नियोजन से व नियोजन के दौरान से उत्पन्न दुर्घटना से हुई अस्थायी निशक्ता के लिए बाबत दिनांक से तक अर्द्ध-मासिक संदाय प्राप्त करता रहा है।

(2) आवेदक इच्छुक है कि अर्द्ध-मासिक संदायों को प्राप्त करने के अधिकार को मोचित कर दिया जाए।

(3) (क) विरोधी पक्ष अर्द्ध-मासिक संदाय प्राप्त करने के अधिकार के मोचन से सहमत नहीं है।

(ख) पक्षकार उस राशि के सम्बन्ध में जिसके लिए अर्द्ध-मासिक संदाय प्राप्त करने के अधिकार को मोचित कर दिया जाए सहमत होने से असमर्थ रहे हैं।

अतः आपसे निवेदन है कि -

(क) यह निर्देश हुए कि अर्द्ध-मासिक संदाय प्राप्त करने का अधिकार मोचित कर दिया जाए ;

(ख) अर्द्ध-मासिक संदाय को प्राप्त करने के अधिकार के मोचन के लिए राशि तय करने के लिए आदेश पारित करें।

दिनांक 20.....

.....
आवेदक

प्ररूप-चौतीस
(नियम 21 के उप-नियम (19) देखिये)
सूचना

आवेदक के द्वारा के विरुद्ध प्रतिकर का दावा किया गया है और उक्त ने यह दावा किया है कि आप सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 की धारा 93 (3)(4) के तहत किसी प्रतिकर के तहत किसी प्रतिकर के विरुद्ध उसको क्षतिपूर्ति करने के दायी हैं जो वह उपर्युक्त दावे को अदा करने के लिए दायी है, आपको एतद्वारा सूचित किया जाता है कि आप दिनांक 20 को मेरे समक्ष पेश हो सकते हैं और उक्त आवेदक द्वारा किये गये प्रतिकर के दावे अथवा विरोधी पक्ष द्वारा किये गये क्षतिपूर्ति के दावे का विरोध करें। आपके पेश न होने के व्यतिक्रम में ऐसा माना जाएगा कि आप विरोधी पक्ष के विरुद्ध दिए गए किसी अधिनिर्णय को और उससे वसूले गये किसी प्रतिकर के लिए विरोधी पक्ष की क्षतिपूर्ति के लिए आप अपना दायित्व स्वीकार करते हैं।

दिनांक 20.....

.....
सक्षम प्राधिकारी

प्ररूप-पैंतीस
(नियम 21 के उप-नियम (19) देखिये)
सूचना

जबकि के विरुद्ध आवेदक के द्वारा प्रतिकर का दावा किया गया है और उक्त ने यह दावा किया है कि आप सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 की धारा 93 (3)(4) के तहत उसको उस किसी प्रतिकर को क्षतिपूर्ति करने के दायी हैं जो वह उपर्युक्त दावे के बाबत अदा करने का दायी होता, और जबकि उक्त ने नोटिस तामील हो जाने पर यह दावा किया है कि आप ठेकेदार के सम्बन्ध में उसके विरुद्ध हैं जिसमें आवेदक प्रतिकर वसूल लेता, आपको एतद्वारा सूचित किया जाता है कि आप दिनांक 20..... को मेरे समक्ष पेश हो और उक्त आवेदक के द्वारा किये गये दावे अथवा विरोधी पक्ष द्वारा किये गये क्षतिपूर्ति के दावे को विरोध करें। आपको पेश होने के व्यतिक्रम में यह माना जाएगा कि आप विरोधी पक्ष से वसूले गये किसी प्रतिकर के लिए उसके विरुद्ध दिए गए किसी अधिनिर्णय की विधिमान्यता को स्वीकार करते हैं।

दिनांक 20.....

.....
 सक्षम प्राधिकारी

प्ररूप-छत्तीस
(नियम 29 के उप-नियम (1) देखिये)
महिला कर्मचारियों की पंजी

प्रतिष्ठान का नाम

1. क्रम संख्या :
2. महिला का नाम और उनके पिता (या, यदि विवाहित हैं तो पति) का नाम:
3. नियुक्ति की तारीख :
4. कार्य की प्रकृति :
5. महीने और वर्ष के साथ तारीख जबसे वह नियोजित हैं, नौकरी से निकाली गई हैं और नियोजित नहीं हैं।

माह	नियोजित दिनों की संख्या	नौकरी से निकाले गए दिनों की संख्या	नियोजित नहीं किए गए दिनों की संख्या	टिप्पणी
(क)	(ख)	(ग)	(घ)	(ङ)

6. महिला द्वारा संहिता की धारा 62 के अंतर्गत नोटिस दिए जाने की तारीख :
7. सेवा मुक्त/बर्खास्तगी, यदि कोई हो, की तिथि :
8. संहिता की धारा 62 के अंतर्गत प्रसव के प्रमाण प्रस्तुत करने की तिथि :
9. शिशु के जन्म की तिथि :
10. प्रसव/गर्भपात/गर्भावस्था की चिकित्सा समाप्ति/ट्यूबेक्टोमी ऑपरेशन/बच्चे की मृत्यु/गोद लेने के प्रमाण प्रस्तुत करने की तिथि :
11. संहिता की धारा 65 में संदर्भित रुग्णता प्रमाण प्रस्तुत करने की तारीख :
12. संभावित प्रसव से पहले अग्रिम भुगतान किए गए प्रसूति प्रसुविधा की राशि सहित भुगतान की तिथि :
13. तिथि सहित प्रसूति लाभ के अनुवर्ती भुगतान की राशि :
14. संहिता की धारा 64 के अंतर्गत तिथि सहित बोनस की राशि, यदि भुगतान की गई हो :
15. संहिता की धारा 65(1) और 65(3) के अंतर्गत तिथि सहित अवकाश के समय भुगतान की गई मजदूरी की राशि :
16. संहिता की धारा 65(2) के अंतर्गत तिथि सहित अवकाश के समय भुगतान की गई मजदूरी की राशि और अवकाश की अवधि :
17. संहिता की धारा 62 के अंतर्गत महिला द्वारा नामित व्यक्ति का नाम :
18. यदि महिला की मृत्यु होती है, तो उसकी मृत्यु की तारीख, उस व्यक्ति का नाम जिसे प्रसूति प्रसुविधा और/या अन्य राशि का भुगतान किया गया था, उसकी राशि और भुगतान की तारीख :

19. यदि महिला की मृत्यु होती है और शिशु जीवित रहता है तो, उस व्यक्ति का नाम, जिसे बच्चे की ओर से प्रसूति प्रसुविधा की राशि का भुगतान किया गया था और वह अवधि जिसके लिए यह भुगतान किया गया था :
20. महिला कर्मचारियों के रजिस्टर में प्रविष्टियों को प्रमाणित करते हुए प्रतिष्ठान के नियोक्ता का हस्ताक्षर :
21. निरीक्षक-सह-सुकारक के उपयोग के लिए टिप्पणी कॉलम :

प्ररूप-सैंतीस

(नियम 30 के उप-नियम (1), (2) एवं (3) देखिये)

सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 की धारा 138 की उप-धारा (1) के अंतर्गत अपराध के प्रशमन के लिए पहली बार अपराध करने वाले नियोक्ता को नोटिस

नोटिस संख्या

तारीख :-----

मेरे समक्ष रखे गए रिकार्ड एवं दस्तावेजों के आधार पर, अधोहस्ताक्षरी के पास यह मानने के लिए कारण हैं कि आपने, ... प्रतिष्ठान के नियोक्ता होने के कारण (पंजीकरण संख्या), संहिता के उपबंधों अथवा योजनाओं अथवा नियमों अथवा उनके अंतर्गत विनियमों के उल्लंघन में नीचे दिए गए विवरणानुसार अपराध किया है :-

भाग-एक

1. व्यक्ति का नाम:
2. प्रतिष्ठान का नाम एवं पता:
3. प्रतिष्ठान की पंजीकरण संख्या :
4. अपराध का विवरण :
5. संहिता/योजना /नियमों/विनियमों के उपबंध जिनके अंतर्गत अपराध किया गया है:
6. अपराध के प्रशमन के लिए भुगतान किए जाने के लिए अपेक्षित प्रशमन राशि रु
7. कॉलम 6 में विनिर्दिष्ट राशि जमा करने के लिए खाते का नाम एवं विवरण:

भाग-दो

उपर्युक्त के दृष्टिगत, आपके पास ऊपर वर्णित राशि का भुगतान करने के लिए इस नोटिस के जारी होने की तारीख से 15 दिन के अंदर भुगतान करने तथा इस नोटिस के भाग-तीन में भरकर आवेदन को लौटाने का विकल्प है।

यदि विनिर्दिष्ट समय में उक्त राशि का भुगतान नहीं किया जाता है, तो इस संबंध में, बिना कोई अवसर दिए, अभियोजन दायर करने के लिए आवश्यक कार्रवाई प्रारंभ कर दी जाएगी।

तारीख:

स्थान:

(प्रशमन अधिकारी के हस्ताक्षर)

भाग-तीन

अपराध के प्रशमन के लिए धारा 138 की उप-धारा (4) के अंतर्गत आवेदन

संदर्भ : नोटिस संख्या

तारीख:

अधोहस्ताक्षरी ने भाग-एक के कॉलम 6 में विनिर्दिष्ट की गई सम्पूर्ण राशि जमा कर दी है तथा भाग-एक में उल्लिखित अपराध के प्रशमन करने के अनुरोध के साथ भुगतान का विवरण नीचे दिया गया है।

1. जमा की गई प्रशमन राशि का विवरण (इलेक्ट्रॉनिक रूप से जारी रसीद की प्रति संलग्न की जानी है):
2. अभियोजन, यदि ऊपर लिखित अपराधों के उल्लंघन के लिए दायर किया गया हो, का विवरण:
3. क्या यह अपराध प्रथम अपराध है अथवा आवेदक ने इस अपराध से पहले कोई अन्य अपराध किया था, यदि किया था तो उस अपराध का पूर्ण विवरण दें:
4. अन्य कोई सूचना जो आवेदक देना चाहता हो :

तारीख:

स्थान:

आवेदक के हस्ताक्षर
(नाम एवं पदनाम)

भाग—चार

प्रशमन प्रमाण—पत्र

संदर्भ : नोटिस संख्या

तारीख

यह प्रमाणित किया जाता है कि संहिता की धारा 133 की उपधारा के अंतर्गत अपराध, जिसके संबंध में श्री ————— (आवेदक), ... (प्रतिष्ठान का नाम एवं पंजीकरण संख्या) के नियोक्ता को दिनांक :..... का नोटिस संख्या जारी किया गया था, को उक्त नोटिस के अनुपालन में अपराधों के प्रशमन के लिए (रुपये) की पूर्ण राशि का भुगतान करने के कारण प्रशमन कर दिया गया है।

तारीख:

स्थान:

(हस्ताक्षर)

अधिकारी का नाम एवं पदनाम

Nava Raipur Atal Nagar, the 10th April 2026

NOTICE

No.-RULE-801/51/2026-LABOUR.— Draft Social Security Code (Chhattisgarh) Rules, 2021 was published vide Chhattisgarh Gazette, Extraordinary Notification No. F 10-03/2021/16, Dated 25th May 2021 for inviting objections and suggestions as required under Section 154, 156 and 158 of the Social Security Code, 2020 (No. 36 of 2020).

And whereas, by the Government of India, vide Notification no. S.O. 5319 (E), Dated the 21st November, 2025, published in the Gazette of India, Extraordinary Part-II, Section 3, Sub Section (ii), Except for certain provisions the Social Security Code, 2020 (No. 36 of 2020) have been brought into force.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Section 154, 156 and 158 of Social Security Code, 2020 (No. 36 of 2020) and made by the State Government -

- (i) Chhattisgarh Workmen's Compensation Rules, 1962;
- (ii) Chhattisgarh Workmen's Compensation (Occupational Dieses) Rules, 1963;
- (iii) Chhattisgarh Maternity Benefit Rules, 1965;
- (iv) Payment of Gratuity (Chhattisgarh) Rules, 1973;
- (v) Chhattisgarh Building and Other Construction Workers (Regulation of Employment and Conditions of Service) Rules, 2008;
- (vi) Chhattisgarh Unorganised Workers Social Security Rules, 2010;

- (vii) Chhattisgarh employee's Insurance Court Rule 1963;
- (viii) Chhattisgarh Employees' State Insurance (Medical Benefit Services System) Rules, 1959;
- (ix) Chhattisgarh supplies to the Hospitals Established Under The Scheme of Employee's Estate Insurance Rules 1981;

in supersession of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948), The Maternity Benefit Act, 1961 (53 of 1961), The Payment of Gratuity Act, 1972 (39 of 1972), Workmen's Compensation Act 1923, Building and Other Construction Workers (Regulation of Employment and Conditions of Service) Act 1996 (27 of 1996) and Unorganised Workers Social Security Act 2008 (33 of 2008) as the case may be, repealed by Section 154, 156 and 158 of the Social Security Code, 2020 except as respects things done or omitted to be done before such supersession, are hereby notified, as required by said section 164, for information of all persons likely to be affected thereby and notice is hereby given that the said draft notification will be taken into consideration after the expiry of a period of Forty Five days from the date on which the copies of the Official Gazette in which this notification is published are made available to the public.

Objections and suggestions, if any, may be addressed to Under Secretary to the Government of Chhattisgarh, Department of Labour, Mantralaya, Mahanadi Bhawan, Nawa Raipur Atal Nagar. The objections and suggestions should be sent in a proforma containing columns (i) specifying the name and address of the person/organization and column (ii) specifying the rule or sub-rule which is proposed to be modified and column (iii) specifying the revised rule or sub-rule proposed to be substituted and column (iv) reasons thereof.

Objections and suggestions, which may be received from any person or organization with respect to the said draft notification before expiry of the period specified above, will be considered by the State Government.

Draft Rule
CHAPTER-I
PRELIMINARY

1. Short title, extent and commencement. -

- (1) These rules may be called the Code on Social Security (Chhattisgarh) Rules, 2026.
- (2) They shall extend to the whole of Chhattisgarh.
- (3) They shall come into force after the date of their final publication in the Official Gazette.

2. Definitions.-

- (1) In these rules, unless the subject or context otherwise requires, —
 - (i) “**Appeal**” means an appeal preferred under clause (b) of sub-section (7) of Section 37, or sub-section (8) of Section 56 or sub-section (1) of Section 105, as the case maybe;
 - (ii) “**Appellate authority**” means -
 - (a) The State Government or the Deputy Labour Commissioner or the authority specified by the State Government for the purpose of sub-section (8) of Section 56 and sub-section (1) of Section 105 of the Code, and;
 - (b) Employees’ Insurance Court constituted by the State Government for the purpose of clause (b) of sub-section (7) of Section 37 of the Code;

- (iii) "**Assessing Officer**" means a gazetted officer of the State Government or an officer of a local authority holding an equivalent post to a gazetted officer of the State Government appointed by the State Government for assessment of Cess under Chapter-VIII of the Code;
- (iv) "**Authority**" means the State Government or the authority specified by the State Government under sub-section (3) of Section 72 of the Code;
- (v) "**Average daily wages during a contribution period**" under Chapter-IV of the Code in respect of an employee, means the aggregate amount of wages payable to him during that period divided by the number of days for which such wages were payable;
- (vi) "**Average daily wages during a wage period**" under Chapter-IV of the Code means —
- (a) in respect of an employee who is employed on time-rate basis, the amount of wage which would have been payable to him for the complete wage period had he worked on all the working days in that wage period, divided by 26 if he is monthly rated, 13 if he is fortnightly rated, 6 if he is weekly rated and 1 if he is daily rated;
- (b) in respect of an employee employed on any other basis, the amount of wages earned during the complete wage period in the Contribution period divided by the number of days in full or part for which he has worked for wages in that wage period :

Provided that where an employee receives wages without working on any day during such wage period, he shall be deemed

to have worked for 26, 13, 6 or 1 day or days if the wage period be a month, a fortnight, a week or a day respectively.

Explanation— Where any night shift continues beyond midnight, the period of the night shift after midnight shall be counted for reckoning the day worked as part of the day preceding;

- (vii) **“benefit”** means any benefit specified under rule 5 of these rules;
- (viii) **“benefit period”** means the period not exceeding six consecutive months corresponding to the contribution period, as may be specified in the regulations;
- (ix) **“Board”** means the Chhattisgarh Unorganised Workers State Social Security Board and the Chhattisgarh Building and other Construction Workers Welfare Board constituted under Section 6 and Section 7 of the Code;
- (x) **“Chairperson”** means the Chairperson of the Chhattisgarh Building and Other Constructions workers Welfare Board, the Chhattisgarh Unorganised Workers State Social Security Board, the Standing Committee, the Medical Benefit Committee or the Executive Committee, as the case may be;
- (xi) **“Cess collector”** means an officer appointed by the State Government for collection of cess under the Code.
- (xii) **“Chartered Engineer”** means a person holding an engineering degree and having the corporate membership of Institute of Engineers India;
- (xiii) **“Code”** means the Code on Social Security, 2020 (No. 36 of 2020);
- (xiv) **“Court”** means the employee insurance court constituted under

Section 48 of Social Security Code, 2020 (No. 36 of 2020);

- (xv) **“Electronically”** means any information or communication submitted by email or uploading on the designated portal or digital payment in any mode for the purpose of Code;
- (xvi) **“Form”** means a form appended to these rules;
- (xvii) **“Fund”** means Building and Other Construction Workers Welfare Fund and Social Security Fund, as specified in Section 108 and Section 141 of the Code as the case may be;
- (xviii) **“Government”** means Government of Chhattisgarh;
- (xix) **“Government Securities”** means Government Securities as defined in the Government Securities Act, 2006 (No.38 of 2006);
- (xx) **“Immovable Property”** includes land, benefits to arise out of land, things attached to the earth, or permanently fastened to anything attached to the earth;
- (xxi) **“Member”** means a member of board;
- (xxii) **“Movable Property”** means property of every description except immovable property;
- (xxiii) **“Nodal Officer”** means a person designated by C.G. Building and Other Construction workers welfare Board or the State Government to facilitate the registration, renewal and updation electronically or otherwise or any such other function of building and other construction workers working in the private sector, State Government, Central Government and public sector undertakings of the Central and the State Governments or local authority. Including supervising and monitoring the functions of the beneficiary registering officers designated by the State Government;
- (xxiv) **“Nomination”** means nomination made under Section 55 of the

Code;

(xxv) “**Portal**” means portal of Government of Chhattisgarh, Labour Department;

(xxvi) “**Registered Medical Practitioner**” means a medical practitioner whose name has been enrolled in a register maintained under any law for the time being in force regulating the registration of practitioners of medicine;

(xxvii) “**Register of women employees**” means a register of women employees maintained under sub-rule (2) of rule 29;

(xxviii) “**Schedule**” means the Schedule to the Code;

(xxix) “**Section**” means a Section of the Code;

(xxx) “**Secretary**” means the Secretary of the board;

(xxxi) “**Specified**” means specified by an order of the Central Government or State Government or any officer authorised by such Government for this purpose;

(xxxii) “**Year**” means the financial Year, beginning from first of April and ending with the thirty first of March of the year following.

(2) The words and expressions used in these rules which are not defined therein, but are defined in the Code, shall have their respective meaning as assigned to them in the Code.

CHAPTER II

SOCIAL SECURITY ORGANISATIONS

A. CHHATTISGARH UNORGANISED WORKERS STATE SOCIAL SECURITY BOARD

3. The Manner of exercising the powers and discharge functions by State Unorganised Workers State Social Security Board under sub-section (9), the manner of nomination of members of the Board, their term of office and other conditions of service, the procedure to be followed in the discharge of their functions, the manner of filling vacancies of the members of the Board under sub-section (12) and the time, place of meetings and rules of procedure relating to the transaction of business at under sub-section (14) of Section 6 of the Code.-

(1) Constitution of the Chhattisgarh Unorganised Workers State Social Security Board ;- The 'Chhattisgarh Unorganised Workers State Social Security Board' shall be deemed as Board constituted under sub-section (9) of Section 6 of the Code, which shall consist of:-

- (i) The Minister of Labour, Chhattisgarh as the ex-officio Chairperson;
- (ii) Secretary, Government of Chhattisgarh, Labour Department as Vice Chairperson;
- (iii) One member representing the Central Government in the Ministry of Labour and Employment;
- (iv) Thirty one members to be nominated by the State Government out of whom –
 - 1. Seven members representing the unorganized workers;
 - 2. Seven members representing the employer of unorganized workers;

3. Two members representing the legislative assembly of Chhattisgarh;
4. Five members representing eminent persons from civil society;
5. Ten members representing the State government departments concerned;

Provided that out of the total members appointed under sub-clause (1), (2), and (4), there shall be at least one representative, respectively, from the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, other Backward Classes Not provided in Central rules, minorities and women.

- (v) The State Government shall notify an officer of Government of Chhattisgarh not below the rank of an Assistant Labour Commissioner as Member Secretary of the Board without voting powers;

Provided that, apart from the Chairperson of Chhattisgarh Unorganised Workers State Social Security Board, all other members who is nominated by the state government shall be eminent persons in the field of labour welfare, management, finance, law and administration.

- (2) **Terms of Office.** – A member appointed under clause (iv) of sub-rule (1) of rule 3 shall hold office. for a period for three years from the date of publication of the notification in the Official Gazette. Appointing him as a member of the Board Subject to the provisions of sub-rule (1), unless he resigns his office or dies or otherwise vacates his office at an earlier date every such member shall be eligible for reappointment:

Provided that an outgoing member shall continue to hold office until the appointment of his successor is notified in the Official Gazette.

(3) Resignation.-

- (i) A member appointed under clause (iv) of sub-rule (1) of rule 3 may resign his office by writing under his hand addressed to the State Government.
- (ii) The resignation shall take effect from the date of its acceptance by the State Government.

(4) Vacation of office.- A member appointed under clause (iv) of sub rule (1) of rule 3 shall be deemed to have vacated his office, if –

- (i) he is declared to be of unsound mind or an undischarged insolvent by a competent court; or
- (ii) he is convicted of an offence which, in the opinion of the State Government, involves moral turpitude; or
- (iii) he commits default of any dues under any Labour Code as an employer; or
- (iv) he becomes a Minister of the Central or State Government, Speaker or Deputy Speaker of the House of the People or the State Legislature, or Deputy Chairman of the Council of States;

Provided that the above disqualifications shall not apply to ex-officio members of the Board.

- (v) he is a member nominated under sub-clause (iii) of clause (d) of sub-section (10) of Section 6 of the Code shall cease to be a member of the Board if he ceases to be a member of the Legislative Assembly by which he was so elected.
- (vi) he is absent from three consecutive meetings of the Board or one of the Committees without leave from the Chairperson; or
- (vii) he has so abused the position of his office as to render that member's continuation in the office detrimental to the public interest or is

otherwise unfit or unsuitable to continue as such member in the opinion of State Government:

- (viii) as a member he has ceased to adequately represent unorganised workers or their employers;

Provided that no person shall be removed under clauses (vi), (vii) and (viii), except after giving a reasonable opportunity of showing cause against such removal.

- (ix) he is appointed as member as an expert in a specified area and is later found to lack sufficient expertise in such area.

- (5) **Filling of casual vacancies.** – A member appointed to fill a casual vacancy, arising due to death, resignation or otherwise of the member shall hold office for the remaining period of the term of office of the member in whose place he is appointed.

- (6) **Manner of filling vacancies.**– When a vacancy occurs or is likely to occur in the membership of the Board, the Chairperson shall submit a report to the State Government and on receipt of such report, the State Government may, by notification, nominate a person to fill the vacancy and the person so nominated shall hold office for the remainder of the term of office of the member in whose place he is nominated.

- (7) **Change of Address.**– If a member changes his address, he shall notify his new address to the Member-Secretary of the Board who shall thereupon enter his new address in the official records:

Provided that if a member fails to notify his new address, the address in the official records shall for all purposes be deemed to be the member's correct address.

(8) Meeting of Board and Quorum.-

(i) The Board shall ordinarily meet once every three month:

Provided that the Chairperson shall, within fifteen days of the receipt of a requisition in writing from not less than one third of the members of the Board, call a special meeting thereof.

(ii) No business shall be transacted at any meeting of the Board, unless at least 12 members are present, of whom at least three are from among those appointed under clauses (i), (ii), (iii) and (iv) of sub-rule (1) of rule 3.

(9) Notice of meeting and list of business.- Notice intimating the date, time and venue of every meeting, together with a list of business to be transacted at the meeting, shall be sent by registered post or by special messenger, to each member fifteen days before the meeting for Board separately;

Provided that when the Chairperson, calls a meeting for considering any matter which in his opinion is of urgent nature, notice of not less than three days shall be deemed sufficient.

(10) Chairperson to preside at meetings.- The Chairperson shall preside over all the meetings of the Board and if the Chairperson is unable for any reason to be present in the Board meeting, the Vice-Chairperson shall preside over the meeting.

- (11) **Transaction of Business.-** All questions which come up before any meeting of Board shall be decided by a majority of votes of the members present and voting, and in the event of equality of votes, the Chairperson, or in his absence, the Vice-Chairperson, shall have a casting vote.
- (12) **Minutes of meeting.-** The proceedings of each meeting of the Board shall be recorded and circulated to all members after approval by the Chairperson after the meeting as soon as possible, subject to confirmation in the next meeting of the Board. After such confirmation, they shall be recorded in a Minute Book, which shall be kept for permanent record.
- (13) **Allowances payable to Non-official members.-** Every non-official member shall be paid travelling allowance and daily allowance for attending meetings of the Board and its sub-committees at rates admissible to First Class Officers of the State Government.
- (14) **Sub-Committees of the Board.-**
- (i) The Board may constitute such sub-committees, as it may deem fit for the proper discharge of its duties.
 - (ii) Every sub committee shall be headed by the Chairperson himself or a Chairperson nominated by the Chairperson for the sub committee and there will be an equal number of unorganized workers, employers and members of the board representing the State Government in it.
 - (iii) In the absence of the Chairperson of the sub committee, the members of the Sub-Committee present in the meeting, shall nominate one member among them to preside over the meeting.

- (iv) No work shall be performed at a meeting of the Sub-committee unless at least one-third of its members are present, of which there shall be one representing the employees and at least one unorganized worker, among the members representing.
- (v) The term of sub-committees except the sub-committee constituted for short-term purpose shall be one year from the date of its constitution, but the sub-committee shall continue to function until a new sub-committee is formed, but in any case, no sub-committee shall function beyond the period of two years from the date of its formation.
- (vi) The recommendations of each sub-committee shall be placed before the Board for its decision.

(15) Appointment of Secretary, other Officers and Staff.-

- (i) Board shall, with prior consent of the State Government, appoint an officer of Government of Chhattisgarh, not below the rank of an Assistant Labour Commissioner as Secretary of the Board;
- (ii) Board may appoint such other Officers and employees, as it may consider necessary for the efficient discharge of its functions:

Provided that no post shall be filled up by the Board, unless its creation, has first been approved by the State Government.

- (16) Duties and functions of Board.-** (i) Under sub-section (15) of Section 6 of the Code, the Board shall adopt the following procedure for the performance of its duties, a scheme stipulating the procedures, formats and all other residual matters regarding each facility or group of

facilities specified by the Board, not expressly provided in these rules, shall prepare and recommend to the State Government-

- (1) Rates at which various facilities will be payable;
 - (2) Application Procedure and Format;
 - (3) Procedure for sanctioning and competent authority to grant approval;
 - (4) Procedure for disbursement; and
 - (5) Any other matters incidental thereto.
- (ii) Board may advise the State Government from time to time on the points related to the administration of Code.
- (iii) Undertake such other functions as are assigned to the Board by the State Government under the Code from time to time.

- (17) Recruitment procedure and service conditions of officers and staff of the Board.-** (i) Classification, pay scales, allowances, recruitment procedure and terms and conditions of service of Officers and Employees of the Board, as may be determined by the Board with the prior approval of the State Government.
- (ii) If in any specific case, any dispute or difficulty arises regarding the interpretation or enforcement of any provision, the matter shall be referred to the State Government, whose decision thereon shall be final.

B. CHHATTISGARH BUILDING AND OTHER CONSTRUCTION WORKERS WELFARE BOARD

4. The terms and conditions of appointment and the salaries and other allowances payable to the Chairperson and the other Members of Building Workers Welfare Board and the manner of filling of casual vacancies of such Members, under sub-section (4), the terms and conditions of appointment and the salary and allowances payable to the Secretary and the other officers and employees of the said Board under clause (c) of sub-section (5) of Section 7 of the Code;

(1) Constitution of the Chhattisgarh Building and Other Construction Workers Welfare Board.- The “Chhattisgarh Building and Other Construction Workers Welfare Board” shall be deemed as Board constituted under sub-section (1) of Section 7 of the Code. The Board shall consist of:-

- (i) Chairperson - The Minister of Labour, Government of Chhattisgarh or a person nominated by the State Government;
- (ii) One member to be nominated by the Central Government;
- (iii) The Chief Inspector-cum-Facilitator appointed under sub-section (5) of Section 34 of the Occupational Safety, Health and Working Conditions Code, 2020, as an ex-officio member;
- (iv) Four members to be appointed by the State Government representing Government Departments of which one shall be a representative of Labour Department and one shall be representative of Finance Department and two shall be representatives of Departments engaged in building and other construction work;
- (v) Five members to be appointed by the State Government representing building and other construction workers; and

- (vi) Five members to be appointed by the State Government representing employers of building and other construction workers;

Provided that the Chhattisgarh Building and Other Construction Workers Welfare Board shall include an equal number of Members representing the State Government, the Employers and the building and other construction workers. It shall be ensured that at least one member each from among the representatives of employers and workers in the Board shall be a woman.

- (2) **Term of Office.-** A member appointed under clauses (iv) and (v) of sub rule (1) of rule 4 shall hold office, for a period for three years from the date of publication of the notification in the Official Gazette appointing him as a member of the Board unless he resigns his office or dies or otherwise vacate his office at an earlier date every such member shall be eligible for reappointment:

Provided that an outgoing member shall continue to hold office until the appointment of his successor is notified in the Official Gazette.

- (3) **Resignation.-** (i) A member appointed under clauses (iv) and (v) of sub rule (1) of rule 4 may resign his office by writing under his hand addressed to the State Government.

- (ii) The resignation shall take effect from the date of its acceptance by the State Government.

- (4) **Vacation of office.-** A member appointed under clauses (iv) and (v) of sub rule (1) of rule 4 shall be deemed to have vacated his office, if –

- (i) he is declared to be of unsound mind or an undischarged insolvent by a competent court; or

- (ii) he is convicted of an offence which, in the opinion of the State Government, involves moral turpitude; or
- (iii) he commits default of any dues awarded by the court under any Labour Code as an employer;
- (iv) he becomes a Minister of the Central or State Government, Speaker or Deputy Speaker of the House of the People or the State Legislature, or Deputy Chairman of the Council of States;

Provided that the above disqualification shall not apply to ex-officio members of the Board.

- (v) he is absent from three consecutive meetings of the Board or one of its Committees without permission of leave from the Chairperson; or
- (vi) he has so abused his official position as to render the continuance of such member in office is detrimental to the public interest or is otherwise in the opinion of State Government unsuitable or improper for his continuance as such member; or
- (vii) As a member representing, he has ceased to adequately represent them building and other construction workers or their employers as a member.

Provided that no person shall be removed under clauses (v), (vi) and (vii), except after giving him a reasonable opportunity of showing cause as to against such removal.

- (5) **Filling up of casual vacancies.-** A member appointed to fill a casual vacancy, arising due to death, resignation or otherwise of the member shall hold office for the remaining period of the term of office of the member in whose place he is appointed.

(6) Meeting of Board and Quorum.-

- (i) The Board shall ordinarily meet once in three months:

Provided that the Chairperson shall, within fifteen days of the receipt of a requisition in writing from not less than one third of the members of the Board, call a special meeting thereof.

- (ii) No business shall be transacted at any meeting of the Board, unless at least 6 members are present, of whom at least one shall be from among those appointed under clause (iv) of sub-rule (1) of rule 4.

- (7) Notice of meeting and list of business.-** Notice intimating the date, time and venue of every meeting, together with a list of business to be transacted at the meeting, shall be sent by registered post or by special messenger, to each member fifteen days before the meeting :

Provided that when the Chairperson calls a meeting for considering any matter which in his opinion is of urgent nature, notice of not less than three days shall be deemed sufficient.

- (8) Chairperson to preside at meetings.-** The Chairperson shall preside over all meetings of the Board, and if the Chairperson is, for any reason, unable to attend a meeting of the Board, any member nominated by the Chairperson in this behalf, and in the absence of such nomination, any other member elected by the members present from amongst themselves at the meeting, shall preside at the meeting.

- (9) Transaction of Business .-** All questions which come up before any meeting of Board shall be decided by a majority of votes of the members present and voting, and in the event of equality of votes, the Chairperson, or in his absence, the person presiding, shall have a casting vote.

- (10) **Minutes of meeting.** - The proceedings of each meeting of each Board shall be recorded and circulated to all members after approval by the Chairperson after the meeting as soon as possible, subject to confirmation in the next meeting of the Board. After such confirmation, they shall be recorded in a Minute Book, which shall be kept for permanent record.
- (11) **Allowances payable to Non-official members.-** Every non-official member shall be paid traveling allowance and daily allowance for attending meetings of the Board and its sub-committees at rates admissible to First Class Officers of the State Government.
- (12) **Sub-committees of the Board.-** (i) The Board may constitute such sub-committees, as it may deem fit for the proper discharge of its duties.
- (ii) Each sub-committee shall be headed by the Chairperson of the Board and shall have an equal number of building and other construction workers, employers and members of the Board representing the State Government.
- (iii) In the absence of the Chairperson, the members present of the Sub-Committee shall elect one member among them to preside over the meeting.
- (iv) No business shall be transacted at a meeting of the sub-committee unless at least one third of its members are present of whom atleast one each shall be from among members representing employers and building and other construction workers.
- (v) The term of a sub-committee, except of a sub-committee constituted for a short term, ad-hoc purpose, shall be one year from the date of its constitution:

Provided that the sub-committee shall continue in office until a new sub-committee is constituted:

Provided further that in no case a sub-committee shall continue beyond a period of two years from the date of its original constitution.

(vi) The recommendations of each sub-committee shall be placed before the Board for its decision.

(13) Opening of Regional Offices.- With the approval of the State Government, the Board may open as many regional offices as it deems necessary for efficient discharge of its functions under the Code.

(14) Duties and functions of the Board.- (i) Under sub-section (6) of Section 7 of the Code, the Board shall be responsible for:-

- (a) All matters related to the administration of the fund, including setting policies for the allocation of funds in it;
- (b) Submission of annual budget, annual report and audited accounts to the Government under the Code;
- (c) Proper maintenance of accounts as per the provisions of the Code and its annual audit;
- (d) Collection of contribution and other charges in the fund;
- (e) Performing the functions specified in and under the Code;
- (f) The Board shall, from time to time, give such information to the Government as it deem fit.

(ii) Notification of schemes by the Board stipulating procedural and other residual matters related to the facilities –

The Board shall formulate a scheme provided in the Code and these rules, laying down the procedure, formats and all other residual matters regarding each facility or group of facilities specified

and notification of the scheme with prior approval of the State Government under which will happen;-

- (a) Rates at which various facilities will be payable;
- (b) Application Procedure and Format;
- (c) Procedure for sanctioning and competent authority to grant approval;
- (d) Procedure for disbursement; and
- (e) Any other incidental matters.

(15) Appointment of Secretary, other Officers and Staff.-

- (i) Board shall, with prior consent of the State Government may appoint an officer of Government of Chhattisgarh, not below the rank of a Assistant Labour Commissioner as Secretary of the Board;
- (ii) Board may appoint such other Officers and employees, as it may consider necessary for the efficient discharge of its functions:

Provided that no post shall be filled up by the Board, unless its creation has first been approved by the State Government.

(16) Recruitment Procedure and Service Conditions of Officers and Staff of the Board.-

- (i) Classification, pay scales, allowances, recruitment procedure and terms and conditions of service of Officers and Employees of the Board, as may be determined by the Board with the prior approval of the State Government.
- (ii) If in any specific case, any dispute or difficulty arises regarding the interpretation or enforcement of any provision, the matter shall be referred to the State Government, whose decision thereon shall be final.

- 5. Amount in connection with premium for Group Insurance Scheme of the beneficiaries under clause (c), the educational schemes for the benefit of children of the beneficiaries under clause (d) and the medical expenses for treatment of major ailments of a beneficiary or, such dependant under clause (e) of sub-section (6) of Section 7 of the Code.-**

Notwithstanding the welfare schemes mentioned in the sub-section (6) of Section 7 of the Code, the Board shall also formulate following scheme(s) for building and other construction workers and notify the same with the prior approval of the State Government:

- (1) paying such amount in connection with premium for Group Insurance Scheme of the beneficiaries;
- (2) framing educational schemes for the benefit of children of the beneficiaries; and
- (3) meeting such medical expenses for treatment of major ailments of a beneficiary or, such dependant.

CHAPTER-III EMPLOYEE INSURANCE COURT

- 6. Manner and time within which second appeal may be filed to the Employees' Insurance Court by the Insured Person or the Corporation under clause (b) of sub-section (7) of Section 37 of the Code.-**The Insured Person or the Corporation may appeal to the Employees' Insurance Court by presenting an application within ninety days of the date of communication of the decision of the Medical Board or Medical Appeal Tribunal, as the case may be:

Provided that the Employees' Insurance Court may entertain an application after the period of ninety days, if it is satisfied that the appellant had sufficient reasons for not presenting the application within the said period.

- 7. Procedure to be followed by the Employees insurance court under sub-section (2) and sub-section (3) of Section 50 of the Code.-**

(1) Composition of the Court and place of sitting:

- (i) A Court shall ordinarily consist of one Judge:

Provided that the Government may by notification in the official gazette appoint two or more judges to a court for any particular proceedings or class of proceedings and for such period as may be specified in the notification.

- (ii) Subject to the provision of sub rule (3) of rule 7 the Court shall sit at such place or places and at such time as the Government may specify.

- (2) Distribution of business where there are more Courts than one.-** Where more than one Court is constituted for the same local area, the Government may, by a general or special order, distribute business among them.

- (3) **Fixing of time of sitting etc.-** Where one Court is constituted for two or more local areas.-
- (i) The Court shall, subject to the approval of the Government, appoint the time at which the court shall sit in respect of each local area or in respect of any class of proceedings under the Code.
 - (ii) A notice of the time appointed under clause (i) shall be published in such manner as the Government may, from time to time, direct.
- (4) **Procedure where there are more Judges than one.-** (i) Where more than one Judge has been appointed to a Court, the Government shall specify their rank and precedence.
- (ii) The senior Judge for the time being shall, from time to time, make such arrangements, as he thinks fit, for the distribution of business of the Court among the Judges.
 - (iii) When two or more Judges sitting together differ on any question, the opinion of the majority of such Judges shall prevail. Where there is no majority, the opinion of the senior most Judge shall, unless otherwise directed by the Government, prevail.
- (5) **Abolition, etc., of a Court.-** The Government may by notification in the official gazette abolish any court or alter the jurisdiction of any court.
- (6) **Appointment, salaries, allowances, etc.-** (i) The Government may appoint a person qualified under Section 48 of the Code to be Judge of the Court.
- (ii) A Judge shall receive such salary and allowances as the Government may, from time to time, determine.
 - (iii) A Judge shall receive dearness allowance, Compensatory city allowance, house rent allowance and other allowances at such rate and

conditions as are applicable to officer of the government of a corresponding rank stationed at the same place.

- (iv) A Judge shall be entitled to leave and leave salary under the leave rules which may from time to time be applicable to other Government servants of similar status and drawing similar emoluments.
- (v) A Judge shall be entitled to travelling allowances for journeys performed on official business in accordance with the scale applicable to the class of officers to which in the opinion of the Government such Judge belongs.
- (vi) A Judge shall be subject to such other conditions of service, as the Government may determine.
- (vii) Notwithstanding, anything contained in clause (ii) to (v) the pay, allowances and other conditions of service of a Judge, if he is a person already in the service of the Government shall be such as the Government may by a general or special order, from time to time, determine.

(7) Appointment of other officers and sub-ordinate staff.-

- (i) The Government may appoint such ministerial officers and other subordinate staff as may be necessary for the exercise and performance of the powers and duties conferred and imposed on a Court by or under the Code.
- (ii) The ministerial officers and the subordinate staff of a Court shall exercise such powers and discharge such duties as the Judge or, if there are more judges than one, the senior judge, may, subject to any order of the Government from time to time, direct.
- (iii) The ministerial officers and the subordinate staff of a Court shall be subject to such conditions of service and draw such salaries and other

emoluments and receive such benefits as may be fixed by the Government.

(8) Administrative control of the High Court.— All Courts shall be subject to the administrative control and superintendence of the High Court of Chhattisgarh, and shall -

- (i) keep such registers, books and accounts as the High court may, from time to time, prescribe; and
- (ii) comply with such requisitions as made by the High Court or the Government for submission of service records, returns and statements in such forms and in such manner as the authority making the requisition directs.

(9) Seal.— A Court shall keep a seal of such size, dimensions and design as the Government may direct.

(10) Application.— (i) Every proceeding under Section 49 of the Code shall be instituted by presenting an application to the Court.

(ii) Every such application shall be verified in the same manner as pleadings in a Civil Court and shall be accompanied by two copies thereof.

(iii) An application shall be presented in Form-I. It shall be duly stamped in accordance with these rules, and shall contain the following particulars:-

- (a) The name of the Court in which the application is brought;
- (b) The full name of applicant father's name and description including age, occupation and place of residence of applicant;
- (c) The full name of opposite party, father's name and description including age of opposite party, so far as they can be ascertained;

- (d) Where the applicant or the opposite party is a minor or a person of unsound mind, a statement to that effect and the full name, age, occupation and address of his or her next friend or guardian;
 - (e) The facts constituting the cause of action and the date when it arose;
 - (f) The facts showing the Jurisdiction of the Court;
 - (g) Particulars regarding the address within the jurisdiction of the Court at which notice or summon may be served on the applicant; and
 - (h) The relief which the applicant claims.
- (iv) The applicant may be granted an opportunity to rectify their application, in case it is not in accordance with clause (iii). Upon resubmission, if the application does not include all particulars mentioned under Clause (iii), it may be rejected.
- (11) **Production of documents.-** (i) when any application is based upon a document, the same shall be appended to the application.
- (ii) Any other document which any party desires to tender in evidence shall be produced at or before the first hearing.
- (iii) Any document which is not produced within the time specified in clause (i) or (ii), as the case may be, shall not, without the permission of the Court, be admissible in evidence on behalf of the party who should have produced it.
- (iv) All such documents shall be accompanied by an accurate list thereof, prepared in the manner prescribed in Form-II.

- (v) Nothing in this rule shall apply to any document which is produced for the purpose of cross-examining witness or is handed to a witness to refresh his memory.

(12) **Register of proceedings.**— All applications shall be entered in a Register in Form-III called the register of proceedings. Such entries shall be serially numbered for every calendar year according to the order in which the applications are presented.

(13) **Place of suing.**— In cases not falling under clause (ii) of sub-rule (1), a proceeding against any person shall be instituted in the Court within the local limits of whose jurisdiction:-

- (i) The opposite party or each of the opposite parties, where there are more than one, at the time of commencement of the proceedings actually and voluntarily resides, or carries on business, or personally works for gain, or
- (ii) Any of the opposite parties, where there are more than one, at the time of the commencement of the proceeding, actually and voluntarily resides, or carries on business, or personally works for gain provided that in such case either the leave of the court is granted, or the opposite parties who do not reside, or carry on business or personally work for gain as aforesaid, acquiesce in such institution; or
- (iii) The cause of action, wholly or in part, arose.

(14) **Application presented to another Court.**— (i) Where upon receiving an application it appears to the Court that it should be presented to another Court, it shall return the application to the applicant after endorsing upon it

the dates of the presentation and return, the reasons for returning it and the designation of the Court to whom it should be presented.

- (ii) Where it appears to the court, at any stage subsequent to the presentation of an application, that the application should have been presented to another Court in the same State, it shall send the application to the Court empowered to deal with it and shall inform the applicant (and the opposite party, if he has received a copy the application under sub-rule (16)), accordingly.
- (iii) The Court to whom an application is transferred under clause (ii), may continue the proceeding as if the previous proceeding or any part of it had been taken before it, if it is satisfied that the interests of the parties shall not be prejudiced.

(15) **Issue of summons.-** (i) Upon receiving an application the Court shall, if the same has not been rejected under clause (iv) of sub-rule 10, within three days, cause to be sent to the party against whom the applicant claims relief (hereinafter referred to as the 'opposite party'), a summon in Form-IV or Form-V, as the case may be, to appear and answer the application within fifteen days from the day of issue of such summons:

Provided that no such summons shall be issued when the opposite party has appeared at the presentation of the application and admitted the applicant's claim.

- (ii) A copy of the application shall also be sent along with the summons under clause (i).

(16) **Service of summons or notice.-** (i) A summons or notice may, on payment of the required fee, be sent by the Court by which it is issued either by registered post or in such other manner as the Court thinks fit.

(ii) Where the Court is satisfied that there is reason to believe that the opposite party is avoiding service or that for any reason the summons or the notice cannot be served in the ordinary way, the court shall order the summons or the notice to be served by affixing a copy thereof in some conspicuous place in the Court-house, and also upon some conspicuous part of the house in which the opposite party is known to have last resided or carried on business or personally worked for gain or in such other manner as the Court thinks fit and it shall be effectual as if it had been made on the opposite party personally.

(iii) Where a summon or notice is served under clause (ii), the Court shall fix such time for the appearance of the opposite party as the circumstances of the case may require.

(17) **Additional matters in the summons.-** The Court shall determine, at the time of issuing the summons, whether it shall be for the settlement of the issues only or for the final disposal of the application and the summons shall contain a direction accordingly.

The Court may also call upon the parties to produce evidence, which they wish to render, on the date of appearance.

(18) **Proceedings involving disablement question.-** Where in any proceeding before the Court, any disablement questions (as defined in the Section 37 of the Code) arise and the decisions of a Medical Board or a Medical Appeal Tribunal has not been obtained on the same and the decision of

such questions is necessary for determination of the claim or question before the court, shall direct the Corporations to have the question decided as laid down in Section 37 of the Code and shall thereafter proceed with the determination of the claim or question before it in accordance with Section 49 of the Code.

- (19) **Written statement.-** (i) The opposite party may, and, if so required by the Court, shall, at or before the first hearing or within such time as the Court may permit, present a written statement of his defence along with the documents on which he relies and an accurate list thereof in Form-II.
- (ii) Every such written statement shall be verified in the same manner as pleadings in a Civil Court and shall be accompanied by two copies thereof.
- (iii) In any written statement submitted under clause (i), the opposite party shall deal specifically with each allegation of fact alleged by the applicant, of which he admits or does not admit or denies the truth. The written statement must also contain all matters which show that the application is not maintainable and all such grounds of defence as, if not raised, would be likely to take the application as for instance, fraud, undue influence or coercion, release, payment, performance or facts showing illegality of the transaction.

- (20) **Failure to present written statement called for by the Court.-** Where any party from whom a written statement is required, fails to present the same within the time prescribed by the Court it may pronounce judgment against him or make such order in relation to the proceeding as it thinks fit.

(21) Framing of issues.- (i) At the first hearing of the application, after the summons has been issued, the Court shall, after considering the application and the written statement, if any, or after such examination of the parties or any person or any document as may appear necessary, ascertain upon what material proposition of fact or law the parties are at variance, and shall thereupon proceed to frame and record the issues upon which the right decision appears to depend.

(ii) In recording the issues, the Court shall distinguish between those issues which in its opinion concern points of fact and those which concern points of law.

(iii) The Court may, in like manner, at any time before passing its final order add to, strike out from, or in any way amend the issues on such terms as it may think fit.

(22) Order where parties are not at issue.- Where at any hearing of the case it appears that the parties are not at issue on any question of law or fact the Court may at once pronounce its final order.

(23) Appearance of parties and consequences of non-appearance.- (i) On the day fixed in the summons for the opposite party to appear and answer, the parties shall be in attendance at the Court in person or by their respective legal practitioners or any other person authorised under Section 51 of the Code and the application shall then be heard unless the hearing is adjourned by the Court.

(ii) When neither party appears when the application is called on for hearing, the Court may make an order that the application be dismissed.

- (iii) Where the opposite party appears and the applicant does not appear when the application is called on for hearing, the Court shall make an order that the application be dismissed unless the opposite party admits the claim or part thereof in which case the court shall make an order against the opposite party upon such admission and where part only of the claim has been admitted, shall dismiss the case so far as it relates to the remainder.
- (iv) Where the applicant appears and the opposite party after receiving the summons fails, to appear, when the application is called on for hearing the Court may proceed ex-parte.
- (v) Where the application is wholly or partly dismissed under clause (ii) or (iii), the applicant may within thirty days of such dismissal apply in Form-VI for an order to set the dismissal aside and the Court shall, if it is satisfied that he was prevented from appearing when the proceeding was called on for hearing due to any sufficient cause make an order setting aside the dismissal upon such terms as to costs or otherwise as it thinks fit and may proceed with the case or appoint a day for proceeding with the same :

Provided that no order under this clause shall be made in respect of an application which is dismissed under clause (iii) unless notice of the application has been served in Form-VII on the opposite party.

- (vi) In any application in which an ex-parte order has been passed against the opposite party, he may within thirty days from the date of such order apply in Form VI to the Court which passed the order, to set it aside and, if the Court is satisfied that he was prevented from appearing when the proceedings was called on for hearing due to any sufficient cause, it may after serving notice thereof to the applicant in Form-VII make an order

setting aside the order upon such terms as to costs or otherwise as it thinks fit and may proceed with the hearing of the case or appoint a day for proceeding with the same.

(24) Summoning of witness.- (i) At any time after framing of the issues the Court may call upon the parties to produce their evidence in support of the issues.

(ii) The Court may, on the application of either party issue summons in Form-VIII to any witness directing him to attend or to produce any document.

(iii) The Court may, before summoning any witness on application under clause (ii), require that reasonable expenses of witness to be incurred in attending the Court be deposited in the Court.

(25) Grant of time and adjournment of hearing.- (i) The Court may, if sufficient cause is shown, at any stage of the application, grant time to the parties or to any of them, and may from time to time, adjourn the hearing of the application.

(ii) In every such adjournment the Court shall fix a day not exceeding fifteen days from the date on which such adjournment is made for the further hearing of the application and may make such order as it thinks fit with respect to the costs occasioned by the adjournment:

Provided that when the hearing of the application has once begun it shall be continued from day to day until all the witnesses in attendance have been examined, unless the Court finds the adjournment of the hearing beyond the following day to be necessary for reasons to be recorded.

(26) **Right to begin proceeding.-** The applicant has the right to begin unless the opposite party admits the facts alleged by the applicant and contends that either in point of law or on some additional facts alleged by the opposite party, the applicant is not entitled to the relief which he seeks, in which case the opposite party has the right to begin.

(27) **Statement and production of evidence.-**

(i) On the day fixed for the hearing of the application or on any other day to which the hearing is adjourned, the party having the right to begin shall state his case and produce his evidence if any in support of the issues which he is bound to prove.

(ii) The other party shall then state his case and produce his evidence, (if any) and may then address the Court generally on the whole case.

(iii) The Party beginning may then reply generally on the whole case.

(iv) Notwithstanding anything contained in this rule the Court may order that the production of evidence or the address to the Court may be in such order as it deems fit.

(28) **Method of recording evidence.-** The evidence of each witness shall be taken down in writing by the Judge, or where there is more than one Judge, by the Junior-most Judge, or at the dictation of any such Judge in the open Court, in the language of the Court. Such evidence shall ordinarily be recorded in narrative form of question and answer, and, when completed, shall be read over or translated, where necessary, in the presence of the Judge, to the witness. the Judge shall, if necessary, correct the same and shall sign it.

(29) **Recall of a witness.-** The court may at any stage of a proceeding recall any witness who has been examined and may (subject to the law of

evidence for the time being in force) put such question to him as the Court thinks fit.

- (30) **Inspection by Court.-** The Court may at any stage of a proceeding inspect any property or thing concerning which any question may arise.
- (31) **Pronouncement of order. –** The Court shall, after the application has been heard, pronounce its final order in open Court, either at once or on some future day, of which due notice shall be given to the parties.
- (32) **Signing of order.-** The final order shall be dated and signed in open Court at the time of pronouncing it and, when once signed, shall not afterwards be altered or added to, save in the case of clerical or arithmetical mistake arising from accidental slip or omission.
- (33) **Statement of decision on each issue. –** In cases in which issues have been framed the Court shall state its finding or decision, with the reason therefor, upon each separate issue, unless the finding upon anyone or more of the issues is sufficient for the decision of the case.
- (34) **Compromise of suit.–** Where it is proved to the satisfaction of the Court that a case had been adjusted wholly or in partly by any lawful agreement or compromise, or where the opposite party satisfies the applicant in respect of the whole or any part of the subject matter of the case, the Court shall order such agreement, compromise or satisfaction to be recorded, and shall pass final order in accordance therewith so far as it relates to the case.
- (35) **Finality of Order. –** Save as provided in Section 52 of the Code, the order of a Court shall be final and binding upon the parties.

(36) **Costs.-** (i) The costs of and incidental to the application shall be in the discretion of the Court, and the Court shall have full power to determine by whom or out of what property and to what extent such costs are to be paid, and to give all necessary directions for the purposes aforesaid. The fact that the Court has no jurisdiction to try the case shall be no bar to the exercise of such powers.

(ii) Where the Court directs that any cost shall not follow the event, the Court shall state its reasons in writing.

(37) **Contents of the decree.-** (i) A decree in Form-IX shall be prepared in conformity with the order made by the Court; it shall contain the number of the application, the names and descriptions of the parties, and particulars of the claim, and shall specify clearly the relief granted or other determination of the proceeding.

(ii) The decree shall also state the amount of costs incurred in the proceeding and by whom and in what proportion such costs are to be paid.

(iii) The Court may direct that the cost payable to one party by the other shall be set off against any sum which is admitted or found to be due from the former to the latter.

(38) **Certified copies of order, decree etc. to be furnished.-** (i) Certified copies of the final order, decree or any other order or matter on record shall be furnished to the parties on application to the Court and at their expenses.

(ii) If any party requires copies of any order, decree or any other matter on record made by or furnished to the Court, as the case may be, to be supplied to him within forty-eight hours of the submission of an

application thereof to the Court, he shall pay an additional fee of fifty rupees for each such copy.

(iii) If any party applied for copies of any order, decree or any other matter on record made by or furnished to the court, as the case may be, after the expiry of twelve months from the date of such making or furnishing as the case may be, he shall pay an additional searching fee of fifty rupees.

(39) **Execution.-** (i) Any person in whose favour an order has been passed, shall within one year from the date of the order, apply in Form-X to the Court which made the order for its execution.

(ii) On such application being made, the court shall send the same together with the necessary record to a Civil Court of competent jurisdiction, for its execution and such civil court shall have the same power in executing such order, as if it had been passed by it.

(40) **Communication of fact of execution or otherwise.-** The Civil Court to which a decree is sent for execution shall certify to the Court which passed it, the fact of such execution or where that Court fails to execute the same, the circumstances attending such failure.

(41) **Fees.-** (i) The fee payable on an application in respect of any matter referred to in Section 49 of the Code shall be ten rupees.

(ii) The fee payable in respect of any other application except a written statement called for by the Court under these rules shall be five rupees:

Provided that the fee for an application for obtaining a copy or translation of any document on record or statement or order or decree presented to or made before or by the Court, as the case may be, shall be two rupees.

- (iii) The fee for copies of any document on record, or statement or order or decree shall be such as may, from time to time be determined by the Government.
- (iv) The fee for any authorisation for the appearance of any person on behalf of any of the parties in a case shall be ten rupees.
- (v) The fee for filling certified copies of any document in a Court shall be five rupees.
- (vi) All fees referred to in this rule shall be collected by means of Court-fee stamps used in ordinary Courts and no document which ought to bear stamps under these rules shall be of any validity unless and until it is properly stamped:

Provided that where any such document is through mistake or inadvertence received, filed or used in a Court without being properly stamped, the Court may, if it thinks fit, order that such document be stamped as it may direct and on such document being stamped accordingly the same and every proceeding relating thereto shall be as valid as it had been properly stamped in the first instance.

- (vii) No document requiring a stamp under this rule shall be acted upon in any proceeding in a Court until the stamp has been cancelled.

(42) Payment of Costs of services of summons, etc.- (i) The cost of service of summons or notices or the expenses of the witnesses in any case or the fee payable in respect of any matter not referred to in the preceding rule shall be such amount as may be specified in each case by the Court; and such amount or any other sum of money payable under these rules shall be paid in such manner and within such time as it may specify therefore.

- (ii) Any amount which is left over after meeting the expenses if any for which it was intended shall be returned by the Court to the party by

whom or on whose behalf the amount was originally paid into the Court.

(iii) The Court shall maintain proper accounts of the amount received and disbursed under clause (i).

(43) Fees and costs of poor persons.- The Court may, whenever it thinks fit, receive and register proceedings instituted under the Code and applications made under these rules, by persons who are paupers, and may issue summons or notice on behalf of such persons, without payment or on part payment of the fees and costs mentioned in sub-rules 41 and 42.

(44) Provisions in The Code of Civil Procedure, 1908 (No. 5 of 1908) and The Bharatiya Sakshya Adhiniyam, 2023 (NO. 47 OF 2023) etc. to apply.- In respect of matters relating to procedure or admission of evidence for which no specific provision is made in these rules, the provisions of the The Code of Civil Procedure, 1908 (No. 5 of 1908), including the rule made there under and The Bharatiya Sakshya Adhiniyam, 2023 (NO. 47 of 2023), shall so far as may be apply to proceedings under the Act.

8. The manner of commencement of proceedings before the Employee's Insurance Court, fees and procedure thereof under sub-section (1) of Section 51 of the Code.-

- (1) The proceeding before an Employee's Insurance Court shall commence upon application by the Corporation, aggrieved person or the employer of an establishment, as the case may be.
- (2) Subject to the provisions of Chapter-IV of the Code and any rules made by the Government, all proceedings before the Employee's Insurance Court

shall be instituted in the Court appointed for the local area in which the insured person was working at the time the question or dispute arose.

- (3) If the Court is satisfied that any matter arising out of any proceedings pending before it may be more conveniently dealt with by any other Employees' Insurance Court in the same State, it may, subject to any rules made by the Government in this behalf, order such matter to be transferred to such other Court for disposal and shall forthwith transmit to such other Court the records connected with that matter.
- (4) The State Government may transfer any matter pending before any Employees' Insurance Court in the State to any such Court in another State with the consent of the State Government of that State.
- (5) The Court to which any matter is transferred under sub-rule (3) or sub-rule (4) shall continue the proceedings as if they had been originally instituted in it.

CHAPTER-IV GRATUITY

9. **Bank or other financial institution in which the gratuity shall be invested for the benefit of minor under the third proviso to sub-section (1) of Section 53 of the Code.-** In the case of nominee, or an heir, who is minor, the competent authority shall invest the gratuity amount deposited with them for the benefit of such minor in term deposit with the State Bank of India or any Nationalized Bank.

Explanation.-"Nationalized Bank" means a corresponding new bank specified in the First Schedule to the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 (No.5 of 1970) or a corresponding new

bank specified in the First Schedule of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1980 (No.40 of 1980).

10. The time, form and manner of nomination by an employee under sub-section (1), the time to make fresh nomination under sub-section (4), the form and manner of modification of a nomination under sub-section (5) and the form for fresh nomination under sub-section (6) of Section 55 of the Code.- (1) A nomination shall be filed in Form-XI and submitted in duplicate by the employee either through personal service, after taking proper receipt or through registered post with due acknowledgement or electronically to the employer,-

- (i) In the case of an employee who is already in employment for a year or more on the date of commencement of these rules has shall submit the nomination, ordinarily, within ninety days from such date; and
- (ii) In the case of an employee who completes one year of service after the date of commencement of these rules, ordinarily within thirty days of the completion of one year of service:

Provided that nomination in Form-XI shall be accepted by the employer after the specified period as well, no nomination so accepted shall be invalid merely because it was filed after the specified period.

- (2) Within thirty days of the receipt of nomination in Form-XI under sub rule (1), the employer shall get the service particulars of the employee, as mentioned in the form of nomination, verified with reference to the records of the establishment and return to the employee, after obtaining a receipt thereof, the duplicate copy of the nomination in Form-XI duly attested either by the employer or an officer authorised in this behalf by

him, as a token of recording of the nomination by the employer and the other copy of the nomination shall be recorded.

- (3) An employee who has no family at the time of making a nomination shall, within ninety days of acquiring a family submit in the manner specified in sub rule (1), a fresh nomination, as required under sub-section (4) of Section 55 of the Code, along with duplicate in Form-XI to the employer and thereafter the provisions of sub rule (2) shall apply mutatis mutandis as if it was made under sub-rule (1).
- (4) A notice for modification of a nomination, including cases where a nominee predeceases an employee, shall be submitted along with duplicate in Form-XI to the employer in the manner specified in sub-rule(1), and thereafter the provisions of sub-rule (2) shall apply mutatis mutandis.
- (5) A nomination or a fresh nomination or a notice for modification of nomination shall be, signed by the employee or, if illiterate, shall bear his thumb impression and shall be submitted by the employee electronically or through registered post with due acknowledgement.
- (6) A nomination, fresh nomination or notice for modification of nomination shall take effect from the date of receipt thereof by the employer.

11. The time within which and the form in which a written application shall be made under sub-section (1) and the form of application to the competent authority under clause (b) of sub-section (5) of Section 56 of the Code.- (1) Application for Gratuity.-

- (i) An employee who is eligible for payment of gratuity under the Code, or any person authorised, in writing, to act on his behalf, shall apply,

ordinarily within thirty days from the date the gratuity became payable, in Form-XII to the employer:

Provided that where the date of superannuation or retirement of an employee is known, the employee may apply to the employer before thirty days of the date of superannuation or retirement:

Provided further that a copy of Form-XII may be endorsed in duplicate by the applicant to the competent authority at the time of its submission to the employer.

Provided also that applications for gratuity received without the prescribed format, but consisting all relevant details, may be treated as valid by the employer and the competent authority.

Provided also that an employee on fixed term employment shall be eligible for gratuity, if he renders service under the contract for a period of at least one year and for subsequent period in excess of six months and more, but less than one year, shall be rounded off to one additional year.

- (ii) A nominee of an employee who is eligible for payment of gratuity under the second proviso to sub-section (1) of Section 53 of the Code shall apply, ordinarily within thirty days from the date of gratuity became payable to him, in Form-XII to the employer:

Provided that an application in plain paper with relevant particulars shall also be accepted. The employer may obtain such other particulars as may be deemed necessary by him.

- (iii) A legal heir of an employee who is eligible for payment of gratuity under the second proviso to sub-section (1) of Section 53 of the Code

shall apply, ordinarily within one year from the date of gratuity became payable to him, in Form-XII to the employer.

- (iv) Where gratuity becomes payable under the Code before the commencement of these rules, the periods of limitation specified in clauses (i), (ii) and (iii) of sub rule (1) shall be deemed to be operative from the date of such commencement.
- (v) An application for payment of gratuity filed after the expiry of the periods specified in this rule shall also be entertained by the employer, if the applicant adduces sufficient cause for the delay in preferring his claim, and no claim for gratuity under the Code shall be invalid merely because the claimant failed to present his application within the specified period. Any dispute in this regard shall be referred to the competent authority for his decision.
- (vi) An application under this rule shall be presented to the employer either electronically or through personal service or through registered post with due acknowledgement.

(2) Notice for payment of gratuity.-

- (i) Within fifteen days of the receipt of an application under sub-rule (1) for payment of gratuity, the employer shall-
 - (a) If the claim is found admissible on verification, issue a notice in Form-XIII to the applicant employee, nominee or legal heir, as the case may be, specifying the amount of gratuity payable and fixing a date, not being later than the thirtieth day after the date of receipt of the application, for payment thereof, or
 - (b) If the claim for gratuity is not found admissible, issue a notice in Form-XIII to the applicant employee, nominee or legal heir, as the

case may be, specifying the reasons why the claim for gratuity is not considered admissible.

In the case of admissibility/denial of gratuity a copy of the notice shall be endorsed to the competent authority.

- (ii) In case payment of gratuity is due to be made in the employer's office, the date fixed for the purpose in the notice in Form-XIII under sub clause (a) of clause (i) shall be re-fixed by the employer, if a written application in this behalf is made by the payee explaining why it is not possible for him to be present in person on the date specified.
- (iii) If the claimant for gratuity is a nominee or a legal heir, the employer may ask for such witness or evidence as may be deemed relevant for establishing his identity or maintainability of his claim, as the case may be. In that case, the time limit specified for issuance of notices under clause (i) shall be operative with effect from the date such witness or evidence, as the case may be, called for by the employer is furnished to the employer.
- (iv) A notice in Form-XIII shall be served on the applicant either by personal service after taking receipt or by registered post with due acknowledgement or electronically.
- (v) A notice under sub-section (2) of Section 56 of the Code shall be in Form-XIII.

(3) Mode of payment of gratuity.- The gratuity payable under the Code shall be paid through Demand Draft or by crediting in the bank account of the eligible employee, nominee or legal heir, as the case may be: Provided that intimation about the details of payment shall also be given by the employer to the competent authority of the area.

(4) Application to competent authority for direction under clause (b) of sub-section (5) of Section 56 of the Code.-

(i) If an employer-

- (a) refuses to accept a nomination under rule 10 or to entertain an application sought to be filed under sub rule (1), or
- (b) issues a notice under clause (i) of sub rule (2) either specifying an amount of gratuity which is considered by the applicant less than what is payable or rejecting eligibility to payment of gratuity, or
- (c) having received an application under sub rule (1) fails to issue notice as required under sub rule (2) within the time specified therein, the claimant employee, nominee or legal heir, as the case may be, within one hundred eighty days of the occurrence of the cause for the application, apply in Form-XIV to the competent authority for issuing a direction under sub-section (5) of Section 56 of the Code the application shall be submitted with as many copies as there are opposite parties:

Provided that the competent authority may, after the expiry of the specified period accept any application under this sub-rule, on sufficient cause being shown by the applicant.

- (ii) Application under clause (i) and other documents relevant to such an application shall be presented in person to the competent authority or shall be sent by registered post with due acknowledgement or electronically.

- (5) Procedure for dealing with application for direction:-** (i) On receipt of an application under sub rule (4) the competent authority shall, by issuing a notice in Form-XV, electronically or through registered post with due acknowledgment or in person call upon the applicant as well as the employer to appear before him on a specified date, time and place, either by himself or through his authorised representative together with all relevant documents and witnesses, if any.
- (ii) Any person desiring to act on behalf of an employer or employee, nominee or legal heir, as the case may be, shall present to the competent authority a letter of authority from the employer or the person concerned, as the case may be, on whose behalf he seeks to act together with a written statement explaining his interest in the matter and praying for permission so to act. The competent authority shall record thereon an order either according his approval or specifying, in the case of refusal to grant the permission prayed for, the reasons for the refusal.
- (iii) A party appearing through an authorised representative shall be bound by the acts of the representative.
- (iv) After the completion of hearing on the date fixed under clause (i), or after such further evidence, examination of documents, witnesses, hearing and inquiry, as may be deemed necessary, the competent authority shall record his findings as to whether any amount is payable to the applicant under the Code. A copy of the findings shall be given to each of the parties.
- (v) If the employer concerned fails to appear on the specified date of hearing after due service of notice without sufficient cause, the competent authority may proceed to hear and determine the application

ex parte. If the applicant fails to appear on the specified date of hearing without sufficient cause, the competent authority may dismiss the application:

Provided that an order under clause (v) may, on sufficient cause being shown within thirty days of the said order, be reviewed and the application be re-heard after giving not less than fourteen days' notice to the opposite party from the date fixed for rehearing of the application.

- (6) Place and time of hearing.-** The sittings of the competent authority shall be held at such times and at such places as he may fix and he shall inform the parties of the same in such manner as he thinks fit.
- (7) Administration of oath.-** The competent authority may authorise a clerk of his office to administer oaths for the purpose of making affidavits.
- (8) Summoning and attendance of witnesses.-** The Competent Authority may, at any stage of the proceedings before him, either suo-moto or upon an application made by any of the parties involved in the proceedings before him, and on such terms as may appear just to the competent authority, issue summons to any person in Form-XV either to give evidence or to produce documents or for both purposes on a specified date, time and place.
- (9) Service of summons or notice.-** (i) Subject to the provisions of clause (ii), any notice, summons, process or order issued by the competent authority may be served either personally or through registered post with due acknowledgement or electronically or in any other manner as prescribed under the Code of Civil Procedure, 1908 (No. 5 of 1908).
- (ii) Where there are numerous persons as parties to any proceeding before the competent authority and such persons are members of any trade

union or association or are represented by an authorised person, the service of notice on the Secretary, or where there is no Secretary, on the Principal Officer of the trade union or association, or on the authorised person shall be deemed to be service on such persons.

(10) Maintenance of records of cases by the Competent Authority.-

- (i) The Competent Authority shall record the particulars of each case under Section 56 of the Code and at the time of passing orders shall make his sign and date on the particulars so recorded.
- (ii) The competent authority shall, while passing orders in each case, also record the findings on the merits of the case and file it together with the memoranda of evidence with the order sheet.
- (iii) Any record, other than a record of any order or direction, which is required by these rules to be signed by the competent authority, may be signed on behalf of and under the direction of the competent authority by any subordinate officer appointed in writing for this purpose by the competent authority.

(11) Direction for payment of gratuity.- If a finding is recorded under clause

(iv) of sub rule (5) that the applicant is entitled to payment of gratuity under the Code, the competent authority shall issue a notice to the employer concerned in Form-XVI either electronically or through registered post with due acknowledgment or in person specifying the amount payable and directing payment thereof to the applicant after intimation to the competent authority within thirty days from the date of the receipt of the notice by the employer. A copy of the notice shall be endorsed to the applicant employee, nominee or legal heir, as the case may be.

- (12) Appeal.-** (i) The Memorandum of appeal under sub-section (8) of Section 56 of the Code shall be submitted to the appellate authority with a copy thereof to the opposite party and the competent authority respectively either through delivery in person or through registered post with due acknowledgement or electronically.
- (ii) The Memorandum of appeal shall contain the facts of the case, the decision of the competent authority, the grounds of appeal and the relief sought.
- (iii) There shall be appended to the Memorandum of appeal a certified copy of the finding of the competent authority and direction for payment of gratuity.
- (iv) On receipt of the copy of Memorandum of appeal, the competent authority shall forward records of the case to the appellate authority.
- (v) Within fourteen days of the receipt of the copy of the Memorandum of appeal, the opposite party shall submit their comments of each paragraph of the memorandum with additional pleas, if any, to the appellate authority with a copy to the appellant.
- (vi) The appellate authority shall record its decision after giving the parties to the appeal a reasonable opportunity of being heard. A copy of the decision shall be given to the parties to the appeal either electronically or through registered post or in person and a copy thereof shall be sent to the competent authority returning his records of the case.
- (vii) The competent authority shall, on receipt of the decision of the appellate authority, make necessary entry in the records of the case maintained by him.

(viii) On receipt of the decision of the appellate authority, the competent authority shall, if required under that decision, modify his direction for payment of gratuity and issue a notice to the employer concerned in Form-XVI specifying the modified amount payable and directing payment thereof to the applicant, under intimation to the competent authority within fifteen days of the receipt of the notice by the employer. A copy of the notice be endorsed to the appellant employee, nominee or legal heir, as the case may be, and to the appellate authority.

(13) Application for recovery of gratuity.- Where an employer fails to pay the gratuity due under the Code in accordance with the notice by the competent authority under sub-rule (11) or sub-rule (12), as the case may be, the employee concerned, his nominee or legal heir, as the case may be, to whom the gratuity is payable may apply to the competent authority in duplicate of Form XVII for recovery thereof under Section 129 of the Code.

12. The qualifications and experience of the officer appointed as the competent authority under sub-section (1) of Section 58 of the Code.- The competent authority shall be appointed by the State Government through notification.

CHAPTER-V

MATERNITY BENEFIT

13. Authority to whom an appeal may be preferred under sub-section (3) of Section 72 of the Code.-

(1) Complaint under Section 72 of the Code.—

(i) A complaint under sub-section (1) of Section 72 of the Code shall be made in writing in Form-XVIII as the case may be.

(ii) When a complaint referred to in Section 72 of the Code is received by an Inspector-cum-Facilitator, he shall examine the relevant records maintained by the employer in this behalf, examine any person employed in the establishment and take down necessary statement for the purpose of the enquiry and if he is satisfied that the maternity benefit or the amount has been improperly withheld, he shall direct the employer to make the payment to the woman or to the person claiming the payment under Section 63 of the Code, as the case may be, immediately or within a one month.

(2) Appeal under Section 72 of the Code.-

(i) An appeal against the decision of the Inspector-cum-Facilitator under sub-section (2) of Section 72 of the Code, shall lie to the Competent Authority.

(ii) The aggrieved person shall prefer an appeal in writing to the Competent Authority in Form-XIX and file other supporting documents.

(iii) When an appeal is received, the Competent Authority shall call from the Inspector-cum-Facilitator before a fixed date, the records of the case. The Competent Authority shall, if necessary, also record the statements of the aggrieved person, and of the Inspector-cum-Facilitator and seek clarification if any is required.

(iv) Taking into account the documents, the evidence produced before him and the facts presented to him or ascertained by him, the Competent Authority shall give his decision.

- (v) An appeal may be filed within 180 days from the decision of the Inspector-cum-facilitator.
- (vi) The competent authority may accept appeals after the expiry of this period if he is satisfied that the appellant was unable to file the appeal due to reasonable cause.

(3) Duties and powers of the Competent Authority and Inspector-cum Facilitator under Chapter VI of the Code.-

- (i) The Competent Authority shall be responsible for the administration of these rules within their notified respective areas.
- (ii) Every Inspector-cum-Facilitator shall discharge his duties within the area assigned to him by the State Government and shall act under the supervision and control of the Competent Authority.
- (iii) Every Inspector-cum-Facilitator shall at each inspection of an establishment ensure,-
 - (a) whether due action has been taken on every notice given under Section 62;
 - (b) whether the Register of women employees prescribed under sub-rule (2) of rule 29 is correctly maintained;
 - (c) whether there have been any cases of discharge or dismissal or notices of discharge or dismissal in contravention of the provisions of Section 68 since the last inspection;
 - (d) whether the provisions of sub-section (1) of Section 59, sub-sections (5) and (6) of Section 62, Section 64, sub-sections (1), (2) and (3) of Section 65 , Sections 66, 67, 69 and 71 have been complied with and whether amounts due have been paid within the prescribed time;
 - (e) whether there have been any cases of deprivation of maternity benefit or medical bonus in contravention of sub-section (2) of Section 68;and

- (f) how far the irregularities pointed out at previous inspections have been remedied and how far orders previously issued have been complied with.
- (4) Where an Inspector-cum-Facilitator observes irregularities against the Code or these Rules, he shall issue orders in writing to the employer asking the later to rectify the irregularities within a specified period and to report compliance to the Inspector-cum-Facilitator.

CHAPTER-VI

EMPLOYEE'S COMPENSATION

- 14. The amount to be deposited with the Competent Authority towards the expenditure of the funeral of the employee by the employer under sub-section (7) of Section 76 of the Code;**

Amount of Funeral :- If the injury of the employee results in his death, the employer shall, in addition to the compensation under sub section (1) of Section 76 of the Code, deposit with the Competent Authority, a sum of not less than Rs. 15,000/- or such amount as may be notified by the State Government time to time for the payment of the same to the eldest surviving dependent of the employee towards the expenditure of the funeral of such employee or where the employee did not have a dependent or was not living with his dependent at the time of his death, to the person who actually incurred such expenditure.

- 15. Conditions when application for review is made without certificate of a medical practitioner under sub-section (1) of Section 79 of the Code;**

(1) Cases in which application may be made without medical certificates.-

An application for review of a half-monthly payment under Section 79 of the Code may be made without being accompanied by a medical certificate in the following cases:-

- (i) by the employer, on the ground that since the determination of the right to compensation the employee's wages have increased;
- (ii) by the employee's, on the ground that since the determination of the right to compensation his wages have diminished;
- (iii) by the employee's, on the ground that the employer, having commenced payment of compensation, has ceased to pay the same, notwithstanding that there has been no change in the employee's condition so as to warrant such cessation;
- (iv) either by the employer or by the employee's, on the ground that the determination of the rate of compensation for the time being in force was obtained by fraud, or undue influence, or other improper means;
- (v) either by the employer or by the employee, on the ground that, in the determination of compensation, there is a mistake or error apparent on the face of the record.

(2) Procedure on application for review.- on examining an application for review made by an employer, in which the reduction or discontinuance of half-monthly payments is sought, If it appears to the Competent Authority that there are reasonable grounds for believing that the employer is entitled to such reduction or discontinuance, it may, after giving the employee reasonable opportunity of being heard, issue an order withholding the half-monthly payments, in whole or in part, pending its decision on the application.

(3) Procedure on application for commutation.- (i) Where an application is made to the Competent Authority under Section 80 of the Code for the redemption of a right to receive half-monthly payments by payment of a lump-sum, the Competent Authority shall estimate the probable duration of the disablement, and shall award a sum equivalent to the total of the half-monthly payments which would be payable for the period during which it estimates that the disablement will continue, less one-half percent of that total for each month comprised in that period:

Provided that fractions of a rupee included in the sum so computed shall ignored.

(ii) Where, in any case to which clause (i) applies, the Competent Authority is unable to form an approximate estimate of the probable duration of the disablement, it may, from time to time postpone a decision on the application for a period not exceeding two months at any one time.

16. Class of employers and the form of notice book under sub- section (4) of Section 82 of the Code.- Every employer shall maintain, at their premises where employees are employed, a notice book in Form No. XX , which shall be readily accessible at all reasonable times to any injured employee employed on the premises and to any person acting bonafide on his behalf:

Provided that where a notice-book is available, mere non-entry by the employee shall not disentitle such employee from raising claims under this Chapter.

17. Frequency of medical examination under the proviso to sub-section (1) of Section 84 of the Code.-

- (1) **Employee not to be required to submit to medical examination except in accordance with rules.** – An **Employee** who is required to submit himself to medical examination shall be bound to do so in accordance with the rules contained in this part and not otherwise.
- (2) **Examination when employee and medical practitioner are both on premises.** – Where such **employee** is present at the employer's premises and the employer offers to have him examined free of charge by a qualified medical practitioner who is so present, the **employee** shall submit himself for examination forthwith.
- (3) **Examination in other cases.** – In cases to which sub rule (2) does not apply, the employer may :-
- (i) send a medical practitioner to the place where the **employee** is residing for the time being, in which case the **employee** shall submit himself for medical examination when requested to do so by the medical practitioner; or
- (ii) send to the **employee** any offer in writing to have him examined free of charge by a qualified medical practitioner, in which case the **employee** shall submit himself for medical examination at the employer's premises or at such other place in the vicinity as may be specified in such offer and at such time as may be so specified :

Provided that :-

- (a) the time so specified shall not, save with the express consent of the **employee**, be between the hours of 7 p.m. and 6 a.m.; and

(b) Where the **employee's** condition renders it impossible or inadvisable for him to leave the place where he is residing for the time being, he shall not be required to submit himself for medical examination except at such place.

(4) **Restriction on number of examinations.-** An **employee** who is in receipt of a half-monthly payment shall not be required to submit himself for medical examination elsewhere than at the place where he is residing for the time being more than twice in the first month following the accident, or more than once in any subsequent month.

(5) **Examination after suspension of right to compensation.-** If an **employee**, whose right to compensation has been suspended under sub-section (2) or sub-section (3) of Section 84 of the Code, subsequently offers himself for medical examination, examination shall take place at the employer's premises or at such other place in the vicinity as may be fixed by the employer, and at a time to be fixed by the employer, not being, save with the express consent of the **employee** more than 72 hours after the **employee** has so offered himself.

(6) **Examination of women employee.-** (i) No woman **employee** shall, without her consent, be medically examined by a male practitioner except in the presence of another woman.

(ii) Where the Female employee so request the employer shall bear the expenses of medical examination by a female practitioner.

18. Form of statement to be submitted by the employer under sub-section (1) of Section 88 of the Code.-

- (1) The notice to be sent by the Competent Authority under sub-section (1) of Section 88 of the Code shall be in Form-XXI and shall be accompanied by a blank copy of Form-XX.
- (2) The statement to be submitted by an employer under Section 88 of the Code shall be in Form-XXII, together with Form-XX.
- (3) The report in respect of an accident under sub-section (1) of Section 88 of the Code may be sent to the authority to whom the notice of such accident is required to be given.
- (4) The Competent Authority may share the notice and the affixed report received in response thereto with the next kin of the victims of fatal or serious accidents.

19. Manner of recording the memorandum in a register by the Competent Authority under sub-section (1) of Section 89 of the Code.-

- (1) **Form of Memorandum.**— Any Memorandum of agreement sent to the Competent Authority under sub-section (1) of Section 89 of the Code shall, unless the Competent Authority otherwise directs, be submitted in duplicate and shall, as the circumstances of the case permit, be in confirming with Form XXIII or Form XXIV or Form XXV, as the case may be.
- (2) **Procedure where the Competent Authority does not consider that he should refuse to record the memorandum.**— (i) On receipt of a memorandum of agreement, the Competent Authority shall, unless he considers that there are grounds for refusing to record the memorandum, fix a date for recording the same, and shall issue a notice in writing in Form XXVI

to the parties concerned, stating that, in the absence of objections, he proposes to record the memorandum on the date so fixed :

Provided that the notice may be communicated orally to any party who is present at the time when notice in writing would otherwise be issued.

- (ii) On the date so fixed, the Competent Authority shall record the memorandum unless, after hearing any of the parties who appear and desire to be heard, he considers that it ought not to be recorded :

Provided that the issue of a notice under clause (i) shall not be deemed to prevent the Competent Authority from refusing to record the memorandum on the date so fixed, even if no objection has been made by any party concerned.

- (iii) If on such date, the Competent Authority decides that the memorandum ought not to be recorded, he shall inform the parties present of his decision and of the reasons therefore, and if any party desiring the memorandum to be recorded is not present, he shall send intimation to such party in Form-XXVII.

- (3) Procedure where the Competent Authority considers that he should refuse to record the memorandum. -** (i) When, on receipt of a memorandum of agreement, the Competent Authority considers that there are grounds for refusing to record the same, he shall fix a date for hearing the party or parties desiring that the memorandum be recorded, and shall inform such party or parties and, if he thinks fit, any other party concerned, of the date so fixed and of the grounds on which he considers that the memorandum should not be recorded:

Provided that any agreements which entitles workers or their kin to compensation of an amount not less than that determined under the Fourth Schedule to the Code shall not be recorded by the Competent Authority:

Provided further that the reasons for such refusal shall be recorded in a speaking order by the Competent Authority.

- (ii) Where the parties to be informed are not present, a notice in writing shall be sent to them in Form-XXVIII or Form-XXIX, as the case may be, and the date fixed in such notice shall not be earlier than seven days from the date of issue thereof.
- (iii) If, on the date fixed under clause (i), the party or parties desiring that the memorandum to be recorded show adequate cause for proceeding to the record of the same, the Competent Authority may, if information has already been given to all the parties concerned, record the agreement. Where such information has not been given to all such parties, the Competent Authority shall proceed in accordance with clause (ii).
- (iv) Where, on the date so fixed, the Competent Authority refuses to record the memorandum, he shall send notice in Form-XXVII to any party who did not receive information under clause (i).

(4) Procedure on refusal to record memorandum. - (i) Where, in any case, the Competent Authority refuses to record a memorandum of agreement, he shall briefly record his reasons for such refusal.

- (ii) Where, the Competent Authority refuses to record a memorandum of agreement, he shall not pass any order directing payment of any sum in excess of amount specified in the agreement, unless an opportunity has been given to the party liable to pay such sum to show-cause why it should not be paid.

(iii) Where the agreement relates to the redemption of half monthly payments by the payment of a lump-sum, and the Competent Authority considers that the memorandum of agreement should not be recorded on the ground that of the inadequacy of the amount of such sum is inadequate he shall record his estimate of the probable duration of the disablement of the employee.

(5) Registration of memorandum accepted for record.— While recording a memorandum of agreement, the Competent Authority shall cause the same to be entered in a register in Form-XXX and shall endorse, under his signature, a copy of the memorandum to be retained by him, in the following terms, namely :-

"This memorandum of agreement bearing Serial No.....of Year in the register has been recorded this....."

Signature of Competent Authority"

20. Other experience and qualification for appointment as a Competent Authority under sub-section (1) of Section 91 of the Code,-

Eligibility of the Competent Authority – A person shall be eligible for appointment as a Competent Authority if he-

- (1) Is a Member of State Judicial Service for a period of not less than five years; or
- (2) Is a Advocate with practice not less than Ten years ; or
- (3) Is a Gazetted officer with not less than five service years and possessing educational qualification and experience in personnel management, human resource development, Industrial relation and legal affairs; or

- (4) Is a Officer of the Labour Department of Chhattisgarh not below the rank of Assistant Labour Commissioner/ or Deputy Director, Industrial Health and Safety.

21. Manner in which matters may be dealt with by or before a Competent Authority under sub-section (1) of Section 92 of the Code.-

- (1) **Applications.-** Any application of the nature referred to in Section 93 of the Code may be sent to the Competent Authority by registered post or may be presented to him or to any of Officer subordinate to him and authorised by him in this behalf. Such application shall, unless the Competent Authority otherwise directs, be made in duplicate in Form XXXI, Form-XXXII and Form-XXXIII and shall be signed and verified by the applicant in the manner prescribed by Order VI Rule 15 of the Code of Civil Procedure 1908 (No. 5 of 1908).
- (2) **Production of documents.-** (i) When an application for relief is based upon a document, such document shall be appended to the application.
- (ii) Any other document which the applicant desires to rely upon in evidence shall be produced at or before the first hearing.
- (iii) Any document which is not produced at or within the time specified in clause (i) or (ii) as the case may be, shall not, without the sanction of the Competent Authority be received in evidence on behalf of the applicant who ought to have produced it.
- (iv) Nothing in this rule shall apply to any document which is produced for the purpose of cross-examining a witness or which is handed to a witness to refresh his memory.

(3) Application presented to another Competent Authority.-

- (i) Where it appears to the Competent Authority on receipt of an application, that it should be presented to another Competent Authority, he shall return the application to the applicant after endorsing upon it the date of the presentation and return, the reason for returning it and the designation of the Competent Authority to whom it should be presented.
- (ii) Where it appears to the Competent Authority at any subsequent stage that an application should have been presented to another Competent Authority, he shall transfer the application to the Competent Authority empowered to deal with it and shall inform the applicant, and the opposite party (if any), accordingly, where a copy of the application has been furnished under sub-rule (8).
- (iii) The Competent Authority to whom an application is transferred under clause (ii) may proceed with the proceedings, as if the previous proceedings or any part thereof, had been taken before him, if he is satisfied that the interests of the parties shall not thereby be prejudiced.

(4) Examination of applicant.- (i) On receipt of an application of the nature referred to in Section 93 of the Code, the Competent Authority may examine the applicant on oath or may refer the application to any officer authorised by the State Government in this behalf and direct such officer to examine the applicant and his witnesses and forward the record thereof to the Competent Authority.

(ii) The substance of any examination made under clause (i) shall be recorded in the manner provided for the recording of evidence under Section 97 of the Code.

(5) Summary dismissal of application.- (i) The Competent Authority may, after considering the application and the result of any examination of the applicant under sub-rule (4) summarily dismiss the application, if, for reasons to be recorded, it is of opinion that there are no sufficient grounds for proceeding thereon.

(ii) The dismissal of the application under clause (i) shall not, of itself, preclude the applicant from presenting a fresh application for settlement of the same matter.

(6) Preliminary inquiry into application.- Where an application is not dismissed under sub-rule (5), the Competent Authority may, for reasons to be recorded, call upon the applicant to produce evidence in support of the application before calling upon any other party, and if, upon consideration of such evidence, the Competent Authority is of the opinion that there is no case for the relief claimed, it may dismiss the application with a brief statement of reasons for so doing.

(7) Notice to opposite party.- Where the Competent Authority does not dismiss the application under sub-rule (5) or sub-rule (6), it shall send to the party from whom the applicant claims relief (hereinafter referred to as

the “opposite party”), a copy of the application, together with a notice of date on which it will dispose of the application and may require the parties to produce, on such that date, any evidence which they may wish to tender.

(8) Appearance and examination of opposite party.-

- (i) The opposite party may, and if so required by the Competent Authority, shall, at or before the first hearing or within such time as the Competent Authority may permit, file a written statement dealing with the claim raised in the application, and any such written statement shall form part of the record.
- (ii) Where the opposite party contests the claim, the Competent Authority may, and, where no written statement has been filed, shall, proceed to examine such party upon the claim, and shall reduce the result of such examination to writing.

(9) Framing of issues.- (i) After considering any written statement and the result of any examination of the parties, the Competent Authority shall ascertain the material propositions of fact or of law on which the parties are at variance, and shall thereupon proceed to frame and record the issues upon which the right decision of the case depends.

- (ii) In recording the issues, the Competent Authority shall distinguish between issues which in its opinion, concern points of fact and those which concern points of law.

(10) Power to postpone trial of issues of fact where issues of law arise.-

Where issues both of law and of fact arise in the same case, and the Competent Authority is of the opinion that the case may be disposed of on the issues of law only, it may try those issues first, and may for that

purpose, if he thinks fit, postpone the settlement of the issues of fact until after the issues of law have been determined.

(11) **Diary.-** The Competent Authority shall maintain under his hand a brief diary of the proceedings in each application.

(12) **Judgement.-** (i) The Competent Authority shall in passing orders, record concisely its judgement, including its finding on each of the issues framed and the reasons for such findings.

(ii) The Competent Authority shall, at the time of signing and dating his judgement, pronounce its decision, and thereafter no addition to or alteration of the judgement shall be made except the clerical or arithmetical mistake arising from any accidental slip or omission.

(13) **Summoning of witnesses.-** Where an application is presented by any party to the proceedings for the summoning of witnesses, the Competent Authority shall on payment of the prescribed expenses and fees, issue summons for the appearance of such witnesses, unless it considers that their appearance is not necessary for the just decision of the case.

(14) **Right of entry for local inspection.-** The Competent Authority, before whom any proceeding relating to an injury by accident is pending, may, at any time, enter the place where the employee was injured or where the employee ordinarily performs work, for the purpose of making a local inspection or of examining any person likely to be able to give information relevant to the proceedings :

Provided that the Competent Authority shall not enter any premises of an industrial establishment except during the ordinary working hours of that establishment, save with the permission of the

employer or of any person directly responsible for the management of the establishment.

(15) Procedure in connection with local inspection.-

- (i) Where f the Competent Authority proposes to conduct a local inspection with a view to examining on the spot, the circumstances in which an accident occurred, it shall give the parties or their representative notice of its intention to conduct such inspection, unless, in its opinion, the urgency of the case renders the giving of such notice impracticable.
- (ii) Such notice may be given orally or in writing, and, in the case of an employer may be given to any person upon whom notice of a claim may be served under sub-section (2) of Section 88 of the Code, or to the representatives of such person.
- (iii) Any party, or the representative of any party, may accompany the Competent Authority during a local inspection.
- (iv) The Competent Authority shall, after making local inspection, briefly record in a memorandum any facts observed, and shall make such memorandum available to any party who desires to see the same, and shall, on payment of the prescribed fees, shall supply any party with a copy thereof.
- (v) The memorandum shall form part of the record.

(16) Powers of summary examination.-

- (i) The Competent Authority during a local inspection or at any other time, save at a formal hearing of a case pending before him, may examine summarily any person likely to be able to give information relating to such case, whether such person has been or is to be called

as a witness in the case or not, and whether any or all of the parties are present or not.

- (ii) No oath shall be administered to a person examined under clause (i).
- (iii) Statements made by persons examined under clause (i), if reduced to writing, shall not be signed by the person making the statement, nor shall they except as hereinafter provided, be incorporated in the record or utilised by the Competent Authority for the purpose of arriving at a decision in the case.
- (iv) If a witness who has been examined under clause (i) makes in evidence any material statement contradicting any statement made by him in such examination and reduced to writing, the Competent Authority may call his attention to such statement, and shall in that case direct that the parties be furnished with the relevant part of such statement for the purpose of examining or cross-examining the witness.
- (v) Any statement or part of a statement which is furnished to the parties under clause (iv) shall be incorporated in the record.
- (vi) Where a case is settled by agreement between the parties, the Competent Authority may incorporate in the record any statement made under clause (i), and may utilise such statement for the purpose of justifying his acceptance of, or refusal to accept, the agreement reached.

(17) Agreement to abide by Competent Authority's decision.-

- (i) If a party states in writing his willingness to abide by the decision of the Competent Authority, the Competent Authority shall inquire whether the other party is willing to abide by his decision.

- (ii) If the other party agrees to abide by the Competent Authority's decision, the fact of his agreement shall be recorded in writing and signed by him.
- (iii) If the other party does not agree to abide by the Competent Authority's decision, the first party shall not remain under an obligation to abide.

(18) Procedure where indemnity claimed under sub-section (2) of Section 85 of the Code.-

- (i) Where the opposite party claims that if compensation is recovered from him he shall be entitled under sub-section (2) of Section 85 of the Code to be indemnified by a person not being a party to the case, he shall, when first called upon to answer the application, present a notice of such claim to the Competent Authority accompanied by the prescribed fee, and the Competent Authority shall thereupon issue notice to such person in Form XXXIV.
- (ii) If any person served with a notice under clause (i) desires to contest the applicant's claim for compensation, or the opposite party's claim to be indemnified, he shall appear before the Competent Authority on the date fixed for the hearing of the case or on any date to which the case may be adjourned and if he so appears, shall have all the rights of a party to the proceedings; and in default of so appearing he shall be deemed to admit the validity of any award made against the opposite party and to admit its own liability to indemnify the opposite party for any compensation recovered from him :

Provided that, if any person so served appears subsequently and satisfies the Competent Authority that he was prevented by any sufficient cause from appearing, the Competent Authority shall, after

giving notice to the aforesaid opposite party, hear such person and may set-aside or vary any award made against such person under this rule and upon such terms as may be just.

(iii) If any person served with a notice under clause (i), whether or not he desires to contest the applicant's claim for compensation or the opposite party's claim to be indemnified, claims that being a contractor he is himself a principal and is entitled to be indemnified by a person standing to him in the relation to a contractor from whom the employee could have recovered compensation, he shall on or before the date fixed in the notice under clause (i), present a notice of such claim to the Competent Authority accompanied by the prescribed fee and the Competent Authority shall thereupon issue notice to such person in Form XXXV.

(iv) If any person served with a notice under clause (iii) desires to contest the applicant's claim for compensation, or the claim under clause (iii) to be indemnified, he shall appear before the Competent Authority on the date fixed in the notice in Form XXXV or on any date to which the case may be adjourned and if he so appears, shall have all the rights of a party to the proceedings and in default of so appearing he shall be deemed to admit the validity of any award made against the original opposite party or the person served with a notice under clause (i) and to admit his own liability to indemnify the party against whom such award is made for any compensation recovered from him :

Provided that, if any person, so served appears subsequently and satisfies the Competent Authority that he was prevented by any sufficient cause from appearing, the Competent Authority shall, after giving notice to all parties on the record, hear

such person, and may set-aside or vary any award made against such person under this rule upon such terms as may be just.

- (v) In any proceeding in which a notice has been served on any person under clause (i) or clause (iii), the Competent Authority shall, if he awards compensation, record in his judgement a finding in respect of each of such persons whether he is or is not liable to indemnify any of the opposite parties, and shall specify the party, if any, whom he is liable to indemnify.

(19) Procedure in connected cases.-

- (i) Where two or more cases pending before a Competent Authority arise out of the same accident, and any issue involved is common to two or more such cases, such cases may, so far as the evidence bearing on such issue is concerned, be heard simultaneously.
- (ii) Where action is taken under clause (i), the evidence bearing on the common issue or issues shall be recorded on the record of one case, and the Competent Authority shall certify under his hand on the records of any such other case, the extent to which the evidence so recorded applies to such other case, and the fact that the parties to such other case had the opportunity of being present, and, if they were present of cross-examining the witnesses.

(20) Certain provisions of Code of Civil Procedure, 1908 to apply.-

Save as otherwise expressly provided in the Code or these rules, the following provisions of the First Schedule to the Code of Civil Procedure, 1908. namely, those contained in Order V rules 9 to 13 and 15 to 30, Order IX, Order XIII rules 3 to 10, Order XVI rules 2 to 21, Order XVII, Order XXIII rules 1 and 2 shall apply to proceedings before Competent Authorities, in so far they may be applicable thereto:

Provided that :-

- (a) The Competent Authority may for the purpose of facilitating the application of such provisions, apply the same with such adaptation or modification, not affecting substantive their as may be necessary in the circumstances of the case;
 - (b) The Competent Authority may, for sufficient reasons, proceed otherwise than in accordance with the said provisions, if he is satisfied that the interests of the parties will not thereby be prejudiced.
- (21) **Provisions regarding signature of forms.-** Any form, other than a receipt for compensation, which is by these rules required to be signed by a Competent Authority may be signed under his direction and on his behalf by any officer subordinate to him appointed by him in writing for this purpose.
- (22) **Apportionment of compensation among dependents.-** The provisions of this part except those contained in sub-rule (7), (8) and (18) shall as far as may be apply in the case of any proceedings relating to the apportionment of compensation among dependents of a deceased employee.
- (23) **Reasons for postponement to be recorded.-** If the Competent Authority finds it impossible to dispose of an application at one hearing he shall record the reasons which necessitate a postponement.
- (24) **Exemption from payment of costs.-** If the Competent Authority is satisfied that the applicant is unable, by reason of poverty, to pay the prescribed fees, he may remit any or all of such fees. If the case is decided in favour of the applicant, the prescribed fees which, they had

not been remitted, would have been due to be paid, may be added to the cost of the case and recovered in such manner as the Competent Authority in his order regarding costs may direct.

22. Time-limit for disposal of application and costs incidental to the proceeding under sub-section (4) of Section 93 of the Code.-

Time limit of disposal of cases relating to compensation.-The competent authority shall dispose of the matter relating to compensation under this code within a period of three months from the date of reference and shall informed its decision to the employer within the said period.

23. The manner of authentication of memorandum under Section 97 of the Code.-

Examination of applicant.-

- (1) On receiving the application of the nature referred to in Section 93 of the Code, the Competent Authority may examine the applicant on oath or may send the application to any officer authorised by the State Government in this behalf and direct such officer to examine the applicant and his witnesses and forward the record thereof to the Competent Authority.
- (2) The substance of any examination made under sub rule (1) shall be recorded in the manner provided for the recording of evidence in Section 97 of the Code.

CHAPTER-VII

SOCIAL SECURITY AND CESS IN RESPECT OF BUILDING AND OTHER CONSTRUCTION WORKERS

- 24. Time limit to pay the amount of cess under Section 101 of the Code.-** An employer shall pay any amount of cess payable under section 100 of the Code within such time as may be specified in the assessment order or within 30 days from the date of issue of the assessment order.
- 25. Fees for appeal under sub-section (2) of Section 105 of the Code.-** The such appeal, inter-alia, shall be accompanied with— a non-refundable fee equivalent to one-half percent, but not exceeding rupees twenty five thousand of the amount in dispute or penalty or both, as the case may be, under such appeal; which will be deposited in Labour Department head of account **0230-01-800** in Treasury by e-challan of the State Government.

CHAPTER-VIII

FINANCE AND ACCOUNTS

26. Conditions to acquire, hold, sell or otherwise transfer any movable or immovable property under sub-section (1), conditions to invest moneys, re-invest or realise investments under sub-section (2), terms to raise loans and take measures for discharging such loans under sub-section (3) and terms to constitute for the benefit of officers and staff or any class of them, provident or other benefit funds under sub-sections (4) of Section 120 of the Code.-

- (1) The "Chhattisgarh Building and Other Construction Workers Welfare Fund" under the Chhattisgarh Building and Other Construction Workers Welfare Board and the "Fund" constituted under the Chhattisgarh Unorganised Workers State Social Security Board shall be deemed to be the "Fund" constituted after the coming into force of these rules, which shall be operated as per the provisions of the Code and these rules and shall be administered by the Boards.
- (2) Investment- All moneys belonging to the fund may be invested in nationalised bank or in securities referred to in clause (a) to (d) of Section 20 of the Indian Trust Act, 1882 (No. 2 of 1882)
- (3) According to sub-section (3) of Section 120 of the Code, Board may receive Loan/fund in advance from the State Government and shall be returned according to terms and condition for the same.
- (4) The Board shall with the prior approval of the State Government and on such terms as may be prescribed by the State Government time to time, constitute for the benefit of its Officers and Staff or any class of them, such provident fund or other benefits fund as it may deem necessary.

27. Conditions and manner for writing off irrecoverable dues under Section

121 of the Code.- Where the Board is of the opinion that the amount of contribution, cess, interest and damages due to the Board has become irrecoverable, the Board or any other Officer authorised by it in this behalf with prior approval of Government may sanction the writing off of the said amount, subject to the following conditions, namely: —

- (i) establishment has been closed for more than five years and the whereabouts of the employer cannot be ascertained, despite all possible efforts;
- (ii) decree obtained by Board could not be executed successfully for want of sufficient assets of the defaulting employer; or
- (iii) claim for contribution is not fully met by —
 - (a) the Official Liquidator in the event of factories/ establishments having gone into liquidation; or
 - (b) the Competent Authority of payments in the event of unit being nationalised or taken over by the Government.

CHAPTER-IX

AUTHORITIES, ASSESSMENT, COMPLIANCE AND RECOVERY

28. Other powers of Inspector-cum-Facilitator under clause (e) of sub-section

(6) of Section 122 of the Code.- The inspector-cum-facilitator can exercise such powers which shall be determined by the State Government by order from time to time.

29. Form and manner for maintenance of records and registers and other particulars and details under clause (a), manner and form for display of notices at the work places of the employees under clause (b) and the

manner and period of filing returns to the Officers or Authority under clause (d) of Section 123 of the Code.-

(1) Records and Registers etc.- the employer of every establishment shall maintain, register –

- (i) Of employees in Form – I of the Code on Wages (Chhattisgarh) Rules, 2026;
- (ii) Of attendance-cum-muster roll in Form - IX of the Code on Wages (Chhattisgarh) Rules, 2026;
- (iii) Of wages, overtime, advances, fines and deductions for damages and losses in Form – IV of the Code on Wages (Chhattisgarh) Rules, 2026;

All the rules made thereunder while maintaining the registers specified in clause (i), (ii) and (iii) shall be deemed to be maintained by the employer under these rules also.

(2) Register of Women Employees.-

- (i) The employer of every establishment in which women are employed shall prepare and maintain a register of women employees in Form-XXXVI electronically or in hard copy and shall enter therein particulars of all women employees in the establishment.

Further, it shall always be available for inspection under notified inspection scheme for the Inspector-cum-Facilitator.

- (ii) The employer may enter in the register of women employees such other particulars as may be required for any other purpose of the Code.

(3) Maintenance and Preservation of Records.—

- (i) Records kept under the provisions of Chapter-V and VI of the Code and the rules framed thereunder shall be preserved for a period of five years from the date of their preparation.

- (ii) Registers under this Chapter shall be maintained electronically or otherwise.
- (iii) Entries in the registers shall be made in English and Hindi or the language understood by the majority of persons employed.
- (iv) Every employer shall produce records and registers, on demand before the Inspector-cum- Facilitator or any person authorised in that behalf by the State Government.
- (v) All registers and other records required to be maintained under the Code and the rules made thereunder shall be maintained complete and up-to-date and unless otherwise provided by the State Government, shall be kept at an office or the nearest convenient building within the precincts of the workplace or at a place within a radius of three kilometres therefrom.
- (vi) Every employer shall issue wage slips, electronically or otherwise to the employees under clause (c) of section 123 before 24 hours of payment of wages in Form – V of the Code on Wages (Chhattisgarh) Rules, 2026.

(4) Annual returns.-

- (i) The employer to which the provisions of Chapter V and VI of the Code applies, shall on or before the 1st day of February each year, upload an annual return in Form-XI of the Code on Occupational Safety and Hazards (Chhattisgarh) Rules, 2026 on the online web portal of the Government of Chhattisgarh, Labour Department, giving information as to the particulars specified, in respect of the preceding year:

Provided that during inspection, the Inspector-cum-Facilitator may require the production of accounts, books, register and other documents maintained in electronic form or otherwise.

Explanation.- For the purposes of this sub-rule, the expression “electronic form” shall have the same meaning assigned to it in clause (r) of Section 2 of the Information Technology Act, 2000 (No. 21 of 2000).

- (ii) If any employer to which this Code applies sells, abandons or discontinues the working of the establishment, then, he shall, within one month of the date of such sale or abandonment or four months of the date of such discontinuance, as the case may be, upload online, on the portal, a further annual return referred to in clause (i) in respect of the period between the end of the preceding year and the date of the sale, abandonment or discontinuance.

(5) Display of information, extracts of provisions of the Code and the rules:- The employer shall display at or near the main entrance of the establishment the following notice or abstract in English or in a language understood by the majority of the employees:

1. Name and designation of the Officer empowered to receive information on his behalf under Chapter 5 of the Code or the rules made thereunder,
2. Abstract of Chapter 5 of the Code or the rules made thereunder,

CHAPTER-X

OFFENCES AND PENALTIES

30. Manner of compounding of offences by the authorised officer specified under sub-section (1) of Section 138 of the Code and the form and manner of making application for the compounding of an offence under sub-section (4) of Section 138 of the Code.-

- (1) The Officer authorized by the State Government by notification for the purposes of compounding of offences under sub-section (1) of Section 138 of the Code shall issue a compounding notice in Form-XXXVII electronically for the offences which are compoundable under Section 138 of the Code.
- (2) The person to whom notice is served may apply electronically in Part III of the Form-XXXVII to the officer and deposit the entire compounding amount through electronic transfer or otherwise, within fifteen days of the receipt of the notice.
- (3) The Compounding Officer shall issue a composition certificate in Part-IV of Form-XXXVII within ten days of receipt of the composition amount, to such person from whom such amount has been received in satisfaction of the composition notice.
- (4) If a person to whom notice is served fails to deposit the composition amount within the prescribed time, the prosecution shall be instituted before the competent Court for the offence in respect of which the compounding notice was issued, against such person.

(5) Composition after institution of prosecution. -

- (i) The Officer authorized by the State Government may compound any compoundable offence at any time after filing of a complaint under Section 138 of the Code.
- (ii) The provisions of Section 359 of the The Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023 (No. 46 of 2023) shall apply to such compositions.

CHAPTER-XI

MISCELLANEOUS

31. Such other sources of funding and the manner of administering and expending of the Fund under sub-section (5) of Section 141 of the Code.-

- (1) For the welfare of unorganized workers, the amount received from the following shall be deposited to the Fund constituted under Chhattisgarh Unorganized Workers State Social Security Board: -
 - (i) Wholly funded by the Central Government;
 - (ii) Partly funded by the Central Government and partly funded by the State Government;
 - (iii) Partly funded through contributions collected from the beneficiaries of the scheme or the employers as may be specified in the scheme by the Central Government or State Government.
 - (iv) Funded from any source including corporate social responsibility fund within the meaning of the Companies Act, 2013 (No.18 of 2013) or any other sources as may be specified in the scheme.
 - (v) Any grant or loan received from the Central Government.
 - (vi) Funded from the budget of State Government.

(vii) Other sources notified by the State Government.

The State Government may seek financial assistance from the Central Government for the schemes framed by it.

(2) Chhattisgarh Unorganised Workers State Social Security Board shall prepare a scheme and notify the same with the prior approval of the State Government for the unorganised workers registered as beneficiary and their families and the Funds shall be utilized under the notified scheme.

32. Time within which the Central Board or the Corporation, as the case may be, shall forward its view to the Appropriate Government under sub-section (1), conditions which the exempted establishment or the class of establishments or an employee or class of employees, as the case may be, shall comply with after such exemption under sub-section (2) and conditions for management of the trust under sub-section (5) of Section 143 of the Code.-

(1) The Central Board or the Corporation, as the case may be, shall forward its views on the application seeking exemption under Section 143 of the Code to the Appropriate Government within six months of receipt of proposal for exemption.

Provided that where the Central Board is unable to provide its views within the said period, the appropriate government may extend the time limit or take action on the application of exemption, as it deems fit.

(2) The establishment to which exemption has been granted from the provision of Chapter-IV of the Code.-

- (i) shall maintain such records regarding the exempted employees and submit such returns and other information to the Corporation as may be specified by the Central Government in the Regulations; and
- (ii) in case of change of legal status of an establishment which has been granted exemption under Section 143 of the Code, due to merger, demerger, acquisition, sale, amalgamation, formation into a subsidiary, whether wholly owned or not, etc. the exemption shall be deemed to be cancelled and the establishment shall be required to apply afresh for exemption, to the appropriate Government.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
VIPUL KUMAR GUPTA, Deputy Secretary.

FORM- I
(See sub-rule (10) of rule 7)
Application form for a dispute or claim

In the Employees Insurance Court at

A, B (add description and residence) Applicant

Against

C, D (add description and residence) Opposite party.

Other particulars of the application specified in sub-rule (11)

Date

.....

Signature of the applicant

(Verification by the Applicant)

The statement of facts contained in this application is, to the best of my knowledge and belief, true and correct.

Date

Signature of the applicant

FORM – II
(See sub-rule (11) and (19) of rule 7)
List of documents produced by Applicant/Opposite party

e.g., Description, Subject, Name of the court, no. etc.

No.	Description of document	Date of may which the document bear	Signature of party or pleader or any authorized representative.
(1)	(2)	(3)	(4)

FORM – III**(See sub-rule (12) of rule 7)****Resister of Proceedings**

Employees' Insurance Court at Register of Proceedings in the year
20.....

Applicant				
Date of presentation of application	No. of Proceedings	Applicant Name	Application description	Place of residence
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

Opposite Party			Claim		When the cause of action accrued
Name	Description	Place of residence	Particulars	Amount of Value if any	
(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)

Appearance			Final Order		
Day for the parties to appear	applicant	Opposite party	Date	For whom	For what and amount of money
(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)

Appeal		Execution					Other
Date of description of appeal, If any	Judgment of appeal	Date of application	Against whom	For what & amount of money	Amount of cost	Date of order transferring to another Civil Court of at	Remark if any
(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)

FORM – IV**(See sub-rule (15) of rule 7)****Summons for disposal of proceedings**

To

.....

(Name, description and place of residence).

Whereas has instituted proceeding against you for you are hereby summoned to appear in this Court in person or by authorized agents duly instructed and able to answer all material questions relating to the case, or who shall be accompanied by some person able to answer all such questions at O'clock in the noon on the Day of 20....., to answer the claim, and the day fixed for your appearance is appointed for the final disposal of the proceedings, you must be prepared to produce on that day all the witnesses, upon whose evidence and all the documents upon which you intend to rely in support of your defense.

Take notice, that, in default of your appearance on the before mentioned the case will be heard and determined in your absence.

Given under my hand and the seal of the Court, this Day of 20.....

Court

- Notice -**
1. Should be apprehend your witnesses will not attend of their own accord, you can have a summons from this Court to compel the attendance of any witness to produce, on applying to the Court and on depositing the necessary expenses.
 2. If you admit the claim, you should pay the money into Court together with the cost of the proceedings, to avoid execution of the, which may be passed against your person or property or both.

FORM – V**(See sub-rule (15) of rule 7)****Summons for Settlement of issues**

To

.....

(Name, description and place of residence).

Whereas has instituted proceeding against you for you are hereby summoned to appear in this Court in person or by authorized agents duly instructed and able to answer all material questions relating to the proceedings, or who shall be accompanied by some person able to answer such questions at O'clock in the noon on the day of 20....., to answer the claim, and you are directed to produce on that day all the documents upon which you intend to rely in support of your defense.

Take notice that, in default of your appearance on the before mentioned the case will be heard and determined in your absence.

Given under my hand and the seal of the Court, this day of 20.....

Court

- Notice- 1.** Should you apprehend your witnesses will not attend of their own accord, you can have a summons from this Court to compel the attendance of any witness, and the production of any document hat you have a right to call on the witness to produce, on applying to the Court and on depositing the necessary expenses.
- 2.** If you admit the claim, you should pay the money into the Court together with the cost of the suit, to avoid execution of the decree, which may be passed against your person or property or both.

FORM – VI**(See sub-rule (23) of rule 7)****Application for setting aside the Ex-parte order**

The above named stated as follow :-

(Ground of Application should be stated)

Date

.....

Signature of the applicant

(Verification by the Applicant)

The statement of facts contained in the application is, to the best of my knowledge and belief, true and correct.

Date

Place

.....

Signature

FORM – VII**(See sub-rule (23) of rule 7)****Notice of the Application****To,**

.....

.....

Whereas the above named has made application to this court you are hereby warned to appear in the Court in person or by a pleader duly instructed at O' clock in the noon, on the Day of 20..... To show cause against the application failing wherein, the said application will be heard and determined ex-parte.

Given under my hand and the seal of the Court this day of 20.....

COURT

FORM – VIII**(See sub-rule (24) of rule 7)****Summons to witness****To,**

.....

.....

Whereas your attendance is required to on behalf of the In the above proceedings you are hereby required (personally) to appear before this Court on the Day of 20..... at o'clock in the Noon, and to bring will you (or to send to this Court).....

A sum of Rs..... being your travelling and the other expenses and subsistence allowance for one day, is deposited with this Court and will be tendered to you on the day you appear before the Court. If you fail to comply with this order without lawful excuse, you will be subject to the consequence of non-attendance laid down in rule 12 of order XVI of the Code of Civil Procedure, 1908 (5 of 1908).

Given under my hand and the seal of the Court, this day of 20.....

COURT

Notice 1. If you are summoned only to produce a document and not to give evidence, you shall be deemed to have complied with the summons if you cause such document to be produced in this Court on the day and hour aforesaid.

2. If you are detained beyond the day aforesaid, a sum of Rs will be tendered to you for each day's attendance beyond the day specified.

FORM – IX
(See sub-rule (37) of rule 7)
DECREE IN CASE

Claim for

This case coming on this day of final disposal before in the presence of for the applicant and of for the opposite party, it is ordered and decreed the and that the sum of Rs be paid by the to the On account of the costs of this suit, with interest thereon at the rate of percent per annum from this date to the date of realization. Given under my hand and the seal of the Court, this day of 20.....

Costs of Suits

Rs.	Rs.
Stamp for application	Stamp for power
Stamp for power	Stamp for written statement
Stamp for exhibits	Pleader's fee
Pleader's fee	Subsistence for witness
Subsistence for witness	Service of summons and Notices
Competent Authority's fee	Competent Authority's fee
Service of summons and Notices	
Total	Total

FORM – X
(See sub-rule (39) of rule 7)
Application for the Execution of Decree

In the Court of Decree Holder, hereby apply for execution of the decree herein below set forth.

Number of Proceedings	Name/s of Party/Parties	Date of decree	Whether any appeal preferred from decree	Payment of adjustment made, if any
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

Pervious application, if any with date and result	Amount with interest due upon the decree or other relief granted thereby together with particulars of any cross decree	Amount of costs if any awarded	Against whom to be executed
(6)	(7)	(8)	(9)

Mode in which the assistance of the Court is required	Attachment for Sale Property
(10)	(11)
	(When attachment and sale of movable property sought) I pray that the total amount of Rs..... (together with interest on the principal sum up to date of payment) and the cost of taking out this execution be realized by attachment and sale of the

	opposite party's movable property as per annexed list and paid to me (When attachment and sale of immovable property sought) I pray that the total amount of Rs. (together with interest on principal sum up to date of payment) and the cost of taking out this execution be realised by attachment and sale of the opposite party's immovable property specified at the foot of this application and paid to me
--	---

I declare that what it stated herein is true to the best of my knowledge and belief.

Date the day of 20.....

Signature

Decree holder

FORM-XI

[See sub-rule (1), (2), (3) and (4) of rule 10]

Nomination/Fresh Nomination/Modification of Nomination

(Strike out the words not applicable)

To.....
.....

(Give here name or description of the establishment with full address)

I, Shri/Shrimati/Kumari.....(Name in full here)whose particulars are given in the statement below, hereby nominate the person(s) mentioned below/ have acquired a family within the meaning of clause (33) of Section 2 of the Code of Social Security, 2020 with effect from the(date here) in the manner indicated below and therefore nominate afresh the person(s) mentioned below to receive the gratuity payable after my death as also the gratuity standing to my credit in

the event of my death before that amount has become payable, or having become payable has not been paid and direct that the said amount of gratuity shall be paid in proportion indicated against the name(s) of the nominee(s).

or

I, Shri/Shrimati/Kumari.....(Name in full here) whose particulars are given in the statement below, hereby give notice that the nomination filled by me on date and recorded under your reference No.....dated..... shall stand modified in the following manner-

**Strike out unnecessary portion.*

2. I hereby certify that the person(s) mentioned is/are a member(s) of my family within the meaning of clause (33) of Section 2 of the Code of Social Security, 2020.
3. I hereby declare that I have no family within the meaning of clause (33) of Section 2 of the said Code.
- 4 (a) My father/mother/parents is/are not dependent on me.

(b) My husband's father/mother/parents is/are not dependent on my husband.
5. I have excluded my husband from my family by a notice dated the..... to the competent authority in terms of clause (33) of Section 2 of the said Code.
6. Nomination made herein invalidates my previous nomination.

Nominee(s)

S.No.	Name in full with full address of nominee(s)	Relationship with the employee	Age of nominee	Proportion by which the gratuity will be shared
1.				
2.				
3.				
So on				

Manner of acquiring a “Family”

(Here give details as to how a family was acquired, i.e., whether by marriage or parents being rendered dependent or through other process like adoption)

Statement

1. Name of employee in full
2. Sex
3. Religion
4. Whether unmarried/married/widow/widower
5. Department/Branch/Section where employed
6. Post held with Ticket No. or Serial No., if any
7. Date of appointment
8. Permanent address:

Village..... Thana.....

Sub-division.....Post-Office.....

Pin-Code.....District.....State.....

E-mail ID.....Mobile Number.....

Place:

Date:

Name of the Witness & Signature :-

1

2

Signature/Thumb-impression of the
Employee

Certificate by the Employer

Certified that the particulars of the above nomination have been verified and recorded in this establishment.

Employer's Reference No., if any

Signature of the employer/Officer authorised

Designation

Date: Name and address of the establishment or
rubber stamp thereof.

Acknowledgement by the Employee

Received the duplicate copy of nomination in **Form-XI** filed by me and duly certified by the employer.

Date:

Signature/Thumb-impression of the
Employee

FORM-XII

[See sub-rule (1) of rule 11]

Application for Gratuity by an Employee/Nominee/Legal Heir

(Strike out the words not applicable)

To,.....

(Give here name or description of the establishment with full address)

Sir/Madam,

I, ...(name of employee/nominee/legal heir) /nominee of
late.....(Name of the employee)/ as a legal heir of
late.....(Name of the employee), beg to apply for payment of

gratuity to which I am entitled under sub-section (1) of Section 53 of the Code on account of-

- (a) my superannuation/retirement/resignation after completion of not less than five years of continuous service/total disablement due to accident/total disablement due to disease/ on termination of contract period under fixed term employment with effect from the.....,or;
- (b) death of the aforesaid employee while in service/superannuation on.....after completion of.....years of service/total disablement of the aforesaid employee due to accident or disease while in service with effect from the.....or;
- (c) death of aforesaid employee of your establishment while in service/superannuation on.....(date) without making any nomination after completion of years of service/total disablement of the aforesaid employee due to accident or disease while in service with effect from.....

Necessary particulars relating to my appointment are given in the statement below.

1. Name of employee in full, (if, the gratuity is claimed by an employee)
 - a. Marital status of Employee(unmarried/married/widow/widower)
 - b. Address in full of Employee

or
2. Name of nominee/legal heir, (if the gratuity is claimed by nominee/legal heir)
 - a. Name of Employee
 - b. Marital status of nominee/legal heir(unmarried/ married/ widow/widower)
 - c. Relationship of nominee/legal heir with the Employee
 - d. Address in full of nominee/legal heir
 - e. Date of death and proof of death of the Employee
 - f. Reference No. of recorded nomination if available
3. Department/Branch/Section where last employed
4. Post held by Employee.

5. Date of appointment.
6. Date and cause of termination of service
7. Date of Death
8. Total period of service of the Employee
9. Total wages last drawn by the Employee.
10. Total gratuity payable to the Employee/ share of gratuity claimed by a nominee/legal heir.
11. Payment may please be made by crossed bank cheque/credit in my bank account no.....

Yours faithfully,

Signature/Thumb-impression of the
applicant employee/nominee/legal heir.

Place:

Date:

Endorsed to :

Competent Authority

FORM-XIII

[See sub-rule (2) of rule 11]

Notice for Payment/Rejecting claim of Gratuity*(Strike out the words not applicable)*

To,.....

.....

(Name and address of the applicant employee/nominee legal heir)

You are hereby informed that

(a) *as required under sub-clause (b) of clause (i) of sub-rule (2) of rule 11 of the Code on Social Security (Chhattisgarh) Rules, 2026 that your claim for payments of gratuity as indicated on your application in Form-IV under the said rules is not admissible for the reasons stated below:

Reasons (Here specify the reasons); or

(b) * as required under sub-clause (a) of clause (i) of sub-rule (2) of rule 11 of the Code on Social Security (Chhattisgarh) Rules, 2026 that a sum of Rs. (Rupees.....) is payable to you as gratuity/as your share of gratuity in terms of nomination made by on and.....recorded in this as a legal heir of.....an employee of this establishment.

2.*Please appear at on..... (Here specify place).....(date) at.....(time) for collecting your payment of gratuity crossed cheque.

3. Amount payable shall be sent to you through demand draft or shall be credited in your bank account as desired by you.

4. Brief statement of calculation

(a) Date of appointment.

(b) Date of termination/superannuation/resignation/ disablement/death.

(c) Total period of service of the employee concerned:
.....years..... months.

(d) Wages last drawn:

(e) Proportion of the admissible gratuity payable in terms of nomination/as a legal heir:

(f) Amount payable:

**strike out para, if, not applicable*

Place:

Date:

Signature of the Employer/authorised officer.

Name or description of establishment or
rubber stamp thereof.

Copy to: The Competent Authority

.....

FORM-XIV**[See sub-rule (4) of rule 11]****Application for Direction****Before the Competent Authority for Chapter-V under the Code, 2020**

Application No.

Dated

BETWEEN

(Name in full of the applicant with full address)

AND

(Name in full of the employer concerned with full address)

The applicant is an employee of the above-mentioned employer/a nominee of late..... an employee of the above-mentioned employer/a legal heir of late..... and employee of the above-mentioned employer, and is entitled to payment of gratuity under Section 53 of the , 2020 on account of his own/aforesaid employee's superannuation on.....(date)/his own retirement/aforesaid employees' resignation on.....(date) completion of.....years of continuous service/his own/aforesaid employees' total disablement with effect from(date)due to accident/disease death of aforesaid employee on.....

2. The applicant submitted an application under Rule..... of the Code of Social Security (Chhattisgarh) Rules, 2026 on the but the above-mentioned employer refused to entertain it/issued a notice dated the..... under clause of clause of rule offering an amount of gratuity which is less than my due/issued a notice dated the under clause..... of sub-rule.....of rule..... rejecting my eligibility to payment of gratuity. The duplicate copy of the said notice is enclosed.
3. The applicant submits that there is a dispute on the matter (specify the dispute).

4. The applicant furnishes the necessary particulars in the annexure hereto and prays that the Competent Authority may be pleased to determine the amount of gratuity payable to the petitioner and direct the above-mentioned employer to pay the same to the petitioner.
5. The applicant declares that the particulars furnished in the annexure hereto are true and correct to the best of his knowledge and belief.

Dated:

Signature/Thumb impression of the applicant.

ANNEXURE

1. Name in full of applicant with full address
2. Basis of claim (Death/Superannuation /Retirement/Resignation /Disablement of Employee/Completion of contract period under Fixed Term Employment)
3. Name and address in full of the employee
4. Marital status of the employee (unmarried/married/widow/widower)
5. Name and address in full of the employer
6. Department/Branch/Section where the employee was last employed (if known)
7. Post held by the employee with Ticket or Sl. No., if any (if known)
8. Date of appointment of the employee (if known)
9. Date and cause of termination of service of the employee (Superannuation /retirement/resignation/disablement/death/Completion of contract period under Fixed Term Employment)
10. Total period of service by the employee
11. Wages last drawn by the employee
12. If the employee is dead, date and cause thereof
13. Evidence/witness in support of death of the employee

14. If a nominee, No. and date of recording of nomination with the employer
15. Evidence/witness in support of being a legal heir if a legal heir
16. Total gratuity payable to the employee (if known)
17. Percentage of gratuity payable to the applicant as nominee/legal heir
18. Amount of gratuity claimed by the applicant

Place:

Date:

Signature/Thumb-impression of the applicant

FORM- XV**[(See sub-rule (5) and (8) of rule 11)]****Notice/Summon for Appearance before the Competent Authority***(Strike out the words not applicable)*

To,

.....

(Name and address of the employer/applicant)

Whereas Shri an employee under you/a nominee(s) /legal heir(s) of Shri.....an employee under the above-mentioned employer, has/have filed an application under sub rule (4) of rule 11 of the Code on Social Security (Chhattisgarh) Rules, 2026 alleging that----

(A copy of the said application is enclosed, if, summon is issued then copy of application is not required)

Now, therefore, you are hereby called upon/summoned to appear before the Competent Authority at(place)either personally or through a person duly authorized in this behalf for the purpose of answering all material questions relating to the application on the day of 20..... at 'O' clock in the forenoon/afternoon in support of/to answer the allegation; and as the day fixed for your appearance is appointed for final disposal of the application, you must be prepared to produce on that day all the witnesses upon whose evidence, and the documents upon which you intend to rely in support of your allegation/ defense.

Take notice that in default of your appearance on the day before-mentioned, the application will be dismissed/heard and determined in your absence.

Whereas your attendance is required to give evidence/you are required to produce the documents mentioned in this list below, on behalf of in the case arising out of the claim for gratuity by..... Form..... and referred to this Authority by an application under Section 56 Code of Social Security, 2020, you are hereby summoned to appear personally before this Authority on the day of 20..... at 'O'clock in the forenoon/afternoon and to bring with you for to send to this Authority) the said documents.

List of documents-

- 1.
- 2.
3. so on

Given under my hand and seal, this day of 20.....

Competent Authority under the Code of Social Security Code, 2020

- Note: 1. Strike out the words and paragraphs not applicable.
2. The portion not applicable to be deleted.
3. The summons shall be issued in duplicate. The duplicate is to be signed and returned by the persons served before the date fixed.
4. In case the summons is issued only for producing a document and not to give evidence it will be sufficient compliance to the summons if the documents are caused to be produced before the Competent authority on the day and hour fixed for the purpose.

FORM – XVI**[See sub-rule (11) and (12) of rule 11]****Notice for Payment of Gratuity as determined by Competent/Appellate Authority***(Strike out the words not applicable)*

To,

(Name and address of employer)

1. Whereas Shri/Smt./Kumari..... of an employee..... (address) under you/a nominee(s)/legal heir(s) of late an employee under you, filed an application under Section 56 of the Code of Social Security, 2020, before me; or

Whereas a notice was given to you on requiring you to make payment of Rs..... to Shri/Smt./Kumari.....as gratuity under the Code of Social Security, 2020.

2. And whereas the application was heard in your presence on.....and after the hearing have come to the finding that the said Shri/Smt./Kumari..... is entitled to a payment of Rs..... as gratuity under the Code of Social Security, 2020; or

Whereas you/the applicant went in appeal before the appellate authority, who has decided that an amount of Rs..... is due to be paid to Shri/Smt./Kumari.....as gratuity due under the Code of Social Security, 2020.

Now, therefore, I hereby direct you to pay the said sum of Rs. to Shri/Smt./Kumari within thirty days of the receipt of this notice with an intimation thereof to me.

Given under my hand and seal, this day of.....20.....

Competent/ Appellate Authority under the Code, 2020

Copy to:

1. The Applicant- He is advised to contact the employer for collecting payment.
2. The Appellate Authority, if applicable.

Note.--- *(Strike out paragraphs if not applicable)*

FORM – XVII

[See sub-rule (13) of rule 11]

Application for Recovery of Gratuity

**Before the Competent Authority for Chapter V under the Social Security Code,
2020**

Application No.

Date

BETWEEN

(Name in full of the applicant with full address)

AND

(Name in full of the employer/Trust/Insurer concerned with full address)

1. The applicant is an employee of the above-mentioned employer/a nominee of late.....an employee of the above mentioned employer/a legal heir of late an employee of the above-mentioned employer, and you were pleased to direct the said employer in your notice dated the under sub rule (11) or sub rule (12) of rule 11 of The Code

on Social Security (Chhattisgarh) Rules, 2026 for payment of a sum of Rs..... as gratuity payable.

2. The applicant submits that the said employer failed to pay the said amount of gratuity to me as directed by you although I approached him for payment.
3. The applicant therefore prays that a certificate may be issued under Section 129 of the Code for recovery of the said sum of Rs. due to me as gratuity in terms of your direction.

Signature/Thumb-impression of applicant.

Place:

Date:

Note.—Strike out the words not applicable.

FORM – XVIII
[See sub-rule (1) of rule 13]

Complaint to the Inspector-cum-Facilitator

To,

The Inspector-cum-Facilitator

(Under The Code on Social Security, 2020)

Sir,

I..... (Name of woman) employed in..... (name and full address of the establishment) or I....., (name), a person nominated under section 72 of the Code by or a legal representative of.....(name of woman) employed in.....(name and full address of the establishment) having fulfilled the conditions laid down in the Code of Social Security, 2020 and the Rules there under, am entitled to Rs..... being maternity benefit and/ or Rs..... being the medical bonus and/ or Rs..... being wages for leave due under Section 65 of the Code but the same has been improperly withheld by the employer/discharged or dismissed during or on account of her absence from work in accordance with the provisions of this Chapter VI of the Code of Social Security, 2020.

You are therefore requested, to direct the employer to pay the amount to me/ to set aside the discharge or dismissal done by the employer.

Signature or thumb impression of the Woman/
 nominee/ legal representative

Date.....

Signature of an Attester in case the woman/
 nominee/ legal representative is
 unable to sign and affixes thumb impression.

Full address of the women/nominee/legal representative.

FORM-XIX**Appeal****[See sub-rule (2) of Rule 13]**

To,

The Competent Authority,

(Appointed under the Code of Social Security, 2020)

.....(Address)

Sir,

I, the undersigned, woman employee/her legal heir/her repetitive or employer/his representative of (name and full address of the establishment) aggrieved by the order of Inspector-cum-Facilitator Shri hereby prefer this appeal under sub-section (3) of Section 72 in view of the fact mentioned in memorandum and other documents filed herewith.

* Denial by his order under sub-section (2) of Section 72 of the Code the maternity benefit or other amount (nature of amount) to which (name of woman employee) is entitled and/or refused to set aside discharge or dismissal of (name of woman employee) during or on account of absence from work in accordance with the provision of chapter VI of the Code on Social Security, 2020. (*Strike out unnecessary portion*)

. * It is submitted that the (name of employee) is not entitled to the maternity benefit or the said amount and/or rightly discharged or dismissed, hence the order of Inspector-cum-Facilitator may be said aside. (*Strike out unnecessary portion*)

Signature or thumb impression of the Women/Aggrieved person

Date.....

Signature of an Attester in case the woman is

not able to sign and affixes thumb impression.

Full address of the nominee/legal representative

FORM XX**[See rule 16 and sub-rule (1) of rule 18]****Notice Book of Accidents****[To be filled up by or on behalf of workman]**

Date and time of accident.....

Date and time of notice.....

Name of person injured.....

Address.....

Cause of injury.....

.....

Signature or thumb-impression
of person giving notice**[To be filled up by the employer or his agent]**

Rate of wages.....

Place of accident.....

Nature of injuries.....

Names of eye-witnesses.....

Note of circumstances.....

Signature of Employer/his Agent

FORM-XXI**[See sub-rule (1) of rule 18]****Notice to be sent by the competent authority**

Whereas, I have received information that (1)..... a workman employed by you in (2) has died, as the result of an accident arising out of and in the course of employment. I hereby require you in accordance with sub section (1) of Section 88 of Code of Social Security, 2020, to submit to me within 30 days of the receipt of this notice the enclosed form with the particulars required in paragraphs 1 and 2 and the particulars required in either paragraph 3 or paragraph 4 duly filled in. In the event of your admitting liability to pay compensation, the necessary deposits must, under sub-section (1) of Section 88 of the Code, be made within 30 days of the receipt of this notice.

.....

Competent Authority for Workmen's Compensation

(1) Insert name of workman.....

(2) Insert name of establishment.....

FORM-XXII**[See sub-rule (2) of rule 18]****Statement to be submitted by the employer**

1. In reply to your notice, dated the.....20.... which was received by me on the 20....., it is submitted that (1) residing at/workmen over/under 15 years of age and I employed in (2).....met with an accident on the.....20....., as a result of which he died on the.....20.....The monthly wages of the deceased amounted to Rs.....

2. The circumstances in which the deceased met his death were as follows :-

.....

3. I admit liability to pay as compensation on account of the deceased's death the amount of Rs which was/will be deposited with you on or before the 20....

4. I disclaim liability to pay compensation on account of the deceased's death on the following grounds :-

(1) Insert name of workman.....

(2) Insert name of establishment.....

.....

Employer

FORM-XXIII**[See sub-rule (1) of rule 19]****Memorandum of Agreement**

It is hereby submitted that on the.....day of.....20..... personal injury was caused to.....residing at.....by accident arising out of and in the course old employment in.....The said injury has resulted in temporary disablement to the workman whereby it is estimated that he will be prevented for earning more than of his previous wages for a period of.....month. The said workman has been in receipt of half-monthly payment which have continued from the.....day of.....20.....until the.....day of.....20..... amounting to Rs.....in all.

The said workmen's monthly wages are estimated at Rs..... The Workman is over the age of 15 years/will reach the age of 15 years on..... It is Further submitted that..... the employer of the said workman has agreed to pay, and the said workman has agreed to accept the sum of Rs..... in full settlement of all and every claim under the Social Security Code 2020, in respect of all disablement of a temporary nature arising out of the said accident, whether now or hereafter to become manifest. It is therefore, requested that this memorandum be duly recorded.

Date.....20...

Signature of employer.

Witness

Signature of Workman

Witness.....

Note - An application to register an agreement can be presented under signature of one party, provided that the other party has agreed to the terms. But both signatures should be appended

Receipt

(Receipt to be filled in when the money has actually been paid)

In accordance with the above agreement I have this day received the sum of Rs.

Date.....20....

Workman.....

The money has been paid and this receipt is signed in my presence.

Witness.....

FORM-XXIV

[See sub-rule (1) of rule 19]

Memorandum of Agreement

It is hereby, submitted that on the.....day of.....20..... personal injury was caused to.....residing at.....by accident arising out of and in the course of his employment in The said injury has resulted in permanent disablement to the said workman of the following nature, namely, the said workman's monthly wages are estimated at Rs.....

The workman is over the age of 15 years/will reach the age of 15 years on.....
Rs.....on.....Rs.....on.....

It is further submitted that the employer of the said workman, has agreed to pay, and the said workman has agreed to accept the sum of Rs..... in full settlement of all and every claim under the Social Security Code 2020, in respect of the disablement stated above and all disablement now manifest. It is, therefore, requested that this memorandum be duly recorded.

Dated.....20....

Signature of employer.

Witness

Signature of Workman

Witness.....

Note - An application to register an agreement can be presented under the signature of one party, provided that the other party has agreed to the terms. But both signatures should be appended whenever possible.

Receipt

[To be filled in when the money has actually been paid]

In accordance with the above agreement, I have this day received the sum of Rs.....

Date.....20...

.....

Workman

The money has been paid and this receipt is signed in my presence.

.....

Witness

FORM-XXV

[See sub-rule (1) of rule 19]

Memorandum of Agreement

It is hereby submitted that on the.....day of.....20.... personal injury was caused to residing at.....by accident arising out of and in the course of employment in.....

The said injury has resulted in temporary disablement to the said workman, who is at present in receipt of wages amounting to Rs..... per month no wages. The said workman's monthly wages prior to the accident are estimated at Rs.....

The workman is subject to a legal disability by reason of.....

It is further submitted that the employer of the workman has agreed to pay and on behalf of the said workman has agreed to accept half-monthly payments at the rate of

for the period of the said temporary disablement. This agreement is subject to the condition that the amount of the half-monthly payments may be varied in accordance with the provisions of the said code on account of an alteration in the earnings of the said workman during disablement. It is further stipulated that all rights of commutation under sub-section (3) of Section 93 of the said Code are unaffected by this agreement. It is, therefore, requested that this memorandum be duly recorded.

Date..... 20...

Signature of employer.

Witness

Signature of Workman

Witness.....

Note - An application to register an agreement can be presented under the signature of one party, provided that the other party has agreed to the terms. But both signatures should be appended, whenever possible.

Receipt

[To be filled in when the money has actually been paid]

In accordance with the above agreement, I have this day received the sum of Rs.....

Date.....20.....

.....

Workman

The money has been paid and this receipt is signed in my presence.

.....

Witness

FORM-XXVI**[See sub-rule (2) of rule 19]****Notice for recording the memorandum of agreement**

Whereas an agreement to pay compensation is said to have been reached between and whereas..... has/have applied for registration of the agreement under Section 89(1) of the Code, 2020, notice is hereby given that the said agreement will be taken into consideration on 20..... and that any objections to the registration of the said agreement should be made on that date. In the absence of valid objections, it is my intention to proceed to the registration of the agreement.

.....
Competent Authority.

FORM-XXVII**[See sub-rule (2) and (3) of rule 19]****Notice**

Take notice that registration of the agreement to pay compensation said to have been reached between you.....and.....on the 20.... has been refused for the following reasons :-

.....
.....
.....
.....

Date.....20...

.....
Competent Authority

FORM-XXVIII**[See sub-rule (3) of rule 19]****Notice**

Whereas an agreement to pay compensation is said to have been reached between.....and.....and whereas.....has/have applied for registration of the agreement under Section 89(1) of the Code of Social Security, 2020, and whereas it appears to me that the said agreement ought not to be registered for the following reasons, namely :-

.....

.....

an opportunity will be afforded to you of showing cause on why the said agreement should be registered. If no adequate cause is shown on that date registration of the agreement will be refused.

Date.....20...

.....

Competent Authority

FORM-XXIX**[See sub rule (3) of Rule 19]****Notice**

Whereas an agreement to pay compensation is said to have been reached between..... and..... and whereas has/have applied for registration of the agreement under Section 89(1) of the Code of Social Security, 2020, and whereas it appears to me that the said agreement ought not to be registered for the following reasons, namely :-

.....

.....

an opportunity will be afforded to the said.....for showing cause on.....20.....why the said agreement should be registered. Any representation which you have to make with regard to the said agreement should be made on that date. If adequate cause is then shown, the agreement may be registered.

Date.....20....

.....

Competent Authority

FORM-XXX

[See sub-rule (5) of rule 19]

Register of Agreement for the Years, 20...

Serial No.	Date of agreement	Date of registration	Employer	Workman	Initials of Competent Authority	Reference to orders rectifying the register
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)

FORM-XXXI

[See sub-rule (2) of rule 21]

Application for Compensation by Workmen

To,

The Competent Authority

.....

.....

Name and address.....

Applicant

versus

Name and address.....

Opposite party.

It is hereby submitted that :-

- (1) a workman employed by (a contractor with) the opposite party on the day of 20..... received personal injury by accident arising, resulting

in his death on the day of 20..... (here insert briefly in ordinary languages the cause of the injury).....

- (2) The applicant sustained the following injuries, namely :-
- (3) The monthly wages of the applicant amount to Rs.... the applicant is over/under the age of 15 years.
- * (4) (a) Notice of the accident was served on the day of.....
 (b) Notice was served as soon as practicable.....
 (c) Notice of the accident was not served (on due time) by reason of.....
- (5) The applicant is accordingly entitled to receive-
 (a) Half-monthly payments of Rs..... from the.....day of 20.... to.....
 (b) A lump-sum payment of Rs.....
- (6) The applicant has taken the following steps to secure a settlement by agreement, namely but it has proved impossible to settle the question in dispute because.....

*You are therefore, requested to determine the following questions in dispute, namely:-

- (a) Whether the applicant is a workman within the meaning of the Code:
- (b) Whether the accident arose out of or in the course of the applicant's employment:
- (c) Whether the amount of compensation claimed is due, or any part of that amount:
- (d) Whether the opposite party is liable to pay such compensation as is due:
- (e) etc., (as required)

Date.....20.....

.....

Applicant

*Strike out of the clauses which are not applicable.

FORM-XXXII

[See sub-rule (2) of rule 21]

Application for order to Deposit Compensation

To,

The Competent Authority for Workmen's Compensation

.....

.....

Name and address.....

Applicant

versus

Name and address.....

Opposite party.

It is hereby submitted that :-

- (1) a workman employed by (a contractor with) the opposite party on the day of..... 20..... received personal injury by accident arising out of and in the course of the employment resulting in his death on the..... day of 20.... The cause of the injury was (here insert briefly in ordinary language the cause of the injury).....
- (2) The applicant(s) is/are dependent(s) of the deceased workman being his.
- (3) The majority wages of the deceased amount to Rs.....
The deceased was under/over the age of 15 years at the time of his death.
- (4) (a) Notice of the accident was served on the.....day of....
(b) Notice was served as soon as practicable.
(c) Notice of the accident was not served (in due time) by reason of.....
- (5) The deceased before his death received as compensation the total sum of Rs.....

(6) The applicant(s) is/are accordingly entitled to receive a lump-sum payment of
Rs.....

You are, therefore, requested to award to the applicant the said compensation
or any other compensation to which he may be entitled.

Date.....20.....

.....

Applicant.

*Strike out the clauses which are not applicable.

FORM-XXXIII**[See sub-rule (2) of rule 21]****Application for Commutation**

To,

The Competent Authority

.....

.....

Name and address.....

Applicant

versus

Name and address.....

Opposite party.

It is hereby submitted that :-

- (1) The applicant/opposite party has been in receipt of half-monthly payments from.....to.....in respect of temporary disablement by accident arising out of and in the course of his employment.
- (2) The applicant is desirous that the right to receive half-monthly payments should be redeemed.
- (3) (a) The opposite party is unwilling to agree to the redemption of the right to receive half-monthly payments.
(b) The parties have been unable to agree regarding the sum for which the right to receive half-monthly payments should be redeemed.

You are therefore requested to pass orders :-

- (a) directing that the right to receive half-monthly payments should be redeemed.
- (b) fixing a sum for the redemption of the right to receive half-monthly payments.

Dated.....20....

Applicant

FORM-XXXIV**[See sub-rule (19) of rule 21]****Notice**

Whereas a claim for compensation has been made by.....applicant, against.....and the said has claim that you are liable under sub-section (3) and (4) of Section 93 of the Code of Social Security, 2020, to indemnify him against any compensation which he may be liable to pay in respect of the aforesaid claim, you are hereby informed that you may appear before me on.....and contest the claim for compensation made by the said applicant or the claim for indemnity made by the opposite party. In default of your appearance you would be deemed to admit the validity of any award made against the opposite party and your liability to indemnify the opposite party for any compensation recovered from him.

Date.....20....

Competent Authority

FORM-XXXV**[See sub-rule (19) of rule 21]****Notice**

Whereas a claim for compensation has been made by.....applicant, against and the said.....has claimed, that.....is liable under sub-section (3) and (4) of Section 93 of the Code of Social Security, 2020, to indemnify him against any compensation which he may be liable to pay in respect of the aforesaid claim, and whereas the said.....on notice served has claimed that you.....stated to him in the relation of a contractor from whom the applicant could have recovered compensation you are hereby informed that you may appear before me on.....and contest the claim for compensation made by the said applicant or the claim for indemnity made by the opposite party.....in default of your appearance you will be deemed to admit the validity of any award made against the opposite party.....and your liability to indemnify the opposite party.....for any compensation recovered from him :-

Dated.....20....

.....

Competent Authority

FORM – XXXVI**[See sub-rule (1) of rule 29]****REGISTER OF WOMEN EMPLOYEES**

Name of establishment

1. Serial Number :
2. Name of woman and her father's (or, if married, husband's) name :
3. Date of appointment :
4. Nature of work :
5. Dates with month and year in which she is employed, laid off and not employed :

Month	No. of days employed	No. of days laid off	No. of days not employed	Remark
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)

6. Date on which the woman gives notice under Section 62 of the Code :
7. Date of discharge/dismissal, if any :
8. Date of production of proof of pregnancy under Section 62 of the Code :
9. Date of birth of child :
10. Date of production of proof of delivery/miscarriage/Medical Termination of pregnancy/ tubectomy operation /death / adoption of child :
11. Date of production of proof of illness referred to in section 65 of the Code :
12. Date with the amount of maternity benefit paid in advance of expected delivery :
13. Date with the amount of subsequent payment of maternity benefit :
14. Date with the amount of bonus, if paid, under Section 64 of the Code :
15. Date with the amount of wages paid on account of leave under Section 65 (1) & 65 (3) of the Code :

16. Date with the amount of wages paid on account of leave under Section 65(2) of the Code and period of leave granted :
17. Name of the person nominated by the woman under Section 62 of the Code :
18. If the woman dies, the date of her death, the name of the person to whom maternity benefits and/or other amount was paid, the amount thereof, and the date of payment :
19. If the woman dies and the child survives, the name of the person to whom the amount of maternity benefit was paid on behalf of the child and the period for which it was paid :
20. Signature of the employer of the establishment authenticating the entries in the register of women employees :
21. Remarks column for the use of the Inspector-cum-Facilitator :

FORM -XXXVII**[See sub-rule (1), (2) and (3) of rule 30]****Notice to the Employer who committed an offence for the first time for
compounding of offence under sub-section (1) of Section 138 of the Code of Social
Security, 2020****Notice No.....****Dated:**

On the basis of records and documents produced before me, the undersigned has reasons to believe that you, being the employer of the establishment..... (Registration No.....), have committed offence for the violation of provision of the Code or the Schemes or the Rules or the Regulations framed thereunder as per the details given below:-

PART – I

1. Name of the Person:
2. Name and Address of the Establishment :
3. Registration No of the Establishment:
4. Particulars of the offence:
5. Provisions of the Code/Scheme /Rules/Regulations under which the offence is committed:
6. Compounding amount required to be paid towards composition of the offence:
7. Name and Details of Account for depositing the Amount specified in Column 6:

PART –II

In view of the above, you have an option to pay the above-mentioned amount within fifteen days from the date of issue of this notice and return the application duly filled in Part – III of this notice.

In case the said amount is not paid within the specified time, necessary action for filing of prosecution shall be initiated without giving any further opportunity in this regard.

(Signature of the Compounding Officer)

Date:

Place:

PART – III**Application under sub-section (4) of Section 138 for compounding of offence**

Ref: Notice No.....

Date:

The undersigned has deposited the entire amount as specified in column 6 of Part-I and the details of payment are given below with a request to compound the offences mentioned in Part-I.

1. Details of the compounding amount deposited (Copy of electronically generated receipt to be attached):
2. Details of the prosecution, if filed for the violation of above-mentioned offences may be given:
3. Whether the offence is first offence or the applicant had committed any other offence prior to this offence, if committed, then, full details of the offence:
4. Any other information which the applicant desires to provide:

**Signature of the applicant
(Name and Designation)**

Date:

Place:

PART – IV**Composition Certificate****Ref: Notice No.....****Date:**

This is to certify that the offence under sub-section of Section 133 of the Code in respect of which Notice No. Dated: _____ was issued to (Applicant), the employer of (name and Registration Number of establishment) has been compounded on account of remission of full amount of Rs (Rupees _____) towards the composition of offences to the satisfaction of the said Notice.

(Signature)**Name and Designation of the Officer****Date:****Place:**